लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनदित सस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[ग्यारहवां सत्र
Eleventh Session]

[खंड 41 में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. XLI contains Nos. 31--40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price: One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a Summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

686 (Ai) LS -1

विषय-सूची

अंक 37—सोमवार 12, अप्रैल, 1965/22 चैत्र, 1887 (शक) पृष्ठ

निधन सम्बन्धी उल्लेख

प्रश्नों के मौखिक उतर 3461—65

*तारांकित
प्रश्न संख्या विषय

831 आर्मी कैडेड कालिज, नौगांव . 3465—66
832 मरीन डीज़ल इंजन प्लांट . . 3466—68
833 ब्रिटिश तथा अमरीकी सर्वेक्षण दल . . 3468—69
834 बीच में टेलीफोन सुनना . . . 3470—73
835 आकाशवाणी से भाषा नीति का स्पष्टीकरण . . 3473—76
836 लड़ाकू विमानों के लिए अमरीकी सहायता . . . 3476—79
837 जोलैया (त्रिपुरा) पर पाकिस्तान का कब्जा . . . 3479—83
838 आकाशवाणी के गैर-भारतीय कर्मचारी . . . 3483—84

अल्प सूचना प्रश्न संख्या

9 कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल . . 3485—88

प्रश्नों के लिखित उतर

तारांकित
प्रश्न संख्या

839 भारतीय पाकिस्तान सीमा का सीमांकन . 3488—89
840 भूमिगत नागाओं का इकट्ठा होना . 3489
841 तिब्बत पर भारतीय दृष्टिकोण . . 3490
842 संसद् सदस्यों को प्रकाशनों का दिया जाना . . 3490—91
843 धर्म-प्रचारकों द्वारा नेफा के आदिम जातीय व्यक्तियों का धर्म-परिवर्तन 3491
844 पश्चिम जर्मनी के साथ अरब देशों के सम्बन्ध . 3491
845 बोनस आयोग की सिफारिशें 3492
846 "श्रमवीर" पुरस्कार 3492
847 अखबारी कागज उद्योग 3493
848 एयर कम्प्रैसरों का निर्माण . . . . 3493—94

*किसी नाम पर अंकित यह +चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

CONTENTS

No. 37—Monday, April 12, 1965/Chaitra 22, 1887 (Saka)

	Subject	PAGES
	Obituary References . .	3461—65

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Question. Nos.		
831	Army Cadet College, Nowgong	3465—66
832	Marine Diesel Engine Plant . .	3466—68
833	British and American Survey Teams	3468—69
834	Telephone Tapping . . .	3470—73
835	Explanation of Language Policy on A.I.R.	3473—76
836	U.S. Assistance for Fighter Aircraft .	3476—79
837	Occupation by Pakistan of Jolaiya (Tripura)	3479—83
838	Non-Indian Employees of A.I.R. .	3483—84

SHORT NOTICE QUESTION

No.		
9	Strike by Employees of Canteen Stores Department (India)	3485—88

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Question. Nos.		
839	Demarcation of Indo-Pak Border	3488—89
840	Concentration of Underground Nagas	3489
841	India's stand on Tibet .	3490
842	Supply of Publications to M.Ps. .	3490—91
843	Conversion of Tribal people of NEFA by Missionaries	3491
844	Arab Countries' Relations with W. Germany	3491
845	Bonus Commission's Recommendations	3492
846	" Shram Vir" Awards	3492
847	Newspaper Industry . .	3493
848	Manufacture of Air Compressors . .	3493—94

तारांकित

प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
849	भारतीय राकेट	3494
850	द्वितीय अफ़्रीकी-एशियाई सम्मेलन	3494–95
851	भारतीय मजदूर संघ (संशोधन) अधिनियम, 1947	3495
852	पाकिस्तानियों द्वारा युद्ध-विराम रेखा का उल्लंघन	3495–96
853	प्रतिरक्षा सेवा कर्मचारियों का महंगाई भत्ता	3496
854	नेपाल द्वारा हिरासत में लिया गया भारतीय पुलिस दल	3497

अतारांकित

प्रश्न संख्या

2163	चालू रजिस्टरों में दर्ज भूतपूर्व सैनिक	3498
2164	वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का पुनर्गठन	3498–99
2165	बिहार में टेलीफोन की सुविधायें	3499
2166	पांडिचेरी में ट्रांसमीटर	3499
2167	मद्रास में आकाशवाणी के कर्मचारियों के लिए क्वार्टर	3500
2168	सामुदायिक रेडियो सेट	3500
2169	आकाशवाणी में हिन्दी में काम करने के बारे में योजना	3500–01
2170	पंजाब में टेलीफोन संबंध	3501
2171	देहाती क्षेत्रों के लिए रेडियो सेट	3501–02
2172	एच एफ-24 जेट विमान का इंजन	3502
2173	प्रतिरक्षा संस्थानों में वार्ता-व्यवस्था	3502
2174	आयुध कारखानों में मजदूर संघ	3503
2175	आर्डनेन्स कोर में लोअर डिवीजन क्लर्क	3503
2176	आर्डनेन्स कोर में लोअर डिवीजन क्लर्क	3503–04
2177	भारतीय वायु सेना के मैकेनिक की मृत्यु	3304
2178	श्रम मंत्रालय का कैन्टीन	3504–05
2179	भारत-पाकिस्तान जांच बैठक	3505–06
2180	स्वचालित हथियार	3506
2181	निछितपुर कोयला समवाय	3506–07
2182	जम्मू और काश्मीर के लिए डाक सर्किल	3507
2183	कोयला खानों में दुर्घटनायें	3507–08
2184	घायल सैनिकों का पुनर्वास	3508
2185	विशेष डाक टिकट	3508–09
2186	केन्द्रीय आयुध डिपो, आगरा	3509
2187	पाकिस्तान के लिए पारपत्र	3510
2188	ब्रिटेन के लिए पारपत्र	3510
2189	सैनिको के लिए कल्याण निधि	3510–11
2190	स्कूलों के लिए आकाशवणी के प्रोग्राम	3511

Starred Question Nos.	*Subject*	PAGES
849	Indian Rockets	3494
850	Second Afro-Asian Conference	3494—95
851	Indian Trade Unions (Amendment) Act, 1947	3495
852	Ceasefire Violation by Pakistanis	3495—96
853	D.A. to Defence Services Personnel	3496
854	Detention of Indian Police Party by Nepal	3497

Unstarred Question Nos.		
2163	Ex-servicemen on Live Registers	3498
2164	Reorganisation of External Affairs Ministry	3498—99
2165	Telephone Facilities in Bihar	3499
2166	Transmitter of Pondicherry	3499
2167	Quarters for A.I.R. Employees in Madras	3500
2168	Community Listening sets	3500
2169	Scheme for Hindi in A.I.R.	3500—01
2170	Telephone connections in Punjab	3501
2171	Radio sets for Rural Areas	3501—02
2172	Engine for HF-24 Jet	3502
2173	Negotiating Machinery in Defence Establishments	3502
2174	Labour Unions in Ordnance Factories	3503
2175	L.D.Cs. in Ordnance Corps	3503
2176	L.D.Cs. in Ordnance Corps	3503—04
2177	Death of an I.A.F. Mechanic	3504
2178	Labour Ministry Canteen	3504—05
2179	Indo-Pakistan Inquiry Meeting	3505—06
2180	Automatic Weapons	3506
2181	Nichitpur Coal Company	3506—07
2182	Postal Circle for Jammu and Kashmir	3507
2183	Accidents in Coal Mines	3507—08
2184	Rehabilitation of Wounded Soldiers	3508
2185	Special Postal Stamps	3508—09
2186	C.O.D. Agra	3509
2187	Passports for Pakistan	3510
2188	Passports for U.K.	3510
2189	Welfare Fund for Servicemen	3510—11
2190	A.I.R. Programmes for Schools	3511

अतारांकित

प्रश्न संख्या

	विषय	पृष्ठ
2191	हज़ तीर्थ यात्री	3511–12
2192	राष्ट्रीय रक्षा कोष	3512
2193	पोस्ट मास्टर जनरल के कार्यालय के स्थानान्तरण	3512
2194	टेलीप्रिंटर सेवा	3512–13
2195	राष्ट्रमंडल प्रधान मंत्री सम्मेलन	3513
2196	गोआ में लौह अयस्क कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता	3513
2197	मरमागोआ हड़ताल	3513–14
2198	सेना में पदोन्नति परीक्षायें	3514–15
2199	नये सैनिक स्कूल	3515
2200	भारतीय सीमान्त प्रशासन सेवा	3515–16
2201	डाक टिकट	3516
2202	नेपाल की विदेश डाक सेवायें	3516
2203	सैनिक वेशभूषा का प्रदर्शन	3516–17
2204	जवानों के लिए भूमि	3517
2205	दर्जियों द्वारा प्रदर्शन	3517–18
2206	भारत में अमरीकी युद्ध कालिज दल	2518–19
2207	मलेशिया के उपप्रधान मंत्री	3519
2208	केरल में विस्फोट	3519–20
2209	अल्लेप्पे बन्दरगाह में मजदूरों की मजूरी	3520
2210	चिली में भूकम्प पीड़ितों के लिए सहायता	3520
2212	दिल्ली-कलकत्ता टेलेक्स तथा टेलीप्रिंटर सेवायें	3520–21
2213	ताम्बरम् (मद्रास) में वायु सैनिकों के बैरक	3521

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

असम के कछार जिले में ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स द्वारा गोलीबारी तथा भारतीय राज्य-क्षेत्र का अतिक्रमण — 3521–27

श्री हुकम चन्द कछवाय — 3521–27

श्री नन्दा — 3523–27

सभा की बैठकों से अनपस्थिति की अनुमति — 3527–30

सभा-पटल पर रखा गया पत्र — 3529

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--

तिरेसठवां प्रतिवेदन — 3530

लोक-लेखा समिति--

चौंतीसवां प्रतिवेदन — 3530

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*contd.*

Unstarred Qestion Nos.	*Subject*	PAGES
2191	Haj Pilgrims	3511-12
2192	National Defence Fund	3512
2193	Shifting of P.M.G.'s Office	3512
2194	Teleprinter Service	3512-13
2195	Commonwealth Prime Ministers' Conference	3513
2196	Interim Relief to Iron ore Workers in Goa	3513
2197	Marmagao Strike	3513-14
2198	Examination for Promotion in Army	3514-15
2199	New Sainik Schools	3515
2200	Indian Frontier Administration Service	3515-16
2201	Postal Stamps	3516
2202	Nepal's Foreign Postal Service	3516
2203	Display of Military Costumes	3516-17
2204	Land for Jawans	3517
2205	Demonstration by Tailors	3517-18
2206	U.S. War College Team in India	3518-19
2207	Deputy Prime Minister of Malaysia	3519
2208	Explosion in Kerala	3519-20
2209	Workers' Wages at Alleppey Port	3520
2210	Aid for Earthquake Victims in Chile	3520
2212	Delhi-Calcutta Telex and Teleprinter Services	3520-21
2213	Airmen's Barracks at Tambaram, Madras	3521

Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—

Firing and intrusion into Indian territory by East Pakistan Rifles in Cachar district of Assam . . . . . 3521—27

Shri Hukam Chand Kachhvaiya . 3521—23

Shri Nanda . 3523—27

Leave of Absence from Sittings of the House . 3527—30

Papers laid on the Table . 3529

Committee on Private Members' Bills and Resolutions :

Sixty-third Report . 3530

Public Accounts Committee :

Thirty-fourth Report 3530

PAGES

Subject

Demands for Grants . 3531-61

Ministry of Rehabilitation : 3531-42

Shri D.C. Sharma . . 3531

Shri Dinen Bhattacharya . . 3531-32

Shri P.R. Chakravarti 3532-33

Shri Rameshwaranand 3533

Shri Mohan Swarup 3533-34

Shri Kishen Pattnayak 3534

Shri N.C. Chatterjee 3534-35

Shri Balmiki 3535-36

Shri Tyagi 3536-42

Ministry of Labour and Employment : 3542-61

Shri Mohammad Elias 3543-45

Shri Buta Singh 3545-50

Shri A.P. Sharma 3555-57

Shrimti Renuka Barkataki 3557-59

Shri M. Malaichami 3559

Shri K.N. Pandey 3560-61

Statement re: situation on Kutch—Sind Border . . 3561-67

Shri Nanda 3561-67

686 (ai) LSD—2.

विषय	पृष्ठ
अनुदानों की मांगें--	3531—61
पुनर्वास मंत्रालय	3531--42
श्री दी० चं० शर्मा	3531
श्री दीनेन भट्टाचार्य	3531–32
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती	3532–33
श्री रामेश्वरानन्द	3533
श्री मोहन स्वरूप	3533–34
श्री किशन पटनायक	3534
श्री नि० चं० चटर्जी	3534–35
श्री बाल्मीकी	3535–36
श्री त्यागी	3536--42
श्रम और रोजगार मंत्रालय	3542—61
श्री मुहम्मद इलियास	3543--45
श्री बूटा सिंह	3545—50
श्री अ० प्र० शर्मा	3555--57
श्रीमती रेणुका बड़कटकी	3557—59
श्री मलाइच्छामी	3559
श्री काशी नाथ पांडे	3560–61
कच्छ-सिन्ध सीमा की स्थिति के बारे में वक्तव्य	3561—67
श्री नन्दा	3561--67

लोक-सभा

LOK SABHA

सोमवार, 12 अप्रैल, 1965/22 चैत्र, 1887 (शक)

Monday, April 12, 1965/Chaitra 22, 1887 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

निधन सम्बन्धी उल्लेख

Obituary Reference

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : अध्यक्ष महोदय, डा० पंजाब राव देशमुख के दुखद निधन पर हमें बहुत शोक है।

वह इस सभा के सब से पुराने सदस्यों में से एक थे और वह दस वर्षों तक कृषि मंत्री रहे। वह किसानों के बहुत समर्थक थे और उन के साथ बहुत दिनों तक काम करते रहे। जब वह कृषि के भार-साधक मंत्री थे तो उन्होंने किसानों की दशा सुधारने, उनका उत्थान करने तथा उनकी प्रगति और उन्नति के लिए विभिन्न उपाय करने में बहुत रुचि ली।

लोक जीवन में उनका स्थान बहुत ऊंचा था और बहुत से सामाजिक कार्यों के लिये उन को श्रेय प्राप्त था। उन्होंने शिक्षा में विशेषतया रूचि ली तथा बहुत सी संस्थायें, स्कूल और कालेज खोले जो वास्तव में बहुत अच्छी तरह चल रहे हैं।

उनके निधन का हमें बहुत दुख है और मैं प्रार्थना करता हूं कि आप कृपा करके श्रीमती देशमुख तथा सन्तप्त परिवार को हमारा यह संवेदना सन्देश भिजवा दें।

श्री रंगा (चित्तूर) : यह जान कर मुझे बहुत धक्का लगा कि डा० पंजाबराव देशमुख अचानक ही गुजर गये हैं जबकि हम में से किसी को भी कोई आशंका या सन्देह नहीं था कि वह इतनी जल्दी गुजर जायेंगे। मेरा विचार है कि हम में से अधिकांश को, लगभग सभी को ऐसा लगा होगा।

कल जब मैं उनको अपनी अन्तिम श्रद्धांजलि अर्पित करने गया, राजकीय सम्मान में जैसे उनको वहां पर लिटाया हुआ था, तो उन को देख कर ऐसा मालूम नहीं पड़ता था कि उनकी मृत्यु हो गई है क्योंकि वह बहुत ही शांतचित्त और जीवित से दिखाई पड़ रहे थे ।

यह मेरा सौभाग्य था कि मैं उन को गत चालीस वर्षों से जानता था । मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों ही, उन्हें आक्सफोर्ड में मिला करते थे जब वह मुझ से जूनियर थे तथा पी० एच० डी० के लिये अनुसन्धान कर रहे थे । उसके पश्चात् वह भारत लौटे । उन दिनों में लोग महान शिवाजी के नाम पर काम करने में गौरव महसूस नहीं करते थे । परन्तु उन्होंने साहस के साथ उस महान शिवाजी के नाम पर बहुत सी संस्थायें चलाईं । उन्होंने लोगों को ऐसी श्रेणी के शिक्षा के उत्थान के लिये बहुत काम किया जो उस समय शिक्षा में बहुत पिछड़े हुए थे और जो उनके अपने क्षेत्र में मराठा कहलाते हैं और अधिकतर खेती का काम करते हैं ।

उसके पश्चात् उन्होंने किसानों की समस्या का सारे देश में प्रचार किया और मेरा यह सौभाग्य था कि वह मेरे सहयोगी बने और हमने कई वर्षों तक इक्ट्ठा काम किया । जब वह मंत्री बन गये थे तो मुझे पूर्ण विश्वास नहीं था कि वह इस काम को सफलता से कर सकेंगे, परन्तु उनमें इतनी रचनात्मक योग्यता थी, और इस लिये, चाहे वह मंत्री थे, वह किसान संगठन बनाने में समर्थ हो गये थे जो धीरे-धीरे एक स्वतंत्र गैर-सरकारी संगठन बन रहा है । उन्होंने अपने ठोस प्रत्यनों से इस संगठन के लिये बहुत धन की व्यवस्था की । उन्होंने विश्व कृषि मेले का आयोजन किया और उसको सफल बनाया ।

उन्होंने पिछड़े वर्गों सम्बन्धी संगठन का सारे देश के लिये विकास किया, उनके संरक्षण के लिये संविधान में दिये हुये उपबन्ध का लाभ उठाया, उन लोगों में जोश उत्पन्न किया, जहां कहीं भी हो सका संगठन बनाने में उन की सहायता की, और बहुत से होस्टलों के लिये अनुदान प्राप्त करने के लिये सरकार पर अपना प्रभाव (इन्फ्लूऐंस) डाला जो उन्होंने समूचे देश में अपनी नेतागिरी के अन्तर्गत और अपने उद्यम से आरम्भ किये थे । इसलिये इस देश के जन साधारण और पिछड़े वर्गों को उनके देहावसान से बहुत शोक है । इसके अतिरिक्त उन्होंने राज्य सरकारों एवं संघ सरकार को इस हद तक एकमत कर लिया था कि सरकारी प्राधिकारी एवं किसान कृषि उत्पादन बढ़ाने के कार्यक्रम को सफलता से आगे बढ़ाने लगे थे । जहां बहुत से मंत्री असफल रहे वहां वह सफल हो गये ।

इसलिये, अध्यक्ष महोदय, जब उन्हें पिछली बार मंत्री नहीं बनाया गया था तो मुझे इससे खुशी नहीं हुई थी । चाहे मैं विरोधी दल का सदस्य हूं, परन्तु मैं यह चाहता हूं कि ऐसे अच्छे और सक्षम तथा रचनात्मक मन वाले लोग सरकार के मंत्री होने चाहिये । ऐसे मंत्री न केवल यहां ही बल्कि राज्यों में भी होने चाहियें । ताकि वे डा० देशमुख की मिसाल कायम करके विभिन्न तरीकों से लोगों की सेवा कर सकें । मुझे विश्वास है कि आप उनकी पत्नी को, जो स्वयं एक लोक सेविका है, तथा उनके परिवार को हमारा दुख भरा सन्देश भिजवा देंगे ।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता–मध्य) : अध्यक्ष महोदय, डा० पंजाब राव देशमुख की दुखद मृत्यु पर प्रधान मंत्री तथा प्रो० रंगा ने जो शोक भरे विचार व्यक्त किये हैं मैं और मेरा दल उसमें योग देना चाहता है । अचानक ही यह जान कर हम में से अधिकांश को धक्का लगा होगा कि डा० पंजाबराव देशमुख इस संसार में नहीं रहे हैं । इस प्रकार की घटना हमें यह याद दिलाती है कि हम प्राणी किस प्रकार मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं और इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि समय समय पर जो कुछ हम अन्य काम भी करते हैं वे कितने तुच्छ हैं ।

उन की मृत्यु से सभा का एक ऐसा स्थान खाली हो गया जिस को मेरे विचार से भरना बहुत कठिन है ।

जब मैं पहली संसद् का सदस्य बन कर यहां 1952 में आया था तब से मैं उन को जानता था । उस के बारे में हमारे मन में ऐसी ही धारणा हो गई थी कि वह एक योग्य एवं विचारशील व्यक्ति हैं और जो कोई समस्या उन के रास्ते में आ टपके उस पर काबू पाने वाले हैं और विभिन्न समस्याओं को मानवीय तरीके से हल कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में वह पारंगत थे परन्तु वह जन साधारण के लिये काम करने में न चूके और उन्होंने उन की विशेषकर दो प्रकार से सेवा करने का प्रयत्न किया एक शिक्षा में और दूसरा सामाजिक कल्याण में । इस देश की पिछड़ी हुई जातियों के उत्थान के मामले में जितना काम डा० पंजाबराव देशमुख ने किया उतना कुछ ही लोग कर पाते हैं । शिवाजी शिक्षा संस्था, जिस के वह कर्ताधर्ता थे, उनके काम की एक चिरकालिक याद दिलाती रहेगी ।

हमें बहुत दुख है कि वह आज हमारे साथ नहीं रहे हैं और मुझे विश्वास है कि आप इस सभा के सभी दलों की ओर से संवेदना सन्देश तथा उनके गुजर जाने से जो क्षति हम महसूस कर रहे हैं वह भावना उनके परिवार को भिजवा देंगे ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : डा० पंजाबराव देशमुख के दुखद निधन पर जो विचार प्रकट किये गये हैं मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से उनमें योग देना चाहता है । शुक्रवार को जब वह यहां इस सभा में उपस्थित थे तो वह इतने स्वस्थ थे कि अब भी किसी को यकीन नहीं आ सकता कि वह गुजर गये हैं ।

उनका संसद् से सम्बन्ध बहुत पुराना था और उनका संसदीय काम को करने का तरीका अद्वितीय था । वह किसानों के बहुत हितेषी रहे—जब वह मंत्री थे या मंत्री नहीं भी थे । जब वह मंत्री नहीं भी रहे तब भी उन्होंने किसानों का संगठन बनाया हुआ था और वह किसानों के अधिकारों के विशेषकर भूमि पर किसानों के अधिकारों के—व्याख्याता (एक्सपोनेन्ट) थे । मेरे बिचार से किसानों की किसी भी संस्था ने किसानों के लिये इतना काम नहीं किया जितना कि उन्होंने किया था । वह पक्के राष्ट्रवादी थे और हम ने उन की मृत्यु से एक राष्ट्रभक्त खो दिया है । इस सभा में व्यक्त किये गये विचारों से मैं सहमत हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप शोक सन्तप्त परिवार को हम सदस्यों के विचारों से अवगत करा देंगे ।

Shri Bade (Khargone) : Mr. Speaker, Sir, the passing away of Dr. Punjabrao Deshmukh is very sad. No one could imagine that his end was so near. He was a leader not only of Maharashtra but of the whole country. He was especially a leader of the Kisans. He used to take keen interest in them. He was such a big supporter of Kisans that today the whole Kisan Community is now without their supporter.

In Maharashtra two persons are known for the education of masses and backward classes. One was Shri Bhau Rao Patil and the other was Dr. Punjabrao Deshmukh. He worked so much in the field of education that even if we forget his other deeds he will be considered a great man for this work alone.

It was only due to him that Bharat Krishak Samaj was set up. There was none to take up the cause of Indian Krishak. All used to take up the cause of other industries. He was specially a supporter of Kisans. Without him the whole Kisan Community has become shelterless. His passing away has shocked the whole Kisan Community specially in Maharashtra and its adjoining areas. On my own behalf and on behalf of Bharatiya Jan Sangh I pay my respect to him

and request you, Sir, to convey to his family that we are all with them in this hour of despair.

Shri Bagri (Hissar) : On the sad demise of Dr. Punjabrao Deshmukh I pay him my respects on behalf of my group. He did a lot to uplift the backward classes. The backward classes of this country, their leaders and workers will get a guidance from the work done by him.

With these words I again pay my respect to him.

डा० मा० श्री० अणे (नागपुर) : अध्यक्ष महोदय, बिना थोड़े बहुत जजबात के मैं डा० पंजाबराव देशमुख के बारे में कुछ नहीं बोल सकता । हम 40 वर्ष से अधिक समय तक विदर्भ में इकट्ठे काम करते रहे और उनके तथा हमारे बीच कुछ गम्भीर भेदभावों के होते हुए भी उन्होंने गरीब जातियों के विशेषकर देश के मराठा और कृषकों के मामले में भक्त सेवक का नाम कमाया है । मराठा समाज में उन्होंने उस समय शिक्षा प्राप्त की थी जबकि सारे विदर्भ में उस समाज का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिस को आजकल के शब्दों में पढ़ालिखा व्यक्ति कहा जा सकता है । वह और मेरे अन्य मित्र बैरिस्टर रामराव देशमुख, मराठा समाज के वे दोनों ही व्यक्ति ऐसे थे जिनको विदेश में शिक्षा प्राप्त करने का लाभ प्राप्त हुआ और जो फिर भारत वापिस लौट आये । उनका भविष्य बहुत अच्छा हो जाता यदि वे किसी ऐसे उच्च पद को ग्रहण कर लेते जो उनको मिल सकता था । परन्तु उन्होंने अपने देशवासियों की सेवा करने के कठिन काम को चुना न कि बड़े बड़े पद ग्रहण किये । यह चीज भी उनके सम्मान में है । यह एक ऐसा उदाहरण था जो उन्होंने युवक मराठों और पिछड़ी जातियों के युवक सदस्यों के सामने कायम किया ।

दूसरे, शिक्षा का मामला उन से पहले भी बहुत से व्यक्तियों ने उठाया था परन्तु डा० पंजाबराव देशमुख ने इसे ऐसे पैमाने पर उठाया जिससे हम सभी की प्रशंसा हुई । सच तो यह है कि यह उन्हीं के कामों का नतीजा था--इसको बड़े विश्वास के साथ कहा जा सकता है--कि ग्रामीण क्षेत्रों में उच्चत्तर शिक्षा के दरवाजे खुल गये थे जिससे गरीब बच्चों को उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला है तथा वे समाज के अन्य सदस्यों के साथ समान स्थान प्राप्त कर सकते हैं । यह एक ऐसा रचनात्मक काम था जो कि उन्होंने किया था ।

वह ऐसे कामों को अधूरा छोड़ कर चले गये जो उन्होंने शुरू किये हुए थे । मैं ने एक दूसरे स्थान पर भी कहा है कि वे काम अभी पूरे होने बाकी हैं । उन्होंने काम को आरम्भ कर दिया था और मेरा विश्वास है कि उन के उदाहरण से दूसरों को प्रेरणा मिलेगी जो कि भविष्य में वे काम पूरे करने के लिये पीछे रह गये हैं ।

अन्य माननीय सदस्यों ने जो अपने विचार प्रकट किये हैं मैं भी उन में योग देना चाहता हूं और प्रार्थना करूंगा कि आप सभा के सभी दलों के सदस्यों के शोक भरे विचार श्रीमती पंजाबराव देशमुख को भिजवा दें ।

अध्यक्ष महोदय : डा० पं० शा० देशमुख के निधन पर सभा के नेता तथा अन्य सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं के समान ही मेरी भी भावनायें हैं ।

डा० देशमुख महाराष्ट्र के अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से इस सभा के वर्तमान सदस्य थे । 1946 से 1962 तक वह संविधान सभा, अर्न्तकालीन संसद् तथा पहली और दूसरी लोक सभा के सदस्य थे । वह 1952 से 1957 तक और 1958 से 1962 तक कृषि मंत्री रहे और 1957 से 1958 तक सहकार मंत्री रहे ।

उनकी गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं के बारे में उल्लेख विभिन्न दलों के नेताओं के तथा सभा नेता ने किये हैं। यह दुख हमारे पर अचानक ही आ पड़ा है क्योंकि पिछले शुक्रवार को ही वह यहां संसद् की कार्यवाही में भाग ले रहे थे।

डा० देशमुख बड़े योग्य व्यक्ति थे। विशेष रूप से कृषकों की हालत में सुधार के लिए उनके द्वारा दिया गया योगदान लम्बे समय के लिए याद रखा जायेगा। मुझे यह जान कर हैरानी हुई कि वह कितनी ही शिक्षा संस्थाओं का प्रबन्ध कर रहे थे। हजारों विद्यार्थी तथा उनके परिवार के अन्य सदस्य उनकी मृत्यु के कारण शोक सन्तप्त होंगे। निस्संदेह हम ने एक महान देशभक्त, एक अच्छे सभाशास्त्री तथा एक सफल मंत्री खो दिया है।

हमें इस मित्र की मृत्यु पर बहुत दुख है और मेरा विश्वास है कि शोक संतप्त परिवार को शोक संदेश भेजने में सभा के सदस्य मेरे साथ सम्मिलित होंगे।

सदस्य कुछ समय के लिए मौन खड़े रहेंगे।

इसके पश्चात् सदस्य कुछ समय के लिए मौन खड़े रहे।

The Members then stood in silence for a short while.

Army Cadet College, Nowgong

+

*831. **Shri M. L. Diwivedi** :
Shri Yashpal Singh :
Shri R. S. Tiwary :
Shri S. C. Samanta :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Army Cadet college at Nowgong has been shifted to Poona;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) the purpose for which the buildings vacated by the Collage are proposed to be utilised;

(d) whether any representations were received against the shifting of the college from Nowgong; and

(e) if so, the action taken thereon ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू): (क) जी हां।

(ख) नौगांव स्थित भवनों में 230 कैडैटों के लिए स्थान था जबकि वहां की जन शक्ति 650 करने का प्रस्ताव था। ठीक इसी समय पूना स्थित अफसर ट्रेनिंग स्कूल बन्द हो रहा था, जिसमें काफी स्थान था, अतः सेना कैडेट कालेज को पूना ले जाया गया और अफसर ट्रेनिंग स्कूल वाले भवन में रखा गया, जिससे कि नौगांव में नया भवन बनाने की आवश्यकता न पड़े।

(ग) गृह मंत्रालय नौगांव में एक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के लिए इच्छुक रहा है, अतः स्कूल की खाली जगह उन्हें दे देने का प्रस्ताव है।

(घ) जी हां।

(ङ) ऊपर दिये गये निर्णय जिन कारणों से लिए गये थे उन्हें उनकी सूचना दे दी गई है।

Shri M. L. Dwivedi : As I have seen in Poona on the 20th and 21st, there is no accommodation for college authorities and students etc. and they are much embarrassed. Since there are not adequate facilities available in Poona, what was the necessity of shifting it so soon ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) :हमें कैडेट कालेज को इस आधार पर चालू करना था कि उसको बढ़ाया जा सके और क्योंकि अफसर ट्रेनिंग स्कूल बन्द किया जा रहा था इसलिए वहां जो भी स्थान उपलब्ध था, सेना मुख्यालय ने सिफारिश की कि कालेज वहां शुरू किया जाये।

Shri M. L. Dwivedi : Bundhelkhand is a backward area. There was such an institution there. Is the Ministry of Defence considering an application of the residents of that area to open this type of institution there ?

Shri Y. B. Chavan : We intend to use the buildings there. Negotiations are going on in this regard with the Ministry of Home Affairs.

Shri Yashpal Singh : What expenditure has been incurred in that connection ? How will those buildings be utilised which have become vacant?

Shri Y. B. Chavan : I have already stated that not much expenditure has been incurred and we are trying to utilise the buildings there.

श्रीमती सावित्री निगम : क्या सरकार वहां सैनिक स्कूल खोलने का विचार कर रही है ? वहां कोई इस प्रकार की अच्छी संस्था नहीं है और उस स्कूल से समूचे क्षेत्र को लाभ होगा।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : वास्तव में, वहां पहले ही एक सैनिक स्कूल है। उसमें सैनिक स्कूल के लिए अपेक्षित अधिकतम सीमा अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है। इसलिए, वहां दूसरा सैनिक स्कूल खोलने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

मैरीन डीजल इंजन प्लांट

\+

*832. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री दे० जी० नायक :
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री अ० व० राघवन :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम जर्मनी की मशीन निर्माण फर्म के सहयोग से एक मेरीन डीजल इंजन प्लांट स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो यह कब स्थापित होगा ;

(ग) क्या सहयोग की शर्तों को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थाँमस) : (क) तथा (ख). जी हां । इसकी स्थिति के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ग) तथा (घ). तकनीकी सहायता देने सम्बन्धी नियमों तथा शर्तों को एक इकरारनामे में अन्तिम रूप दिया गया है जिस पर 24 अक्तूबर, 1962 को पश्चिमी जर्मनी के मेसर्स मान तथा रक्षा मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं । इसकी मुख्य बातें ये हैं :—

(1) विभिन्न इंजिनों को बनाना, जैसे कि, के जेड़, आर बी, डब्ल्यू के, बी० बी०, जी बी, जी ज़ेड़, इत्यादि ।

(2) दो स्ट्रोक वाले इंजिनों को बनाने का सम्पूर्ण अधिकार तथा चार स्ट्रोक वाले इंजिनों को बनाने का गैर-सम्पूर्ण अधिकार ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इस पर कुल कितना धन व्यय होगा ?

श्री अ० म० थाँमस : कितना धन व्यय होगा इसका अनुमान अभी लगाना है । वास्तव में, आयात किये हुए डीज़ल इंजन की लागत लगभग 28 लाख रुपये होगी । इसलिए धन काफी खर्च होगा ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इस परियोजना को कब चालू किये जाने की सम्भावना है ?

श्री अ० म० थाँमस : प्रारम्भिक परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर लिया गया है । सचिवों की उत्पादन समिति ने उस पर विचार कर लिया है । उस समिति ने एक और तदर्थ समिति नियुक्त की है । उसने इस प्रश्न पर विचार कर लिया है । सामान्य विचार यह है कि परियोजना को आगे चलाया जाये परन्तु अभी इस बारे में निर्णय करना है कि इसे रक्षा उत्पादन विभाग में रखा जाये या भारी इंजीनियरिंग विभाग में । गार्डन रीच वर्कशाप, जोकि रक्षा उत्पादन विभाग के अधीन है, द्वारा बनाई गई एक योजना के अनुसार उस कारखाने तथा रक्षा उत्पादन विभाग के अधीन अन्य कारखानों के लिए 45 प्रतिशत पुर्जे बनाना सम्भव है । इन सभी प्रश्नों पर विचार करना होगा ।

श्री अ० व० राघवन : क्या सरकार इस कारखाने को केरल में स्थापित करने के प्रश्न पर विचार करेगी ? वहां प्रतिरक्षा मंत्रालय ने अभी तक एक भी आयुध कारखाना स्थापित नहीं किया है ।

श्री अ० म० थाँमस : विशाखापटनम तथा कोचीन के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है । जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं विशाखापटनम में पहले ही एक पोत निर्माण कारखाना है और कोचीन का कारखाना अभी बनना है ।

श्री वासुदेवन नायर : इस कारखाने के स्थान के बारे में अन्तिम निर्णय करने के लिये सरकार क्या प्रक्रिया अपनायेगी ?

श्री अ० म० थाँमस: प्रयोक्ताओं सम्बन्धी पहलू पर सबसे अधिक ध्यान रखा जायेगा । इसलिए मैंने कहा है कि विशाखापटनम में पहले ही पोत निर्माण कारखाना है । वास्तव में इस प्रकार के मैरीन डीज़ल कारखाने में कम खर्च पर उत्पादन करने के लिए हमें कम से कम आठ डीज़ल इंजनों का निर्माण करना होगा । हमें विशाखापटनम में लगभग छः डीज़ल इंजनों की आवश्यकता है । जब कोचीन पोतनिर्माण कारखाना बन जायेगा तब मांग निस्संदेह बढ़ जायेगी । इसलिए उपभोक्ताओं सम्बन्धी पहलू मुख्य पहलू होगा ।

Shri Vishwa Nath Pandey : Will the contribution of West Germany in any manner be sought in this project ?

श्री अ० म० थाँमस: वास्तव में, मैसर्स एम० ए० एन० से मुख्य तकनीकी सहयोग और सहायता प्राप्त की जायेगी ।

श्री वारियार : तकनीकी दृष्टि से स्थान का निर्णय करने के लिए क्या सरकार कोई आयोग नियुक्त करेगी ?

श्री अ० म० थाँमस : जैसाकि मैं पहले ही बता चुका हूं इस सम्बन्ध में सचिवों की उत्पादन समिति तथा उस समिति द्वारा नियुक्त तदर्थ समिति ने भी विचार किया था । स्थान का निर्णय अभी नहीं किया गया है ।

श्री श्यामलाल सर्राफ : जब इस प्रकार का विदेशी सहयोग उपलब्ध है तो क्या डीज़ल प्लांट स्थापित करने पर विचार नहीं किया गया है ? यदि हां, तो केवल मैरीन डीज़ल इंजन प्लांट स्थापित करने के प्रश्न पर ही विचार क्यों नहीं किया गया है ?

श्री अ० म० थाँमस : न केवल मैरीन डीज़ल बनाने का बल्कि औद्योगिक डीज़ल इंजन बनाने का भी विचार है । परन्तु इस समय मुख्य रूप से 'के जैड़' टाईप के डीज़ल इंजन बनाने का ही विचार है जिनकी जहाजों के लिए आवश्यकता है । अन्य सहायक इंजन भी बनाने होंगे जैसे जी वी तथा आर वी इंजन ।

ब्रिटिश तथा अमरीकी सर्वेक्षण दल

*833. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश तथा अमरीकी सर्वेक्षण दल उच्च कोटि के श्रवण यंत्र स्थापित करने तथा अन्य प्रयोजनों के लिये हिन्द महासागर में एक द्वीप की तलाश कर रहे हैं ; और

(ख) क्या ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमरीका की सरकारों ने इस संबन्ध में भारत सरकार को सूचित कर दिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) यूनाइटेड किंगडम और अमरीका की सरकारें हिन्द महासागर में रेडियो-संचार प्रसार केन्द्र स्थापित करने पर मिलजुल कर विचार करती रही हैं और उसका सर्वेक्षण भी किया जा रहा है । सरकार को इस योजना की प्रगति के बारे में कोई सूचना नहीं है ।

(ख) जी, नहीं ।

Shri Yashpal Singh : May I know whether any assistance is being obtained from Indian technicians or they are conducting the survey separately.

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : जी नहीं ।

Shri Yashpal Singh : Did they feel the necessity of this survey without help from and without the consent of our technicians due to our refusal to take high powered transmitter from them or was there any other reason for that.

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : इंगलैंड तथा अमरीका मिलकर सर्वेक्षण कर र हैं । और हमारा इस से बिल्कुल कोई सम्बन्ध नहीं है । हम से सलाह नहीं ली गई है और हमें कोई सूचना भी नहीं दी गई है ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच है कि इण्डोनेशिया सरकार ने यूनाईटिड किगडम तथा अमरीकी सरकारों से ऐसी योजना के लागू किये जाने पर इस आधार पर विरोध किया है कि उन के अनुसार वह हिन्द महासागर नहीं बल्कि इन्डोनेशियाई महासागर है । यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में प्रतिक्रिया क्या है ।

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : हम इण्डोनेशिया की सरकार के विरोध के बारे में कुछ नहीं जानते ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यद्यपि हमारे साथ इस मामले में परामर्श नहीं किया गया है तथा इस बात का क्या कारण है कि सरकार ने कोई जांच करने की आवश्यकता नहीं समझी है, कम से कम हमें इस बात का विश्वास दिलाने के लिए ही कि इस योजना का सामरिक महत्व से तो कोई सम्बन्ध नहीं है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : जैसा कि मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में बता किया था इस का उद्देश्य रेडियो संचार प्रसारण केन्द्र स्थापित करना है जिसके लिये सर्वेक्षण किया जा रहा है । अन्तिम निर्णय अभी नहीं किया गया है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरा प्रश्न यह था कि क्या हमने कोई जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया है कि दूसरी सरकारों ने हमें इस बारे में कुछ बताया है या नहीं ।

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : हमारे पास केवल यही जानकारी है कि सर्वेक्षण किया जा रहा है । हमारे पास इस से अधिक जानकारी नहीं है ।

Shri Bibhuti Mishra : May I know whether the Government of India have written to the U.K. and German Governments that they are also willing to take advantage of the machinery being installed in the Indian Ocean.

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : जी नहीं ।

श्री विश्वनाथ राय : क्या भारत सरकार ने ऐसा कोई केन्द्र स्थापित करने के लिए प्रयत्न किया है ।

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : जी, नहीं ।

श्री जोकीम आल्वा : क्या इन प्रस्तावों के बारे में कोई निश्चित योजना है । क्या अणुशक्ति आयोग के पास इस बारे में कोई निश्चित योजना है । ब्रिटेन तथा अमरीका जब कोई प्रस्ताव करते हैं तो अन्तिम निर्णय हमारे हाथ में होता है ।

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : हिन्द महासागर में अड्डे स्थापित करने का हमारा कोई कार्यक्रम नहीं है । इसलिए, यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बीच में टेलीफोन सूनना

*834. श्री हुकम चन्द कछवाय :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री बड़े :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारे देश में जासूसी तथा छानबीन करने के लिये सरकार द्वारा या उसकी ओर से आमतौर पर बीच में टेलीफोन सुनने की विधि अपनाई जाती है; और

(ख) यदि हां, तो बीच में टेलीफोन सुनने का अधिकार देने की प्रक्रिया क्या है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) तथा (ख): जी नहीं। हमारे देश में जासूसी तथा छानबीन करने के लिए सरकार द्वारा या उसकी ओर से आम तौर पर बीच से ही टेलीफोन सुनने की विधि नहीं अपनाई जाती। डाक-तार विभाग अपनी ओर से बीच से ही काटकर टेलीफोन नहीं सुनता। फिर भी, 1885 के भारतीय तार अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत किसी सार्वजनिक संकट की स्थिति उत्पन्न होने पर या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें बीच से ही टेलीफोन सुनने के आदेश दे सकती हैं।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know whether the telephones of the political parties are tapped and complaints to this effect have been made in the past also ?

The Minister of Communication and Parliamentary Affairs (Shri Satya Narayan Sinha): Such questions remove the misunderstanding of the Members and the public outside. In so far as our Ministry is concerned, the Post and Telegraph Department has no power to tap any telephone. We work as a post office in this connection. Under the Act of 1885 the Central Government and the State Governments have been empowered that if they inform us that they want to tap some telephone than we should allow their officer to be present there and he may send any report to his office but this motion is wrong that every member's....

Shri Hari Vishnu Kamath : Nobody has said that every member's telephone is tapped.

Shri Satya Narayan Sinha : It is said that in the case of many members the telephones are tapped. This is also not correct provided there is no emergency.

Shri Hari Vishnu Kamath : There is emergency now-a-days.

Shri Satya Narayan Sinha : There may be. But in so far as this matter is concerned, the Central Government or the State Governments can send an Officer and he can tap the message.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Just now the hon. Minister has said that if some officer says that he wants to tap the telephone, he is asked to be present there. How many such cases are there ? When we dial a member, we hear two persons conversing and if we ask for assistance we are not connected on the line. Has the Government received such complaints ?

Shri Satya Narayan Sinha : You are mixing the issues. The case is not that we allow any officer to tap. Only such officer who has got the certificate issued by the Central Government or the State Governments can tap the telephones. I recently visited Calcutta and such complaints were brought to my notice although that person has got nothing to do with politics. Sometimes it happens that two lines get connected and we can hear the conversation of the other persons and this leads to the doubt that the telephone is being tapped. In fact it happens because of some fault in the line. Genuine tapping is very less. It is only done on special occasion in the case of some dangerous person.

श्री बड़े : क्या यह सच है कि आपको भिन्न-भिन्न राज्यों से अवांछनीय व्यक्तियों की सूची मिली है और इन व्यक्तियों के टेलीफोन बीच में सुने जाते हैं। क्या इन नामों की सूची आप सभा-पटल पर रखेंगे ?

श्री सत्यनारायण सिंह : जहां तक मेरा तथा मेरे मंत्रालय का सम्बन्ध है मुझे वांछनीय अथवा अवांछनीय व्यक्तियों की कोई सूची नहीं मिली है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या माननीय मंत्री 1885 के इस पुराने कानून को, जिसे कि इस देश के अंग्रेज विजेताओं ने बनाया था, इस देश के लोक-हित. तन्त्रात्मक तथा प्रजातन्त्रात्मक संविधान के अनुकूल समझते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यदि कानून बना हुआ है, तो यह उसे किस प्रकार हटा सकते हैं ?

श्री सत्य नारायण सिंह : मैं राय देने के लिये तैयार नहीं हूं । । जब तक कानून है और संसद् इसे नहीं बदलती यह कानून कायम रहेगा ।

श्रीमती रेनु चक्रवर्ती : आप विधेयक प्रस्तुत करें, हम इस कानून में परिवर्तन करेंगे ।

श्री स० मो० बनर्जी : माननीय मंत्री से वक्तव्य से यह पता लगता है कि वह केवल एक "पोस्ट बाक्स" हैं और उन्हें बीच में टेलीफोन सुने जाने से कोई सम्बन्ध नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या 1960 की हड़ताल के दौरान और अभी हाल ही की वामपक्षी साम्यवादियों की गिरफ्तारी के दौरान, गृह-कार्य मंत्रालय ने डाक तथा तार मंत्री को यह हिदायतें दी थीं कि संसद् के कुछ सदस्यों के टेलीफोन नियमित रूप से बीच में सुने जाने चाहियें और टेलीफोन वार्ता टेप । रिकार्ड की जानी चाहिये । क्या उन्हें इस बात की जानकारी है और यदि उन्हें यह जानकारी नहीं है तो क्या वह इस सम्बन्ध में गृह-कार्य मंत्री से बातचीत करेंगे ?

श्री सत्य नारायण सिंह : मुझे पता नहीं कि 1960 में क्या हुआ ; परन्तु यह सच हो सकता है । जब कभी भी केन्द्रीय सरकार के गृह-कार्य मंत्री अथवा राज्य सरकारों के मंत्री हमें हिदायतें भेजते हैं कि कुछ व्यक्तियों के टेलीफोन बीच में सुने जाने चाहियें , हमारे लिये कोई चारा नहीं रह जाता और हमें उन्हें अनुमति देनी पड़ती है ।

श्री स० मो० बनर्जी : श्रीमन्, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । किन-किन संसद् सदस्यों के टेलीफोन बीच में सुने जाते हैं ? मैं इस बारे में सूचना चाहता हूं ।

श्री हरि विष्णु कामत : सूची सभा-पटल पर रखी जानी चाहिये ।

श्री सत्य नारायण सिंह : जहां तक मेरी जानकारी है मेरे विचार में हमें इस प्रकार की कोई हिदायतें नहीं मिली हैं ।

श्री बड़े : श्रीमान्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : : श्रीमती रेणुचक्रवर्ती : ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इस आधार पर कि हम सब को पता है कि हमारे टेलीफोन बीच में सुने जाते हैं, क्या माननीय मंत्री कम से कम हमें यह आश्वासन देंगे कि कि सुनने वाले व्यक्ति बातचीत के दौरान रुकावटें न डालें ।

श्री सत्य नारायण सिंह : मैं अभी भी कहता हूं-- जो कुछ माननीया सदस्या ने कहा, मैं उसका खंडन नहीं कर सकता-- कि मशीन में खराबी होने के कारण कई बार रुकावट होती हैं यदि कुछ विशेष

श्री बड़े : श्रीमान् एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर परस्पर विरोधी है । एक ओर वह कहते हैं कि उन्हें गृह-कार्य मंत्री से ऐसे व्यक्तियों की सूची प्राप्त हुई है जिन के टेलींफोन बीच में सुने जाने चाहियें। और दूसरी ओर वह यह कह रहे हैं कि उनको पास कोई सूची नहीं है । ठीक उत्तर कौन सा है ? श्रीमान, मैं आपका मार्ग दर्शन चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले भी यह कई बार कहा है कि यदि उत्तर में कुछ विरोधी बातें हों तो कोई भी व्यवस्था का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । अभी कल ही मुझे बताया गया कि "हाउस आफ कामन्स" के अध्यक्ष ने एक सदस्य को कहा कि उसने दूसरी बार एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया जो कि व्यवस्था का प्रश्न नहीं था और उसे सावधान रहना चाहिये ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या राज्य सरकारें अथवा केन्द्रीय सरकार के बीच में ेलीफोन सुनने के लिये विशेष व्यक्तियों की सूची मंत्री महोदय द्वारा भेजनी हैं या सीधे टेलीफोन विभाग को भेज दी जाती है-- मुझे ज्ञात नहीं कि यह किस प्रकार होता है-- और मंत्री महोदय ने कहा है कि आपातकाल में उन्हें एक सूची प्राप्त होती है । यदि ऐसा है, तो क्या वह कृपया उसे सभा-पटल पर रखेंगे ?

श्री सत्य नारायण सिंह : जहां तक केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों का सम्बन्ध है, मैं ने कहा कि है उन्हें इसे मंत्री को भेजने की आवश्यकता नहीं है । वे इसे विभाग के अध्यक्ष को भेज सकते हैं । परन्तु सूची नितान्त गोपनीय होती है । यदि यह सूची हमें मिले भी, तो भी हम इसे सभा-पटल पर नहीं रख सकते ।

श्री हरि विष्णु कामत : अभी हाल ही में गोपनीय पत्र सभा-पटल पर रखे गये हैं ।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या यह सच नहीं है कि किसी दल से सम्बन्ध का ध्यान न रखते हुए सदस्यों के टेलीफोन बीच में सुने जाते हैं यदि वे सदस्य कर्मकारों, कृषकों, अध्यापकों से सम्बन्धित जन-आन्दोलन में रुचि रखते हों ।

एक माननीय सदस्य : प्राध्यापकों से सबन्धित जन-आन्दोलन भी।

श्री सत्य नारायण सिंह : टेलीफोन बीच में सुने जाने का कार्य किसी दल या समूह तक ही सीमित नहीं है ।

Shri Sarjoo Pandey : Just now the hon. Minister has said that if the officers of the Ministry of Home Affairs want to tap some telephone, there is a provision in the law. May I know the number of cases of tapping for which his Ministry was approached since he took charge of that Ministry and the name of persons, if any, for which his Ministry was approached ?

Shri Satya Narayan Sinha : I have not got that list and even if I had got I might not have disclosed.

आकाशवाणी से भाषा नीति का स्पष्टीकरण

\+

*835. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या **गृह-कार्य** मंत्री ने सहायक राजभाषा के रूप में अंग्रेजी के प्रयोग के बारे में सरकार की नीति जनता को समझाने के लिये आकाशवाणी से कहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के प्रचार साधन राजभाषा अधिनियम के उपबन्ध लोगों को समझाने में असफल रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस मामले में आकाशवाणी ने क्या कदम उठाए हैं और उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) जनता को इस बारे में सही स्थिति बताने के लिये सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न प्रचार विभागों ने उपयुक्त कार्रवाई की है ।

(घ) आकाशवाणी के प्रसारणों में समय-समय पर इस बात का काफी प्रचार किया गया कि 26 जनवरी, 1965 से संघ के काम काज की भाषा हिन्दी होने जा रही है । गणराज्य दिवस पर गृह मंत्री की विशेष वार्ता को, जिसमें इस कदम का महत्व समझाया गया था, आकाशवाणी के सभी केन्द्रों से प्रसारित किया गया । विभिन्न प्रदेशों के, विशेषकर अहिन्दी भाषी प्रदेशों के, केन्द्रों ने इस वार्ता का अपनी भाषा में रूपान्तर भी प्रसारित किया ।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या आकाशवाणी अपनी पुरानी प्रथा के अनुसार गृह मंत्री के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों की वार्ता भी प्रसारित करती है, यदि हां, तो वे कौन व्यक्ति हैं जिनकी राजभाषा अधिनियम से सम्बन्धित वार्ता प्रसारित की गई ।

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : सब से पहला प्रसारण गृह-कार्य मंत्री द्वारा किया गया ; कुछ दिनों के पश्चात् प्रधान मंत्री ने जनता के नाम संदेश प्रसारित किया ।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या किसी अन्य व्यक्तियों की वार्ता भी प्रसारित की गई ।

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : अन्य कोई वार्ता नहीं ।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या सरकार ने ऐसी कोई योजना बनाई है जिसके द्वारा वे भाषा के सम्बन्ध में अपनी नीति के बारे में चलचित्र, प्रसारण तथा अन्य प्रकार के साधनों द्वारा भविष्य में जनता को अवगत करा सकें क्योंकि यह एक कठिन विषय है, और यदि हां, तो क्या सरकार इस योजना की रूपरेखा बता सकती है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : मेरे पास एक लम्बी सूची है । चलचित्रों को छोड़ कर हम ने दूसरे हर साधन से लोगों को भाषा सम्बन्धी नीति बतायी है । प्रेस सूचना विभाग में विभिन्न अवसरों पर अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में समाचार-पत्रों में लेख प्रकाशित किये हैं। मुख्य मंत्रियों की क्षेत्रीय परिषद् की बैठक भी हुई और फिर भी इस बारे में पूरी-पूरी जानकारी दी गई । प्रकाशन विभाग ने स्वर्गीय प्रधान मंत्री का भाषण एक विशेष पुस्तक में सम्मिलित किया है । फिर भाषा के प्रश्न पर बहुत सी पुस्तिकायें आदि जारी की गई हैं। जिनकी एक काफी लम्बी सूची है और श्रव्य दृश्य प्रचार निदेशालय ने भी "राष्ट्रीय एकीकरण" नाम की एक पुस्तिका निकाली है और अन्य पुस्तिकायें भी प्रकाशित की गई हैं ।

अध्यक्ष महोदय : तब यह विवरण सभा-पटल पर रख दिया जाये । ।

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : हां, श्रीमान् ।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : इस आधार पर कि दक्षिणी भारत के कुछ राज्य हिन्दी लागू करने के विरुद्ध थे। राजभाषा अधिनियम बनाये जाने के बाद दक्षिणी भारत के लोगों का दृष्टिकोण बदलने के लिये क्या विशेष कदम उठाये गये ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : क्षेत्र प्रचार निदेशालय ने विभिन्न अवसरों पर इस सूत्र का प्रचार किया था। प्रधान मंत्री द्वारा प्रसारित किये गये संदेश की ओर लोगों का ध्यान दिलाया गया ; विशेषकर इन क्षेत्रों में त्रि-भाषा सूत्र लोगों को समझाया गया ।

श्रीमती सावित्री निगम : इस आधार पर कि ऐसे मामलों में भाषणों की तुलना में नाटक तथा विशेष वार्ता अधिक प्रभावी रहती हैं, क्या इस विशेष मामले में कुछ वार्ता प्रसारित की गई है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : जहां तक प्रसारण का सम्बन्ध है ऐसा बहुत कार नहीं किया गया क्योंकि यह एक नाजुक तथा कठिन विषय है । परन्तु भिन्न-भिन्न भाषाओं के भिन्न-भिन्न पुस्तिकायें वितरित की गई हैं।

Shri A. P. Sharma : This misunderstanding is still prevailing amongst the people at some places in the States that Hindi will replace the regional languages and not English. Therefore, may I know whether the Government are formulating some scheme with a view to remove this misunderstanding ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : इस प्रश्न पर कई प्रकार से विचार किया जा रहा है। ऐसा तो है नहीं कि वे कुछ नहीं कर रहे हों। इस दिशा में वे हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : क्या भारत में प्रादेशिक भाषाओं के महत्व पर बल देने वाला, और उस पर सरकार की नीति सम्बन्धी कोई कार्यक्रम प्रसारित किया गया था ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : जब हमने प्रधान मंत्री जी का वक्तव्य को प्रसारित किया था तो हमने न केवल खण्ड विकास अधिकारियों तथा क्षेत्रीय प्रचार संस्थाओं परन्तु कालेजों, विश्वविद्यालयों, भारत सेवक समाज, व्यापार मण्डलों, लोक कार्यक्षेत्रों, अध्यापक संगठनों, हाई स्कूलों और ऐसे ही अन्य संगठनों से भी सम्पर्क स्थापित किया था ताकि वह नीति समझाई जा सके।

श्री हेम बरुआ : श्रीमती इंदिरा गांधी मंत्रिमंडल की पहली मंत्री थीं जो दंगों के दौरान दक्षिण गई जिसके लिये हम उन्हें बधाई देते हैं। परन्तु इसी सन्दर्भ में क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार अथवा आकाशवाणी ने लोगों को भाषा नीति समझाने और साथ ही साथ 11 फरवरी, 1965 के प्रधान मंत्री के उस प्रसारण को, जिसमें यह आश्वासन दिया गया था कि अंग्रेजी संबंधी श्री नेहरू के आश्वासनों का पालन किया जाएगा, समझाने का कष्ट भी किया था ? क्या उन्होंने अपने मंत्रालय को ऐसा करने का निदेश दिया था ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : जी, हां। ऐसा किया गया था। जैसाकि उपमंत्री महोदय सभा को बताने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : प्रयत्न कर तो रहे हैं परन्तु असफल रहा है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : प्रादेशिक भाषाओं के बारे में, इस नीति के मूल्यांकन अथवा राज्यों के लोगों द्वारा यह बताने कि इसे कहां तक कार्यान्वित किया गया है प्रसारण क्यों नहीं होते। केन्द्रीय सरकार प्रादेशिक भाषाओं को अपने पावों पर खड़ा होने में सहायता देने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : प्रधान मंत्री के भाषण के अनुवादों के काफी प्रसारण अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों में हुए हैं। कई अवसरों पर उन्हें पुनः प्रसारित भी किया गया यह बात प्रसारणों के सम्बन्ध में है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मुझे यहां प्रधान मंत्री के भाषण के सम्बन्ध में नहीं पूछना। मैंने तो लोगों द्वारा राज्यों में जनता के नाम वार्ता प्रसारित करने के बारे में पूछा था।

Shri Sarjoo Pandey. I want to know whether broadcasts are made by A.I.R. Stations in non Hindi areas in the local language as well as Hindi ? Whether such arrangement exist ?

Shrimati Indira Gandhi : Is the hon. Member referring to any particular State or all non-Hindi States ?

Shri Sarjoo Pandey : I wanted to know about all non-Hindi areas.

Shrimati Indira Gandhi : News are broadcast in Hindi and I think Vividh Bharti programmes are also broadcast in Hindi but other programmes are not broadcast in Hindi.

Shri Sarjoo Pandey : May I know whether programmes in Hindi and regional languages are broadcast simultaneously from Radio Stations in non-Hindi areas ?

Shrimati Indira Gandhi : Not simultaneously.

Shri Yashpal Singh : On what particular ability the broadcasts over A.I.R. will be made regarding language policy ? Because only day before Yesterday *i.e.* on 10th when there was no sitting of the House, A.I.R. had broadcast that the debate on the Demands of the Ministry of Rehabilitation will continue on the 10th. In view of this, can we hope that this language policy could be explained by the A.I.R. ?

Shrimeti Indira Gandhi : I was not aware of this. But if this has happened, I regret.

लड़ाकू विमानों के लिये अमरीकी सहायता

*836. { **श्री प्र० चं० बरूआ** :
 श्री विद्याचरण शुक्ल :
 श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री दिसम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 383 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायुसेना के लिये शक्तिशाली विमान देने और/अथवा उनका निर्माण करने में अमरीकी सहायता देने के बारे में अमरीकी वायु सेना के विशेषज्ञों के प्रतिवेदन की जांच इस बीच पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मोटी-मीटी बातें क्या हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) तथा (ख). जैसा कि 7 दिसम्बर, 1964 को उत्तर दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या 383 के उत्तर में बताया गया है, संयुक्त राज्य के विशेषज्ञों के दल ने उच्च कार्यक्षमता के लड़ाकू विमानों को देने या उच्च कार्यक्षमता के कोई नये लड़ाकू विमानों को भारतीय वायु सेना के लिए बनाने के मसले पर विचार नहीं किया। उसकी रिपोर्ट में एच0एफ०-24 विमान को बनाने सम्बन्धी सुविधाओं तथा इसका और विकास करने के लिए आवश्यक सहायता का जिक्र है। इस रिपोर्ट पर विचार कर लिया गया है और एच०एफ०-24 विमान की निर्माण दर बढ़ाने के लिए मुख्य तथा अन्य उपकरणों की सप्लाई प्राप्त करने तथा प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधाओं के लिए संयुक्त राज्य को प्रार्थना की गई है।

श्री प्र० चं० बरूआ : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या अमरीका सरकार ने प्रेजिडेंट अयूब की अमरीका यात्रा तक भारत को 'एफ-5' विमान देने का मामला लम्बित रखने का निर्णय किया है और संकेत दिया है वह हमें विमान तभी देगा जब कि पाकिस्तान को

भी यह उपहार दिया जाए, और क्या पाकिस्तान के पास एफ०-104 विमानों का पूरा सक्वाड्रन पहले से ही है जो एफ-5 विमानों से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं ? यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री अ० म० थामस : जैसा मैंने पहले अपने मुख्य उत्तर में बताया यह दल भारत में सुपरसानिक लड़ाकू विमानों को देने के सम्बन्ध में भारत नहीं आया था। हमने अपनी आवश्यकताएं अमरीका सरकार को बता दी हैं। हमें अभी तक उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई।

श्री प्र० चं० बरूआ : क्या 'एफ० एच०-24 मैक' का सुधरा हुआ वह नमूना, जिसकी परियोजना है, एफ-5 विमानों की गति तथा कार्यकुशलता की तुलना कर सकता है ? यदि हां, तो इसके निर्माण के लिये भरसक प्रयत्न क्यों नहीं किये जाते जिससे एफ-5 विमान आयात करने की आवश्यकता ही न रहे ?

श्री अ० म० थामस : यह एच० एफ-24 मैक-I मुख्यतः धरती से आक्रमण करने के कार्य के लिए बनाए जाने हैं। वायुमंडल में जा कर आक्रमण कर के मार गिराने के लिये हमें मैक-II विमान चाहियें। इसके लिए हम 'मिग–21' का निर्माण करने वाले हैं। जैसा मैंने पहले बताया 'जैट' लड़ाकू विमानों को देने के लिये हमने अपनी आवश्यकताएं अमरीका सरकार को बता दी हैं।

श्री जोकीम आल्वा : प्रश्न तो यह है कि क्या रिपोर्ट से पूर्व अथवा इसके पश्चात् अमरीका सरकार ने हमें उन एफ-104 विमानों को देने से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है जो पाकिस्तान को पहले ही दिए जा चुके हैं। तथाकथित इन्कार के पश्चात् भी उन्हें एक और स्क्वाड्रन मिल चुका है। क्या इसके बदले में हमें किसी अन्य किस्म के लड़ाकू विमान देने का प्रस्ताव किया गया है जिनमें अपेक्षाकृत शक्ति, चालनक्षमता अथवा ऊंचाई कम हो ?

श्री अ० म० थामस : मेरे विचार से चल रही बातचीत बताना उचित न होगा। हमें अमरीका सरकार द्वारा पाकिस्तान को दिये जाने वाले विमानों का भी ठीक-ठीक पता नहीं है। जैसा मैंने पहले बताया है हमने अपनी आवश्यकताएं अमरीका सरकार को बता दी हैं और हमें उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है।

Shri Ram Sewak Yadav : In 1962, at the time of the Chinese Aggression the American Experts said that Supersonic aircrafts are needed. Therefore I would like to know that today, after 2½ years, if we do not have even a single aircraft of this type, who is to belame Indian Government or U.S. Government ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मेरे विचार से इस मामले को थोड़ा और स्पष्ट करने की आवश्यकता है। हमने 'एफ–104 जी' विमानों की अपनी आवश्यकताएं बता दी हैं। गत वर्ष मेरी अमरीका यात्रा के दौरान मेरी अमरीका सरकार के प्रतिनिधियों से इस सम्बन्ध में बातचीत हुई थी परन्तु उन्होंने न तो इसे स्वीकार किया न अस्वीकार किया। वार्ता इसी स्तर पर है। हमें विश्वास हो चुका है कि यह विमान हमें नहीं मिलेंगे। बात केवल यही है। निश्चय ही इस प्रकार के विमानों की हमें आवश्यकता है जो वायुमंडल में विमानों को मार गिराने के लिये बहुत उपयोगी हों। इसीलिये हमने 'मिग–21' के सुधरे

नमूने के विमानों के 3 स्क्वाड्रनों के लिये रूस सरकार से बातचीत आरम्भ कर रखी है। जैसा मैंने कुछ दिन पूर्व सभा में बताया था हमें इस वर्ष के अन्त तक तीनों के तीनों स्क्वाडर्न मिलने की आशा है। फिर हमने धरती से सहायक आक्रमण करने योग्य विमानों के लिये भी प्रार्थना की थी। इसके लिये हमने एफ-5ए के लिए अपनी आवश्यकता बताई थी। इस पर अमरीका सरकार से अभी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस आधार पर कि हमारी मुख्य कठिनाई एच०-एफ०-24 के बारे में एक उपयुक्त इंजन प्राप्त करने की है जो हमें अभी तक नहीं मिल सका है, किस अनुमान के आधार पर सरकार अमरीका सरकार से एच०-एफ०-24 के लिये इंजन लेने के प्रश्न पर जोर दे रही है जबकि वह हमें ऐसे विमान बनाने को सहायता नहीं देवे जो उनके द्वारा पाकिस्तान को दिए गए विमानों अच्छाइयों की तथा बुराइयों के बराबर ही हैं अथवा कुछ अधिक ही अच्छे हैं ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : हमें प्रश्न को अस्पष्ट नहीं बनाना चाहिये। वास्तव में हमने अमरीका से कहा था कि हमें वह एच०-एफ०-24 के लिए मैक-I की किस्म का इंजन बनाने के लिए यंत्र तथा मशीनरी दे। वास्तव में यही बात कही गई थी। एच०-एफ०-24 मक-II के लिए इंजन लेने के बारे में हमें अमरीका से कुछ बातचीत नहीं करनी है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरा प्रश्न तो बिल्कुल दूसरा ही था। मैंने तो मैक-II के बारे में कुछ नहीं पूछा था।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हमें तो मैक-I इंजन चाहिए। विमान का ढांचा हमने बना लिया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जब हमारे पास ढांचा है तो हम अमरीका से परामर्श क्यों ले रहे हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं ने स्पष्ट कर दिया है। प्रश्न तो इस किस्म के विमानों का निर्माण बढ़ाने के बारे में हैं। उसके लिये वास्तव में हमें संयत्र तथा मशीनरी चाहिये।

श्री हरि विष्णु कामत : यदि मुझे ठीक से याद हैं तो 2 सप्ताह पहले मंत्री महोदय ने एक प्रश्न के उत्तर में सभा में बताया था कि चीन की ओर से हमें आण्विक खतरा नहीं परन्तु परम्परागत अस्त्रों एवं शस्त्रों का खतरा है। तो क्या मंत्री महोदय सभा को स्पष्ट तथा निश्चित रूप से यह बताने की स्थिति में हैं कि जहां तक विमानों को मार गिराने का सम्बन्ध है। क्या भारत की वायु सैन्य शक्ति चीन और पाकिस्तान की सम्मिलित शक्ति का मुकाबला करने में असमर्थ है ?

श्री यशवतराव चव्हाण : इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है। हम इसका अनुमान लगा सकते हैं। मैंने पहले ही कहा है कि वायु सेना के मामले में हमें अभी कुछ तैयारियां करनी हैं। हमें वायु सेना के आधुनिकरण तथा विस्तार के लिए परियोजनायें बनाई जा रही हैं। मैं चीन और पाकिस्तान की सम्मिलित क्षमता के बारे में निश्चित रूप से कोई उत्तर नहीं दे सकता। हम पूरी तैयारियां कर रहे हैं।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : क्या यह समझ लिया जाए कि सरकार द्वारा एच०-एफ०-24 के लिये आवश्यक इंजन मिस्र से प्राप्त करने का विचार छोड़ दिया गया है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : जी नहीं। कदापि नहीं । ऐसा तो नहीं कहा गया। एच-एफ-24 मैक II के लिये इंजन प्राप्त करने के लिए समझौते की वार्ता अभी चल ही रही है ।

जोलैया (त्रिपुरा) पर पाकिस्तान का कब्जा

*837. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने चटगांव सीमा पर जोलैया (त्रिपुरा) हिल नामक स्थान पर कब्जा कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान ने इस पर जबर्दस्ती कब्जा कर लिया है ; और

(ग) इसे उनके कब्जे से छुड़ाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी नहीं। भारतीय प्रदेश के अन्तर्गत कबाइलियों का जोलैया नाम का एक गांव है । जोलैया के बारे में कोई विवाद नहीं है, और इस विशिष्ट क्षेत्र में पाकिस्तानियों द्वारा घुसपैठ की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि त्रिपुरा सीमा पर जहां वास्तव में यह जोलैया स्थित है पाकिस्तानी सेनायें एकत्रित हो रही हैं और जो उस क्षेत्र में रहते हैं उनके हितों की रक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : जैसा कि मैं ने मूल उत्तर में बताया जोलैया गांव भारतीय प्रदेश में स्थित है और वहां पर कोई घुसपैठ नहीं हुई है । उस क्षेत्र से लगा हुआ 5 वर्ग मील का एक टुकड़ा है जो कि फेनी नदी के ऊपरी भाग में एक विवादग्रस्त क्षेत्र समझा जाता है । उसी क्षेत्र में पाकिस्तानी सेनाओं का जमाव है ।

श्री स० मो० बनर्जी : यह ठीक है कि जोलैया पर पाकिस्तान ने कब्जा नहीं किया है परन्तु उनके वक्तव्य से यह प्रतीत होता है कि इसी क्षेत्र से लगा हुआ 5 वर्ग मील का एक दूसरा क्षेत्र है जहां पर पाकिस्तानी सेनाओं का जमाव है । मैं माननीय मंत्री से विशेष रूप से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस क्षेत्र पर पाकिस्तान द्वारा कब्जा किया हुआ है ।

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : जी, नहीं । इस क्षेत्र में ही घुसपैठ की जाती रही है, जोलैया गांव में बिल्कुल नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह पाकिस्तान के कब्जे में नहीं है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : जी, नहीं । जोलैया गांव पाकिस्तान के कब्जे में नहीं है । (**अन्तर्बाधा**) ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने बताया कि यह विशिष्ट क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में नहीं है, परन्तु इसी से लगे हुए 5 वर्ग मील के एक दूसरे क्षेत्र में घुसपैठ हुई है । प्रश्न यह था कि क्या उस 5 वर्ग मील के क्षेत्र में केवल घुसपैठ की गई अर्थात् लोग वहां पर आये और वापस चले गये या वह अभी तक पाकिस्तान के कब्जे में है ।

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : वह अभी तक पाकिस्तान के कब्जे में है और वह विवादग्रस्त क्षेत्र है । हमने ऐसे प्रबन्ध करने का प्रयत्न किया कि जिससे यह विवाद निबट जाये, परन्तु अभी तक इस कार्य में हम सफल नहीं हुये हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : श्रीमन्, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं माननीय मंत्री से जोलैया के बारे में नहीं वरन् एक दूसरे विशिष्ट क्षेत्र के बारे में जिसका उल्लेख उन्होंने अपने उत्तर में किया है एक प्रश्न पूछा गया। प्रश्न यह था कि क्या वह क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में है । उन्होंने उत्तर दिया कि वह एक विवादग्रस्त क्षेत्र है, उसमें घुसपैठ की गई, इत्यादि। क्या हमें एक स्पष्ट उत्तर नहीं मिल सकता है कि क्या पाकिस्तानी सेनाओं ने उस विशिष्ट क्षेत्र पर वास्तव में कब्जा कर लिया है या नहीं। यही ठीक-ठीक मेरा प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री बनर्जी, उन्होंने उसी प्रश्न का स्पष्ट उत्तर दिया है । फिर व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I want to know that the hon. Minister has told that....

Dr. Ram Manohar Lohia : I have a point of order. Whenever a question is asked about an area, every time the hon. Minister saves himself by saying that it is a disputed area. Will you henceforth not accept such a reply in the House. Every time it is replied about any area in our territory that it is a disputed area.

Mr. Speaker: It is not my job. How can I not accept such a reply?

Dr. Ram Manohar Lohia : I am raising a point of order.

Mr. Speaker : It is Government's job, not mine.

Dr. Ram Manohar Lohia : In regard to the demarcation of boundaries a dispute may arise for two yards on this side or on that side, but I want to know whether there is atleast any map of India or not which we worship ?

Mr. Speaker : How can I say that there should be no disputed area now, henceforward ?

Dr. Ram Manohar Lohia : It should not be stated.

Mr. Speaker : This is the responsibility of the Government and the Government should realise it. How can I do it ?

Dr. Ram Manohar Lohia : Is it graceful for any Minister to utter such words ? It is an anti-national Government.

अध्यक्ष महोदय : क्या हमें संसद् में ऐसे आरोप लगाने चाहियें जो एक दूसरे पर इस प्रकार लगाये जा रहे हैं ? कुछ शिष्टता भी रखनी चाहिये ।

श्री रंगा : मेरे दो माननीय मित्रों श्री बनर्जी तथा डा० लोहिया द्वारा उठाये गये व्यवस्था के दो प्रश्नों और उनके द्वारा दिये गये वक्तव्यों से मैं समझता हूं कि शायद उनकी आपत्ति उस ढंग के लिए है जिसमें मंत्री ने प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न किया है। उनके कथनानुसार मंत्री ने ठीक-ठीक उत्तर देने में टालमटोल की है । आपने जो

सहायतापूर्ण अन्तःक्षेप किया उससे मुझे जान पड़ा कि उन्होंने यह उत्तर घटनावश ही दे दिया। क्योंकि उन्होंने इतनी परेशानी और उत्सुकता का कारण पैदा किया? कोई ऐसा तरीका होना चाहिये जिससे उनके द्वारा दिये गये उत्तरों में संक्षिप्तता, परिशुद्धता तथा सच्चाई आपको मिल सके।

अध्यक्ष महोदय : कभी कभी विरोधी सदस्य मुझे ऐसी शक्तियां भी देने के लिये अत्यधिक उदार हो जाते हैं जो मेरी नहीं हैं और कभी कभी वे उनको कम कर देना चाहते हैं। निश्चय ही ऐसे अवसर अलग परिस्थितियों में होते हैं। यह मेरा अधिकार है। परन्तु अब प्रश्न पूछना माननीय सदस्यों का काम है और उसका उत्तर देना मंत्री का। मंत्री या सरकार द्वारा दिये गये उत्तर में हस्तक्षेप करने का अध्यक्ष को पारिभाषिक दृष्टि से सर्वथा अधिकार नहीं है और न ही किसी भी प्रजातंत्र में ऐसा किया जाता है। परन्तु थोड़े समय से यह प्रक्रिया यहां बन गयी है और शायद इस का कारण यहां विरोधी सदस्यों की कम संख्या होना है जिससे कतिपय अवसरों पर इस कमी का थोड़ा भाग अध्यक्ष को पूरा करना पड़ता है यद्यपि सर्वथा अध्यक्ष का कार्य यह नहीं है कि वह बीच में हस्तक्षेप करें और प्रश्न का स्पष्टीकरण करें या मंत्री ने जो उत्तर नहीं दिया है उसको पाने का प्रचल करें। साधारणतया सभा को ही अपना दवाब डालना चाहिए। परन्तु इस अवसर विशेष पर यह संभ्रम इसलिये पैदा हुआ होगा क्योंकि प्रश्न ही एक क्षेत्र विशेष के बारे में था। मंत्री ने इस बात पर जोर देना चाहा कि वह क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में नहीं है और न ही उसमें घुसपैठ की गई है। परन्तु उन्होंने स्वेच्छा से ही यह भी बता दिया कि उस क्षेत्र से लगे पांच वर्ग मील के एक दूसरे क्षेत्र में घुसपैठ की गई और इसी के बाद उन्होंने यह भी बता दिया कि वह पाकिस्तान के कब्जे में है।

श्री रंगा : यही कारण है कि हमें व्यवस्था के प्रश्न उठाने पड़े जिन पर आप आपत्ति उठाते हैं। प्रश्न काल में भी व्यवस्था के ये प्रश्न उपयोगी रहते हैं।

श्री हेम बरूआ : एक दूसरा क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में है और उन्होंने यह भी बताया कि यह एक विवादग्रस्त क्षेत्र है।

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : मैं ने यह नहीं कहा कि जोलैया एक विवादग्रस्त क्षेत्र है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह नहीं कहा कि वह क्षेत्र अर्थात् जोलैया जिसका प्रश्न में उल्लेख है विवादग्रस्त क्षेत्र है। परन्तु उन्होंने बताया कि दूसरे क्षेत्र को अपना बताकर पाकिस्तान द्वारा विवाद उठाया जा रहा है।

श्री हेम बरुआ : यह विवादग्रस्त क्षेत्र है। इससे प्रकट होता है कि उस क्षेत्र पर पाकिस्तान के कब्जे को वह न्यायोचित बताना चाहती हैं जिसको हम लोग नहीं चाहते।

अध्यक्ष महोदय : यही बात डा० लोहिया ने भी उठायी थी। यह सरकार को बताना चाहिये कि देश के हित में वास्तव में क्या है; यह मेरा काम नहीं है। सरकार के ऊपर यह उत्तरदायित्व है .....

श्री हेम बरुआ : श्रीमन्, आपको प्राधिकार है कि आप उनसे इसका उत्तर दिलवायें।

अध्यक्ष महोदय : यह मेरा काम नहीं है; यह उनका कार्य है कि वे ये देखें कि तथ्य क्या हैं और उसका क्या उत्तर दें।

श्री हेम बरुआ : श्रीमन्, यह आपको करना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : ी, नहीं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : पूर्वी भाग में अर्थात् आसाम, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती विवादग्रस्त क्षेत्रों के बारे में समझौता करने तथा उसको अन्तिम रूप देने के उद्देश्य से पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के साथ स्वर्गीय प्रधान मंत्री ने बैठकें कीं। अब हमें बताया जाता है कि दूसरे क्षेत्र भी हैं जो पहले की भांति ही विवादग्रस्त हैं और पाकिस्तान के कब्जे में हैं। सभा को यह जानकारी दी जाय कि वास्तव में कौन से ऐसे भाग हैं जो उसके कब्जे में हैं परन्तु जिन पर हम अपना होने का दावा करते हैं। नहीं तो, यह बात प्रश्नों और उनके उत्तर से पता चल सकती है ।

Shri Radhyelal Vyas : Mr. Speaker, I want to make a request to you. Just now Dr. Lohia has stated that it is an anti-national Government. I want that these words may be expunged. If such words are used for a Government which has been elected by the people and that Government is named as anti-national.

Mr. Speaker : I have already advised that if we flung such accusations on each other and utter such words like anti-national . . .

Shri Radhey lal Vyas : This has been told not for any one but for all the people.

Mr. Speaker : I have already stated that the saying of such words is not justified. Here there are some clashes but to name any person, any Member or even any party as anti-national is not justified.

Shri Ram Sewak Yadav : This word has been uttered not for any person but for the Government.

Mr. Speaker : The Government is also comprised of Members. I was telling Shri Vyas that I had already objected at that moment. I said that such words should not be spoken and I have noted. I have already given a direction in this regard.

Shri Bagri: I have a point of order. Whether the Members may press the Minister to withdraw the wrong statement made by her in reply to a question? Whether the Members have this right or not ? For example, Pakistan has occupied our land by force and we say that what the Minister is telling is wrong and controversial. Whether in this case the House has the right to say something in regard thereto ?

Mr. Speaker : The House enjoys many powers to take action against a Minister and even against the Government. If there is any apparent and technical discrepancy and it is put before the House and then generally I intervene therein. But neither it is a point of order nor it is that we start to say that it is anti-national or we start to speak any other word. No point of order may be raised thereon. If there is any discrepancy and it may not be settled then and there,there is only one alternative that any Member who thinks or feels that incorrect answer has been given, may write to me about it and I may ask

the Minister why he has given an incorrect answer. Then that Minister shall explain it in the House or shall make a statement clarifying the position and the Member shall be satisfied.

अध्यक्ष महोदय : श्री कछवाय ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : श्रीमन्, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह जानकारी उपलब्ध है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : फेनी नदी की नदी वाली सीमा के बारे में कई बार इस सभा में प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है ।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती रेण चक्रवर्ती ने विस्तृत उत्तर के लिये कहा है कि जिसमें अधिक मेहनत और काम करने की आवश्यकताए होगी । अतएव, मैं माननीय मंत्री से वह वक्तव्य सभा पटल पर रखने के लिय निवेदन करूंगा ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Just now the Minister has stated that Pakistan is concentrating its forces. It is a trick being played by Pakistan and Pakistan is working in a planned way. It is concentrating its forces along the border. I want to know whether we have also made any preparation or not at the places where the forces are being concentrated by it ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): श्रीमन्, हम वहां की समस्या से अवगत हैं और मेरे विचार से अपनी की गई तैयारियों के बारे में ब्योरा देना बिल्कुल ठीक न होगा ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The Pakistan forces are concentrating.....

Mr. Speaker : How can you be informed about the number of forces posted there. It will not be correct to intimate about it.

आकाशवाणी के गैर-भारतीय कर्मचारी

+

*838. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री दाजी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाश वाणी द्वारा रखे गये गैर-भारतीय कर्मचारी कलाकारों को कोई विदेश भत्ता दिया जाता है ;

(ख) क्या यह सच है कि उनको अन्य कर्मचारी कलाकारों के समान मंहगाई, नगर तथा मकान किराया भत्ते नहीं दिये जाते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो गैर-भारतीय कर्मचारियों के विरुद्ध इस प्रकार के विभेदपूर्ण व्यवहार के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) जी हां। उन अभारतियों को, जो विदेश में भर्ती किये जाते हैं, 250 रुपये प्रतिमास विदेश भत्ता दिया जाता है, लेकिन जो अभारतीय भारत में भर्ती किये जाते हैं, वे इस भत्ते के अधिकारी नहीं हैं।

(ख) जी, हां ।

(ग) सब भारतियों को चाहे वे विदेश में भर्ती हुए हों या भारत में, अन्य कर्मचारियों से ज्यादा फीस दी जाती है। इसके अतिरिक्त, विदेश में भर्ती किये जाने वाले सभी अभारतियों को 250 रुपये प्रति मास का विदेश भत्ता भी दिया जाता है। अतः अभारतीय कर्मचारियों के प्रति भेदभाव का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री इन्द्र जीत गुप्त : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन गैर-भारतियों को भारत में ही भर्ती किया जाता है और उन को आकाशवाणी के भारतीय कर्मचारियों के समान नहीं समझा जाता, यदि हां, तो उनको अन्य कर्मचारियों की भांति मंहगाई भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता तथा मकान के किराये का भत्ता क्यों नहीं दिया जाता ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : इस का कारण स्पष्ट है। पहली नवम्बर 1961 से पहले विदेश प्रसारण सेवा में कार्यक्रम सम्बन्धी पद नियमित सरकारी वेतनक्रमों के अनुसार थे। उन में बहुत से पर्यवेक्षक या अनुवादक आदि थे। उस तिथि से इन पदों को स्टाफ आर्टिस्टों में परिवर्तित कर दिया गया है। गैर-भारतीय दो प्रकार के हैं। एक वे जिन को विदेशों में भर्ती किया जाता है और दूसरे वे जिन को भारत में भर्ती किया जाता है। वेतन के अतिरिक्त उन को 250 रुपये प्रतिमाह का भत्ता भी मिलता है। स्टाफ आर्टिस्टों को सुविधायें उपलब्ध कराने में कोई भेदभाव नहीं बरता जाता । जहां तक गैर-भारतीय स्टाफ आर्टिस्टों का सम्बन्ध है इसके अलावा वास्तव में कोई भेदभाव नहीं है।

श्री इन्द्र जीत गुप्त : क्या आकाशवाणी में कुछ नेपाली नागरिक स्टाफ आर्टिस्टों के रूप में भर्ती किये गये हैं; और यदि हां, तो उन की उपलब्धियां क्या हैं।

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : वे सब एक ही श्रेणी में हैं। मेरे विचार में गैर-भारतियों की संख्या लगभग 21 है ।

श्री दाजी : मंत्री महोदय ने कहा है कि कोई भेदभाव नहीं है। मैंने उन्हें यह कहते भी सुना है कि उन को भत्ते नहीं दिये जाते। क्या यह भेदभाव नहीं है। क्या उन को भत्ते दिये जाते हैं अथवा नहीं ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : मैं पर्यवेक्षकों के वेतनक्रम बता सकता हूं जैसे जो भारत में भर्ती किये गये हों 575 रुपये—910 रुपये, इसके साथ मंहगाई भत्ता, मकान के किराये का भत्ता, नगर प्रतिकर तथा अन्य भत्ते । गैर-भारतीय जो भारत में भर्ती किये गये हों 650 रुपये—1,000 रुपये। गैर-भारतीय जिन्हें विदेशों में भर्ती किया गया हो 650 रुपये—1000 रुपये तथा 250 रुपये का समुद्रपार भत्ता। अनुवादकों की तीन श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी का वेतन क्रम है 260 रुपये—630 रुपये तथा अन्य सामान्य भत्ते। गैर-भारतीय जिनको भारत में ही भर्ती किया जाये 350 रुपये —705 रुपये। इसके साथ कोई भत्ता नहीं, क्योंकि उन का वेतनक्रम भारतियों से अधिक है। अनुवादक एवं वाचक जो विदेशों में भर्ती किये जाते हैं 350 रुपये—750 रुपये तथा 250 रुपये समुद्रापार का भत्ता।

Strike by Employees of Canteen Stores Department (India)

S.N.Q.9. **Shri Bagri :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Kishen Pattnayak :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Yashpal Singh :
Shri Ram Sewak Yadav :
Shri S.M. Banerjee :
Shri Warior :
Shri Daji :
Shri Inderajit Gupta :
Shri Alvares:

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that more than 5000 employees of the Canteen Stores Department (India), Bombay have gone on strike for an indefinite period from the 1st April, 1965 ;

(b) whether they had placed some demands before Government, before they went on strike ; and

(c) if so, their demands and the action proposed to be taken by Government to put an end to the strike ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू): (क) केन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (भारत) के कुल कर्मचारियों की संख्या अफसरों सहित सिर्फ 2,051 है । इन कर्मचारियों की बड़ी संख्या (अफसरों सहित) 1 अप्रैल, 1965 से हड़ताल कर रही है ।

(ख) जी हां ।

(ग) यूनियन ने अपनी मांगों की सूची 16 दिसम्बर, 1963 को पेश की थी ; इसमें कई बातें सम्मिलित थीं – यथा वेतन, मंहगाई, घर भाड़ा तथा अन्य भर्तों, निर्वाह निधि तथा ग्रेचुइटी की दरों का परिवर्तन, बोनस देना, कर्मचारियों का जीवन बीमा, छुट्टी यात्रा की सुविधायें, स्वास्थ्य सुविधायें, पदोन्नति की सारणियां और कर्मचारियों को पक्का करना । यूनियन की मुख्य मांग यह थी कि उनकी वेतन दरें तथा बोनस का भुगतान जीवन-बीमा निगम के आधार पर किया जाय ।

उनकी मांगों की प्रारम्भिक जांच के बाद, रक्षा मंत्री ने जो केन्टीन सेवाओं के बोर्ड आफ कन्ट्रोल के अध्यक्ष हैं, 2 जुलाई, 1964 को यूनियन से विचार-विमर्श किया । मंत्रालय के एक सह सचिव की अध्यक्षता में एक तदर्थ समिति कर्मचारियों के सहयोग से मांगों की छानबीन करने के लिये नियुक्त की गई । तदर्थ समिति की रिपोर्ट पर बोर्ड आफ कन्ट्रोल ने 17 दिसम्बर , 1964 को विचार किया । बोर्ड आफ कन्ट्रोल ने मुख्य दोनों मांगों में से किसी को भी स्वीकार नहीं किया । तदर्थ समिति ने भी इन को मुख्य मांगों को स्वीकार करने की सिफारिश नहीं की थी । तथापि, कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (भारत) कर्मचारी दयालुता निधि की पिछले वर्ष की 40,000 रुपये की धन राशि को बढ़ाकर 4,50,000 रुपये कर दिया गया। इस फण्ड को खर्च करने सम्बन्धी नियमों में नरमी लाकर उसके प्रारूप को अन्तिम रूप दिया जा चुका है और वे नियम बोर्ड आफ कन्ट्रोल के सामने रखे जा रहे हैं ।

बोर्ड आफ कन्ट्रोल की नीति कर्मचारियों को कई बार बतलाई जा चुकी है, किन्तु वे अपनी मांगों को मनवाने के लिये लगातार प्रयत्न करते रहे हैं । बोर्ड आफ कन्ट्रोल की यह हार्दिक इच्छा है

कि कर्मचारी उन सुविधाओं को समझें जो उन्हें पहले ही दी जा चुकी हैं और वे अपनी हड़ताल समाप्त कर दें ।

Shri Bagri : Is it a fact that the hon. Defence Minister made a statement in this House that these canteens are run on commercial lines; if so, is it proposed to pay salary and allowances to canteen stores employees on commercial basis ?

The Minister of Defence (Shri Y.B. Chavan) : It was proposed to give pay and allowances like that. They can be treated like the workers of ordnance Corps. It has been accepted as a convention.

Shri Bagri : The talks between workers and Government for calling off strike have failed. Is the Government considering to arbitrate so that the strike is called off ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : इस प्रकार की बात मानी नहीं जा सकती, हां, हाल ही में मैंने इस विषय पर कर्मचारी संघों के नेताओं से बातचीत की है । मैं उन की अनुमति से कहना चाहता हूं कि वहां पर माननीय सदस्य श्री बनर्जी भी उपस्थित थे । मैंने उन से अनुरोध किया था कि वे तदर्थ समिति के निर्णयों तथा सिफारिशों को मान जायें और इस पर कन्टीन कन्ट्रोल बोर्ड ने भी बहुत सहानुभूति पूर्ण रवैया दिखाया है । मेरे विचार में श्री बनर्जी ने भी उन को यह बात कहने को सहमत थे परन्तु खेद का विषय है कि कर्मचारी संघ के नेताओं ने इसे माना नहीं ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Is it not the responsibility of the Government to pay bonus to workers of Marygaon dock ?

About 70 workers among them are suffering from tuberculosis. Has the Government considered this ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : हम इस संगठन में बोनस की बात को नहीं मान सकते क्योंकि इस बात का कानूनी दर्जा कुछ विभिन्न है । परन्तु वास्तव में हमने दयालुता निधि में अधिक राशि दी है और इसके वितरण सम्बन्धी नियमों को और नरम किया जा सकता है । मैंने यह सुझाव दिया है । जो राशि दयालुता निधि द्वारा दी जाती है वह वास्तव में बोनस के आधार पर ही होती है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : No answer has been given regarding the tuberculosis patients.

Shri Y.B. Chavan : Some facilities can be given to them.

Shri Kishan Pattnayak : Is it a fact that the Public Accounts Committee had recommended in 1952-53 for determining its status, but it has not been done during these 13 years ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : इस विषय पर हम ने लोक लेखा समिति तथा महालेखा पाल से पत्र व्यवहार किया था । यह बहुत जटिल विषय है और इस बारे में हमें निर्णय करने हैं । हो सकता है इस विभाग को सरकार का एक विभाग बना दिया जाय । यदि ऐसा कर दिया गया तो इस का प्रयोजन ही बदल जायेगा । हम कोई बीच का मार्ग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं । परन्तु यदि हमें इस में सफलता नहीं मिलती तो हमें कोई अन्तिम निर्णय करना होगा ।

Shri Yashpal Singh : Can the Government indicate the time when it will be solved or it will continue like this ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मैं इस बारे में नहीं जानता। यह कर्मचारियों और उन के संघों पर निर्भर करता है कि हड़ताल के बारे में निर्णय करें। हड़ताल के बावजूद हमें अपना कार्य करना है।

श्री स० मो० बनर्जी : जैसा माननीय मंत्री ने कहा है कि वह इस कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों को मेरे साथ हो कर मिले हैं और इस विषय पर बातचीत हुई है। क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि कर्मचारियों को आश्वासन दिया गया है कि सभी बातों में जैसे सेवा की शर्तों, मजूरी तथा अन्य शर्तों में इन कर्मचारियों को आयुध कर्मचारियों के बराबर अपने आप ही माना जायगा. . . .

श्री यशवन्त राव चह्वाण : बदलना।

श्री स० मो० बनर्जी : परन्तु उनको पूर्ण रूप से सरकारी कर्मचारी मानने पर सहमत नहीं है। इसी कारण से कर्मचारियों ने न तो मंत्री महोदय की बात सुनी और न ही मेरी। मैं जानना चाहता हूं कि उन कर्मचारियों को अपने आप ही सरकारी कर्मचारी समझा जायगा या वास्तव में भी ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : जी हां। जो आश्वासन मैंने माननीय सदस्य तथा कर्मचारी संघ के नेताओं को दिया था वह अब भी है।

श्री वारियर : इस बात को देखते हुए कि सरकार ने निधि बढ़ा दी है। कैन्टीन कर्मचारियों को और क्या लाभ होगा और राशि को भत्ते के रूप में बांटा कैसे जायेगा ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : दयालुता निधि और उसका वितरण कुछ नियमों के अनुसार है। उन के विचार में ये नियम कुछ निर्बन्धक है और वांछनीय प्रयोजनों के लिये उन से लाभ नहीं उठाया जा सकता। परन्तु हम इस बात से सहमत हैं कि इन नियमों को नरम बनाया जा सकता है और इस का प्रयोग उन की इच्छा के अनुसार हो सकेगा।

श्री दाजी : सरकार इस अनियमिता की स्थिति से कैसे निकलेगी ? एक ओर तो आप उन को सरकारी कर्मचारियों के समान नहीं समझते और दूसरी ओर व्यापारिक कर्मचारी भी नहीं मानते और बोनस आदि का लाभ नहीं देते। आपको चाहिये कि या तो उन के साथ सरकारी कर्मचारियों जैसा व्यवहार करें और बोनस का प्रश्न न उठे या उन्हें व्यापारिक कर्मचारी या निगम के कर्मचारी मानें। तब वे उन सभी सुविधाओं के अधिकारी होंगे कि जो व्यापारिक उपक्रमों के कर्मचारियों को मिलती हैं। परन्तु सरकार दोनों में अपना लाभ चाहती है। सरकार का उन की मांग के प्रति क्या विचार है।

श्री यशवन्त राव चह्वाण : यह बात तर्कसंगत है। माननीय सदस्य ने बात स्पष्ट रूप में बता दी है। परन्तु खेद है कि इस संगठन की कानूनी स्थिति इन बातों से मेल नहीं खाती।

श्री दाजी : तब इस की कानूनी स्थिति में परिवर्तन कर दीजिए।

श्री यशवन्त राव चह्वाण : इसीलिये ही तो हम उन को सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिये असैनिक कर्मचारी माना है। वह सुझाव अभी भी है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या किसी समय इस विभाग के प्रबन्धकों तथा कर्मचारियों के बीच झगड़ों आदि के निपटाने के लिये बातचीत की व्यवस्था थी ? यदि हां, तो उस का क्या हुआ और यह बातचीत असफल क्यों हुई और यदि कोई व्यवस्था नहीं थी तो यह व्यवस्था क्यों नहीं की गयी ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : इस विशेष विषय के बारे में मैंने एक संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में एक तदर्थ समिति नियुक्त की थी। उस समिति ने इस विषय पर कर्मचारियों तथा कर्मचारी संघों से लम्बे समय तक विचार विमर्श किया था और मुझे अपनी रिपोर्ट दी थी। मैंने स्वयं भी कर्मचारी संघों के नेताओं से दो बल्कि तीन बार बातचीत की है।

श्री अल्वारेस : 1956 और 1962 के बीच कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट का लाभ 15 लाख रुपये से 56 लाख रुपये हो गया है। इस से सिद्ध होता है कि इस में अर्थ क्षमता है। क्या माननीय मंत्री इस समस्या के समाधान के लिये इस पर मध्यस्थ निर्णय करायेंगे ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : इस बारे में शब्द 'लाभ' ठीक नहीं है। हां कुछ फालतू है। यह इस विभाग को रेलवे द्वारा उपलब्ध करायी गयी सुविधाओं तथा आयकर अधिनियम के लागू होने में रियायत के कारण है। वास्तव में लाभ नहीं है। यह निधि और फालतू धन प्रायः सेना के कल्याण के लिये प्रयोग में लाये जाते हैं। इस राशि को बनाये रखने के लिये ही इसे रखा जाता है। इसी लिये हम कोई मार्ग ढूंढ़ रहे हैं। अन्त में यदि तर्क संगत बात उठायी गयी तो इसे एक विभाग या व्यापारिक निगम में परिवर्तित करना पड़ेगा। इसमें बहुत समय लगेगा। जब हम यह मान लेते हैं कि इस को विभाग में या निगम में परिवर्तित कर दिया जाय तो उसमें बहुत समय लगेगा और वर्तमान हड़ताल का वह कोई हल नहीं है।

श्री दाजी : हड़ताल समाप्त हो चुकी होगी।

श्री प्रिय गुप्त : एक मालिक के लिये यह कानून के अन्तर्गत आवश्यक है कि वह कैन्टीन खोले, यदि हां, तो भारत सरकार के इन कर्मचारियों के वेतन क्रम तथा सेवा की शर्तें केन्द्रीय सवेतन आयोग सिफारिशों से विभिन्न क्यों हैं ? यह संगठन एक सरकारी संगठन है और गैर-सरकारी नहीं। यह एक सांविधिक संगठन है।

श्री यशवन्त राव चह्वाण : वास्तव में यह एक सरकारी विभाग नहीं है। अतः वे सरकारी कर्मचारी नहीं हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

भारत-पाकिस्तान सीमा का सीमांकन

*839. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व में अर्थात् आसाम, त्रिपुरा और पश्चिमी बंगाल के साथ अलग अलग भारत-पाकिस्तान सीमा का सीमांकन करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) त्रिपुरा, आसाम और पश्चिमी बंगाल के साथ कितनी सीमा का सीमांकन करना अभी भी बाकी है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन): (क) सीमा खंभे लगाकर निम्नलिखित पर रेखांकन का कार्य पूरा हो गया है :--

(1) पश्चिमी बंगाल-पूर्व पाकिस्तान की 1349 मील लंबी सीमा में से 1079 मील ;

(2) त्रिपुरा-पूर्व पाकिस्तान की 550 मील लम्बी सीमा में से 184 मील ; और

(3) असम-पूर्व पाकिस्तान की 620 मील लम्बी सीमा में से 423 मील।

(ख) निम्नलिखित पर रेखांकन का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है :

(1) पश्चिमी बंगाल-पूर्व पाकिस्तान सीमा के निम्नलिखित भागों पर :

बेरूबाड़ी, और हिली और महानंद, वोरंग और करातोवा नदियों और हुंकर खाल तथा वेकरी खाल के किनारे।

(2) त्रिपुरा-पूर्व पाकिस्तान सीमा के निम्नलिखित स्थानों पर :
त्रिपुरा-सिलहट सब-सैक्टर
त्रिपुरा-चटगांव। चटगांव हिल ट्रैक्ट्स सब-सैक्टर और
त्रिपुरा-नोआखली सब-सैक्टर में लगभग 22 मील।

(3) असम-पूर्व पाकिस्तान सीमा :
मीजो ज़िला-चटगांव हिल
ट्रेक्ट्स सब-सैक्टर
उमापति गांव के निकट एक मील, और
लाठी टीला--दूमाबाड़ी गांवों के निकट 6 मील।

भूमिगत नागाओं का इकट्ठा होना

*840. **श्री ·घ· ाथ सिंह :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में लुके छिपे काम करने वाले नागा आसाम-नागालैंड सीमा पर मिरयानी और दीमापुर के बीच अनेक स्थानों पर इकट्ठे हो रहे हैं जिस से सीमां क्षेत्र में शांति को खतरा उत्पन्न हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मोटी-मोटी बातें क्या हैं ; और

(ग) इन पर सरकांर की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन): (क) और (ख). जी हां। असम-नागालैंड सीमा के साथ साथ हथियार बंद छिपे नागाओं के जमाव के समाचार मिले हैं। यह असंभव नहीं है कि हाल ही में हमारी सुरक्षा सेनाओं द्वारा असम राज्य के निकटवर्ती क्षेत्रों में जबर्दस्ती घुसपैठ करने वाले कुछ नागाओं की गिरपतारी के कारण ऐसा हुआ है।

(ग) सीमा के साथ सुरक्षा सेनाओं को सावधान कर दिया गया है। असम तथा नागालैंड, दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों की सहमति से दोनों सरकारों के अधिकारीगण जबर्दस्ती घुसपैठ की घटनाओं की सम्मिलित रूप से जांच कर रहे हैं और इसकी भी गिरपतारी किन परिस्थितियों में की गई।

तिब्बत पर भारतीय दृष्टिकोण

*841. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान सभा पटल पर 18 फरवरी, 1965 को रखे गये पीकिंग समर्थक साम्यवादियों की गतिविधियों के बारे में गृह-कार्य मंत्री के श्वेत-पत्र में दिये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि उक्त साम्यवादियों ने चीन द्वारा तथाकथित "तिब्बत को स्वतंत्र कराने" के प्रश्न पर उल्टा और राष्ट्र विरोधी रवैया अपनाया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले में अपना दृष्टिकोण बदल कर दलाई लामा तथा तिब्बती राष्ट्रवादी देशभक्तों के लिये सक्रिय सहानुभूति तथा समर्थन प्रदान करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन): (क) यह सच है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वाम-पंथी कुछ सदस्यों को 1959 में तिब्बत में चीन सरकार द्वारा विद्रोह को दबाने की खबर पर संतोष हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वामपंथी सदस्यों का यह रवैया सारे भारतीयों की भावना से अलग था जिनके मन में तिब्बत के लोगों के दुख में और उन्हें मानवाधिकारों से वंचित कर दिए जाने के कारण गहरी हमदर्दी थी ।

(ख) और (ग). भारत ने तिब्बत को चीन लोक गणराज्य का स्वायत्त क्षेत्र स्वीकार किया है, और उसका यह कहना है कि चीन इस स्वायत्तता का आदर करे । हमारे इस निश्चय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

संसद् सदस्यों को प्रकाशनों का दिया जाना

*842. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री कपूर सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि विभिन्न मंत्रालयों द्वारा प्रकाशित कई पुस्तकें, विवरणिकायें तथा पुस्तिकायें सभी संसद् सदस्यों को दी जाती हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इनमें से कई प्रकाशन संसद् सदस्यों के लिए बेकार होते हैं ; और

(ग) क्या मितव्ययता की दृष्टि से ऐसे प्रकाशन संसद् सदस्यों को न भेजने का सरकार का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) इस मंत्रालय को मालूम है कि कई एक पुस्तकें, विवरणिकायें तथा पुस्तिकायें सभी संसद् सदस्यों को विभिन्न मंत्रालयों द्वारा बांटी जाती हैं ।

(ख) इस मंत्रालय को इस बात का कोई ज्ञान नहीं ।

(ग) जहां तक इस मंत्रालय का सम्बन्ध है, लोक सभा और राज्य सभा सचिवालयों द्वारा संसद सदस्यों को केवल वही प्रकाशन बांटे जाते हैं जो उनकी जानकारी के लिये उपयोगी समझे जाते हैं ।

धर्म प्रचारकों द्वारा नेफा के आदिम जातीय व्यक्तियों का धर्म परिवर्तन

*843. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ईसाई धर्म-प्रचारकों ने नेफा के आदिम जातीय लोगों को भारी संख्या में ईसाई बनाया है ;

(ख) क्या उनको ईसाई बनाने में कोई राजनैतिक उद्देश्य है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन): (क) जी नहीं । हालांकि विगत समय में धर्म परिवर्तन के कुछ मामले हुए थे ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Arab Countries' Relations with W. Germany

*844. **Shri Kishen Pattnayak :**
Shri Bagri :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the fact that ten Arab countries have decided to sever their diplomatic relations with West Germany and six Arab countries have decided to recognize East Germany ; and

(b) if so, the reaction of Government to this important development ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Dinesh Singh) : (a) Pursuant to decisions taken at the Arab Foreign Minister's meeting in Cairo on the 14th March, 10 Arab countries have withdrawn their Ambassadors from Bonn but have not so far severed diplomatic relations with West Germany. The question of recognition of East Germany and breaking off of diplomatic relations will presumably arise if West Germany and Israel exchange Ambassadors.

(b) The Government are opposed to an arms race in West Asia and share the concern of the Arab countries in this regard. The Government is keeping a close watch on developments in this region.

बोनस आयोग की सिफारिशें

*845. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थायी श्रम-समिति की हाल की बैठक में मालिकों और मजदूरों के बीच बोनस आयोग की सिफारिशों के सम्बन्ध में कोई समझौता नहीं हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो मतभेद मुख्यत: किन बातों पर रहा ;

(ग) उक्त बैठक में अन्य किन किन बातों पर विचार किया गया और क्या क्या सुझाव दिये गये ; और

(घ) सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) सम्बन्धित पक्षों में कोई समझौता नहीं हुआ ।

(ख) मतभेद मुख्यत: उच्चतर बोनस लाभ, जहां भी विद्यमान हैं, की रक्षा के बारे में था ।

(ग) व (घ). मुख्य निष्कर्षों की एक प्रति संलग्न है । तदनुसार आगे कार्यवाही की जा रही है । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० —4177/65]**

"श्रम वीर" पुरस्कार

*846. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "श्रमवीर" राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए आवेदन पत्रों पर विचार करने के लिए समिति बनायी जा चुकी है और वह काम कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस सके सदस्य कौन कौन हैं ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में आवेदन पत्र समिति को प्राप्त हुए हैं और उसने उनकी छानबीन कर ली है ; और

(घ) अन्तिम निर्णय संभवत: कब तक किया जायेगा ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) अभी तक नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) आवेदन-पत्र प्राप्त हो रहे हैं । इस सम्बन्ध में प्रतिक्रिया संतोषजनक नहीं थी । इसलिए आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख बढ़ा कर 30 अप्रैल, 1965 कर दी गई है ।

(घ) पंचाट समिति स्थापित होने और उसके द्वारा आवेदन-पत्रों पर निर्णय देने के बाद यथाशीघ्र ।

अखबारी कागज उद्योग

*847. **श्री हेम राज :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अखबारी कागज उद्योग के कितने प्रतिनिधि संगठन हैं ;

(ख) उन्हें कौन कौन सी सुविधायें दी जा रही हैं ;

(ग) क्या उन्हें मान्यता देने के कोई नियम बनाए गए हैं और क्या उनकी प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ;

(घ) क्या सरकार ने मान्यता देने से पहिले इन संगठनों का प्रतिनिध्यात्मक स्वरूप सुनिश्चित कर लिया था ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ङ) तक. प्रेस के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले संगठनों को, इस रूप में मान्यता देने की पद्धति नहीं है । अतः सरकार के पास उन के बारे में कोई अधिकृत जानकारी नहीं है । फिर भी, अखिल भारतीय संगठनों से प्रेस सम्बन्धी मामलों में जब भी आवश्यक हो, सलाह मशविरा किया जाता है ।

एयर कम्प्रेसरों का निर्माण

*848. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री हेम राज :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
डा० महादेव प्रसाद :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 7 दिसम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1031 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गार्डन रीच वर्कशाप, कलकत्ता में एयर कम्प्रेसर बनाने के लिए जापान की फर्म मेसर्स होक्यत्सु कोग्यो कम्पनी, टोकियों के साथ सहयोग करने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी शर्तें क्या हैं ;

(ग) उत्पादन कब से आरम्भ होगा ; और

(घ) उस पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां । कलकत्ता स्थित गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड में पोर्टेबुल रोटरी एअर कम्प्रेसर्स बनाने के लिए एक लाइसेन्स करार नामा 26 फरवरी, 1965 को हस्ताक्षर किया गया ।

(ख) कम्प्रेसर्स, उनके भाग तथा अवयव भारत में बनाने की पूरी तथा सम्पूर्ण लाइसेंस और उन्हें कुछ पड़ोसी देशों में बेचने का गैर-सम्पूर्ण लाइसेन्स ।

(ग) कम्प्रेसर्स के कुछ भागों तथा अवयवों का निर्माण सितम्बर, 1965 में आरम्भ हो जायगा । गार्डन रीच वर्कशाप में बने हुए कम्प्रेसर्स का प्रथम उत्पादन जनवरी, 1965 में बाजार में आ जायगा ।

(घ) मशीन टूल तथा अन्य उपकरणों के लिए 6 लाख रुपये की पूंजी लागत की आवश्यकता होगी ; इसमें पूरा निर्माण आरम्भ हो जाने पर 15 लाख रुपये की लागत पूंजी होगी ।

भारतीय राकेट

*849. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री हिम्मत सिंहका :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) थुम्बा लांचिंग स्टेशन पर प्रयोग के लिए भारतीय राकेट बनाने में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) प्रथम भारतीय राकेट कब तक तैयार होने की संभावना है ?

प्रधान मंत्री तथा अनुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) जैसा कि 7 सितम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 6 के उत्तर में बताया गया था, तकनीकी जानकारी प्रदान करने तथा भारत में सेंटोर ध्वनि राकेट (Centaure Sounding Rockets) बनाने का लाइसेंस देने के लिये फ्रांस की सूद एविएशन के साथ एक करार हुआ है । तकनीकी जानकारी देने वाले कागजात प्राप्त हो गये हैं तथा परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्राम्बे का तकनीकी स्टाफ, जो कि सेंट्रल वर्कशाप में इन राकेटों का निर्माण करेगा, इन कागजात का अध्ययन कर रहा है । परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्राम्बे के पांच तकनीकी अधिकरी जिनको सूद एविएशन की फक्टरी में प्रशिक्षण के लिये भेजा गया था, हाल ही में भारत लौट आये हैं और इन राकेटों के बनाने वाली मशीनों को लगा रहे हैं ।

(ख) आशा की जाती है कि पहला भारतीय राकेट सन् 1966 के शुरू में तैयार हो जायेगा ।

द्वितीय अफ्रीकी-एशियाई सम्मेलन

*850. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 8 मार्च, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 309 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसा कोई सुझाव दिया है या उसका ऐसा सुझाव देने का विचार है कि 29 जून, 1965 को अल्जीयर्स में आरम्भ होने वाले द्वितीय अफ्रीकी-एशियाई सम्मेलन में रूस तथा मलेशिया के अतिरिक्त इजराइल को भी शामिल किया जाये ;

(ख) यदि हां, तो सरकार के सुझाव पर क्या प्रतिक्रिया हुई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इसराईल के भाग लेने का सवाल किसी देश ने नहीं उठाया था । बांडुंग में अफ्रो-एशियाई देशों का जो पहला सम्मेलन हुआ था उसमें इसराईल ने भाग नहीं लिया था । इसराईल द्वारा शामिल होने का मतलब यह होगा कि तमाम अरब देशों सहित बहुत-से देश सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे, और ऐसा होने पर, अफ्रो-एशियाई सम्मेलन प्रतिनिधि सम्मेलन नहीं रह पाएगा ।

भारतीय मजदूर संघ (संशोधन) अधिनियम, 1947

*851. **श्री मधु लिमये :**
श्री किशन पटनायक :
श्री शं० शा० मोरे :
श्री खाडिलकर :
श्री योगेन्द्र झा :
श्री शिव नारायण :
श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को विदित है कि मजदूर संघों को अनिवार्य रूप से मान्यता देने के सम्बन्ध में भारतीय मजदूर संघ (संशोधन) अधिनियम (1947 का 45) संविधि पुस्तक में विद्यमान है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस अधिनियम की धारा (2) के अधीन अधिसूचना जारी की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या निकट भविष्य में ऐसी अधिसूचना जारी करने का सरकार का विचार है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी नहीं ।

पाकिस्तानियों द्वारा युद्ध विराम रेखा का उल्लंघन

*852. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तानी सेना ने 24 और 25 मार्च, 1965 को नौशेरा तथा छम्ब क्षेत्रों में युद्ध-विराम रेखा का उल्लंघन किया था ;

(ख) यदि हां, तो भारतीय सेना के कितने सैनिक मारे गये थे ;

(ग) क्या कुछ पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गये थे या बन्दी बनाये गये थे ;

(घ) क्या यह भी सच है कि पाकिस्तानियों के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों से युद्ध-विराम रेखा का उल्लंघन की छः शिकायतें की गई थीं ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों ने इस बारे में कोई निर्णय दिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): (क) जी हां । नौशेरा क्षेत्र में छः बार और छम्ब क्षेत्र में चार बार ।

(ख) कोई नहीं ; किन्तु दो भारतीय सिपाहियों को चोटें आई थीं ।

(ग) कोई नहीं ; पांच पाकिस्तानी सिपाहियों को चोटें आई थीं ।

(घ) संयुक्त राष्ट्र सैनिक पर्यवेक्षकों के पास पाकिस्तान के खिलाफ 9 युद्धबन्दी रेखा उल्लंघन सम्बन्धी शिकायतें भेजी गईं ।

(ङ) इन शिकायतों के सम्बन्ध में मुख्य सैनिक पर्यवेक्षक के निर्णय का पता नहीं है, क्योंकि परिवर्तित कार्यविधि के अनुरूप वह उसी पक्ष को अपना फैसला बतलाता है जिस पर वह युद्धबन्दी रेखा उल्लंघन का दोष लगाता है ।

प्रतिरक्षा सेवा कर्मचारियों का महंगाई भत्ता

*853. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री विभूति मिश्र :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रतिरक्षा सेवाओं के कर्मचारियों को दिये जा रहे मंहगाई भत्ते में वृद्धि करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि की गई है और यह वृद्धि कब से लागू होगी ; और

(ग) क्या मंहगाई भत्ते की बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण : (क) जी हां ।

(ख) मंहगाई भत्ते की पुरानी तथा संशोधित दरें दर्शाने वाला, एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 9178/65**] । संशोधित दरें 1 अक्तूबर, 1964 से लागू हैं और इसलिए बढ़ौती उसी तिथि से देय है ।

(ग) जी हां ।

नेपाल द्वारा हिरासत में लिया गया भारतीय पुलिस दल

*854. श्री यशपाल सिंह :
श्री युद्धवीर सिंह :
श्री कृष्णपाल सिंह :
श्री हेम बरुआ :
श्री कपूर सिंह :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री बड़े :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री बूटा सिंह :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम सेवक :
श्री प० ला० बारुपाल :
श्री गौरी शंकर कक्कड़ :
श्री चुनी लाल :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री कैरों के कथित हत्यारे सुच्चासिंह का पीछा करने वाले भारतीय पुलिस दल को नेपाल की पुलिस ने हिरासत में ले लिया था ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने पुलिस दल को रिहा कराने तथा सुच्चासिंह के वापस लौटाये जाने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) एक भारतीय पुलिस दल नेपाल सरकार को पूर्व सूचना दिए बगैर सुच्चासिंह की तलाश में हथियार सहित नेपाल प्रदेश में चला गया था और नेपाली अधिकारियों द्वारा रोक लिया गया था ।

(ख) जब यह पता चला कि उक्त पुलिस दल नेपाल प्रदेश में घुस गया है, फौरन ही इस मामले को महामहिम की सरकार के साथ उठाया गया । महामहिम की सरकार ने स्थानीय अधिकारियों को आदेश दिए कि वे पुलिस दल को छोड़ दें और उनकी देखभाल करें । नेपाल के अधिकारियों ने वैसा ही किया । कुछ दिन हुए उक्त पुलिस दल भारत वापस आ गया ।

हमने सुच्चासिंह को अपनी हिरासत में लेने की प्रार्थना की है और नेपाल के महामहिम की सरकार उसके प्रत्यर्पण (एक्स्ट्राडिशन) की कार्रवाई कर रही है ।

चालू रजिस्टरों में दर्ज भूतपूर्व सैनिक

2163. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1964 को प्रत्येक राज्य में विभिन्न रोजगार दफ्तरों के चालू रजिस्टरों में दर्ज, काम ढूंढने वाले भूतपूर्व सैनिकों की संख्या कितनी थी ; और

(ख) 1964 में ऐसे कितने भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार दिया गया ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) और (ख). विवरण संलग्न है [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०--4179/65]।

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का पुनर्गठन

2164. **श्री राम हरख यादव :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने काम का समान तथा युक्तियुक्त वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अपने कुछ प्रभागों का पुनर्गठन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो पुनर्गठित प्रभागों का ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) जी हां ।

(ख) निम्नलिखित प्रभागों का पुनर्गठन किया गया है :--

(1) पश्चिमी

(2) दक्षिणी

(3) अफ्रीका और पश्चिम एशिया

(4) पाकिस्तान 1 और 2

(5) चीन

(6) आर्थिक

प्रत्येक प्रभाग में जो काम किया जाता है उसकी मात्रा और उसके आकार-प्रकार के आधार पर वहां एक सहसचिव अथवा एक निदेशक, उप सचिव, अवर सचिव, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी और सहचारी होते हैं ।

प्रत्येक प्रभाग की एक रजिस्ट्री है जिसकी देखभाल एक रजिस्ट्रार/अभिलेखापाल करता है । इनका काम है--रजिस्ट्री के रिकार्ड का रख-रखाव करना और प्रभाग के संबद्ध अधिकारियों को संबद्ध फाइलें और संदर्भ पुस्तकें आदि देना । रजिस्ट्रार/अभिलेखापाल की सहायता के लिए एक सहायक अभिलेखापाल होता है और डायरी, टाइप, निकासी, अनुक्रमाणिका तैयार करने और फाइलों को रिकार्ड करने जैसे रोजमर्रा के सारे कामों को करने के लिए

काफी संख्या में क्लर्क होते हैं । इस पद्धति की विशेषता यह है कि तमाम मामलों पर अवर सचिवों / सहचारियों के स्तर पर कार्रवाई शुरू की जाती है ; इनकी सहायता के लिए सहायक दिए होते हैं और उनसे यह प्रत्याशा की जाती है कि वे अपने निजी सहायकों / आशुटीपकों को सीधे लिखवाकर मिसिलों को निबटा दें । जिन महत्वपूर्ण मामलों पर नीति संबंधी निर्णय लेने होते हैं, उन पर उपसचिव / निदेशक / सहसचिव के स्तर पर कार्रवाई शुरू की जाती है । अवर सचिव और सहचारी 'लेवल जम्पिंग' के ढांचे के अंतर्गत अपना काम संबद्ध सहसचिव / निदेशक अथवा उपसचिव के पास, जैसी भी आवश्यकता हो, सीधे ही भेजते हैं ।

यह पद्धति मार्च 1962 से लागू है और अनुभव से यह देखा गया है कि इससे काम योग्यतापूर्वक और जल्दी निपटाया जाता है ।

Telephone Facilities in Bihar

*2165. **Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of Panchayat Samiti Offices in Bihar where telephones have been provided during the Third Plan period so far ;

(b) the extent to which this facility is proposed to be extended during the next three years and the amounts allocated for this purpose ; and

(c) the number of police stations and Block Headquarters in the State of Bihar, where there are no Public Call Offices, and when it would be possible to provide this facility at those places ?

The Deputy Minister in the Department of Communications (Shri Bhagavati) : (a) 24.

(b) 3 Panchayat Samiti Offices are likely to be provided with telephones during the remaining period of the Third Plan and the expenditure will be Rs. 20,000.

(c) Police Stations	170
Block Headquarters	256

Public Call Offices at the remaining Block Headquarters and Police Stations will be provided if the proposals are remunerative or on guarantee basis.

पांडिचेरी में ट्रान्समीटर

2166. **श्री धर्मलिंगम् :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांडिचेरी में मीडियम वेव का एक ट्रांसमीटर लगाने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो वह कब तक लगाया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी हां ।

(ख) अगले साल के मध्य तक ।

मद्रास में आकाशवाणी के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

2167. **श्री धर्मलिंगम्** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास में आकाशवाणी केन्द्र के कर्मचारियों के लिये पर्याप्त संख्या में क्वार्टर बनाये गये हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो उनके लिए आवास की व्यवस्था करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) मद्रास शहर से लगभग 22 किलोमीटर दूर आवड़ी में उच्च शक्ति का ट्रांसमीटर लगाने के काम में लगे कर्मचारियों के लिए वहां विभिन्न श्रेणियों के 46 क्वार्टर बनाए गए हैं । खास मद्रास में आल इंडिया रेडियो के अमले के लिए कोई क्वार्टर नहीं बनाए गए हैं ।

(ख) धन सीमित होने के कारण केवल उन्हीं स्थानों पर स्टाफ के लिए क्वार्टर बनाने का विचार किया जाता है, जहां मकानों की कठिनाई मद्रास से ज्यादा है ।

सामुदायिक रेडियो सेट

2168. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964 में संघ राज्य क्षेत्रों सहित राज्यों को (राज्यवार) कितने कितने सामुदायिक रेडियों सेट दिये गये ;

(ख) उनके आंकड़े किस आधार पर तैयार किये गये थे ; और

(ग) इन सेटों की देख भाल करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) और (ख). एक विवरण सदन की मेज़ पर रखा जा रहा है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० —4180/65]** यह सप्लाई करने वाले फर्मों से प्राप्त माल चालान सूचनाओं पर आधारित है ।

(ग) पंचायती रेडियो सेटों की देख रेख और उनके संचालन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ क्षेत्रों की है, और उनमें से अनेक ने अपने देख रेख संगठन स्थापित कर लिए हैं, जो आकाशवाणी द्वारा प्रेषित योजना के नमूने पर हैं । प्रत्येक राज्य और संघ क्षेत्र से आवश्यक ब्योरा एकत्रित किया जा रहा है , ताकि जो त्रुटियां हों, उनका पता लग सके और उन्हें दूर करने के उपाय किये जा सकें ।

Scheme for Hindi in A.I.R.

2169. **Shri M. L. Dwivedi :**
Shri S. C. Samanta :
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a scheme for doing work in Hindi in the All India Radio which was rejected some time back is being reviewed now ;

(b) whether any steps are being taken to restart the scheme for carrying on Hindi work in original ;

(c) whether in view of Government having decided to conduct their work in Hindi side by side in English, her Ministry has under consideration any proposal to expand such units under it so as to carry on their work in Hindi; and

(d) if so, the broad outline thereof ?

The Minister of Information and Broadcasting (Smt. Indira Gandhi): (a) There was no such scheme in A.I.R.

(b) Does not arise.

(c) and (d). This Ministry has under consideration certain proposals for the creation of additional posts in the Ministry and its Media Units, wherever considered necessary, to implement the orders relating to the progressive use of Hindi issued by the Ministry of Home Affairs.

पंजाब में टेलीफोन संबंध

2170. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य में अब तक किन किन पुलिस चौकियों में टेलीफोन की व्यवस्था की गई है ;

(ख) पंजाब में अभी भी कितनी पुलिस चौकियों में टेलीफोन की व्यवस्था नहीं है ; और

(ग) उनमें कब तक टैलीफोन की व्यवस्था कर दी जायेगी ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती): (क) लोक-सभा के पटल पर एक विवरण-पत्र रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० — 4181/65]**

(ख) 56 ।

(ग) अगले तीन वर्षों के दौरान ।

देहाती क्षेत्रों के लिये रेडियो सेट

2171. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1965 तक पंजाब तथा दिल्ली के देहातों क्षेत्रों में पृथक्-पृथक् कितने रेडियो सेट दिये गये ;

(ख) 31 जनवरी, 1965 को पंजाब तथा दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने रेडियो सेट ऐसे थे जिनका प्रयोग नहीं किया जा रहा था; और

(ग) इन बेकार पड़े सेटों को प्रयोग में लाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :

(क) पंजाब : 9,312 दिल्ली : 278

(ख) पंजाब : 1,238

दिल्ली : 87

(ग) पंचायती रेडियो सेट अच्छी तरह काम करते रहें, इस के लिए पंजाब सरकार ने देख रेख के और उप-केन्द्र खोले हैं, और लागत मूल्य पर बैटरी पैक और पुर्जे देने का प्रबन्ध किया है। दिल्ली प्रशासन ने अब बैटरियां दे दी हैं, इस लिए बेकार पड़े सेटों में से 90 प्रतिशत चालू हो गए हैं।

एच एफ-24 जेट विमान का इंजन

2172. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री एच एफ–24 जेट विमान के इंजन के बारे में 7 दिसम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1044 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स ब्रिसटल सिड्डले इंजीनियर्स लिमिटेड, लन्दन द्वारा पेश किये गये प्रस्तावों पर सरकार ने अब विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निश्चय किया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) तथा **(ख):** आरफियस 703 इंजन के प्रस्ताव पर अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

प्रतिरक्षा संस्थानों में वार्ता-व्यवस्था

2173. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा संस्थानों में वार्ता-व्यवस्था को पुनः चालू करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार ने इनको क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) जी, अभी नहीं।

(ख) तथा (ग). मामला सरकार के विचाराधीन है; और शीघ्र निर्णय के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

Labour Unions in Ordnance Factories

2174. **Shri Bade :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that many labour unions of the Communist party are operating in Ordnance factories and other Defence installations ;

(b) whether it is also a fact that they have been engaged in many subversive activities ; and

(c) if so, whether Government contemplate withdrawing the recognition to these Unions ?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) : (a) According to official records, 50 Unions are affiliated to Indian National Defence Workers' Federation of which 24 are recognised and 102 Unions are affiliated to All India Defence Employees' Federation of which 70 are recognised.

(b) No.

(c) Does not arise.

आर्डिनेन्स कोर में लोअर डिवीजन क्लर्क

2175. **श्री हेडा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1964 को आर्मी आर्डनेन्स कोर में लोअर डिवीजन क्लर्कों की कुल संख्या क्या थी ;

(ख) 31 दिसम्बर, 1964 को आर्मी आर्डनेन्स कोर में कितने लोअर डिवीजन क्लर्क अपने वेतन-क्रम की अधिकतम राशि ले रहे थे ;

(ग) आगामी तीन वर्षों में कितने लोअर डिवीज़न क्लर्कों के वेतन-क्रम की अधिकतम सीमा तक पहुंच जाने की संभावना है ; और

(घ) भाग (ख) और (ग) में उल्लिखित कर्मचारियों का औसत सेवा-काल क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): (क) 3909

(ख) 2595

(ग) 318

(घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और वह सदन पटल पर रख दी जाएगी ।

आर्डीनेन्स कोर में लोअर डिवीज़न क्लर्क

2176. **श्री हेडा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आर्डनेन्स कोर में अधिकांश लोअर डिवीज़न क्लर्क 30 साल तक नौकरी करने के बाद भी लोअर डिवीज़न क्लर्क के रूप में ही सेवानिवृत्त होते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार किस प्रकार स्थिति में सुधार करना चाहती है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): (क) तथा (ख). इस विषय में सूचना प्राप्य नहीं है और वह इकट्ठी की जा रही है। तथापि चूंकि लोअर डिवीज़न क्लर्कों की काफी संख्या काफी समय से उच्चतम वेतनमान पर पहुंच चुकी है, अतः लोअर डिवीज़न क्लर्कों के 400 पदों को अपर डिवीज़न क्लर्कों के पदों पर उन्नत करने का फैसला किया गया है और इस विषय में आदेश जारी किए जा चुके हैं ?

भारतीय वायु सेना के मैकेनिक की मृत्यु

2177. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री बड़े :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 12 जनवरी, 1965 की सान्ताक्रुज हवाई अड्डे पर इंजन के पंखे से भारतीय वायुसेना के एक मैकेनिक की मृत्यु हो गई ; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उपमंत्री (डा० दा० स० राजू): (क). एक मैकेनिक को जो एयर इण्डिया का एक कर्मचारी था, 12 जनवरी, 1965 को सान्ताक्रुज हवाई अड्डे पर भारतीय वायु सेना के एक विमान के नोदक से चोटें आई थीं, और वह घावों के कारण मर गया था।

(ख) दुर्घटना की जांच के लिए एक कोर्ट आफ इन्क्वायरी गठित की गयी है। सभी विस्तार कोर्ट आफ इन्क्वायरी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर जाने जा सकेंगे।

श्रम मंत्रालय का कैन्टीन

2178. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री बड़े :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली कैन्टीन कब स्थापित हुई थी, उसमें कितनी पूंजी लगाई थी और वह किस साधन से लगाई गई थी ;

(ख) क्या यह कैन्टीन बिना लाभ और हानि के आधार पर चलाई जा रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो जब से यह कैन्टीन स्थापित हुई थी तब से इसने प्रत्येक वर्ष कितना लाभ कमाया है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन चार विभागीय कैन्टीनें हैं। इन में से प्रत्येक के बारे में सूचना निम्न प्रकार है :—

केन्टीन का नाम	कब स्थापित हुई	कितनी पूंजी लगाई गई	पूंजी का साधन
1—नार्थ ब्लाक स्नैक केन्टीन	1948	9,000 रु०	7,500 रु० अनुदान के रूप में और 1,500 रु० भारत सरकार द्वारा स्वीकृत ऋण के रूप में।
2—फुलमील कैन्टीन, नौर्थ ब्लाक	1950	इन कैन्टीनों के लिए अलग अलग पूंजी नहीं लगाई गई क्योंकि ये पहली कैन्टीन की शाखायें हैं।	
3—"पी" ब्लाक कैन्टीन	1961		
4—डी० जी० ई० एण्ड टी० कैन्टीन	1962		

(ख) ये कैन्टीनें "बिना लाभ और हानि" के चलाई जाती हैं परन्तु बेची जाने वाली चीजों की कीमतें निर्धारित करते समय मामूली लाभ सेफ्टी मार्जिन के रूप में रख लिया जाता है।

(ग) इन कैन्टीनों के बारे में 1960-61 से वार्षिक आय और व्यय के आंकड़े नीचे दिये गये हैं :

1960-61	(अप्रैल से मार्च)	2,066.98 रु० हानि
1961-62	,, ,, ,,	7,071.57 रु० हानि
1962-63	,, ,, ,,	4,944.98 रु० लाभ
1963-64	,, ,, ,,	13,654.37 रु० लाभ

1964-65 अन्तिम आंकड़े अभी तक संकलित नहीं किये गए हैं।

भारत-पाकिस्तान जांच बैठक

2179. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री कपूर सिंह :
श्री प्र० के० देव :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करने वाला एक विंग कमांडर 12 अक्तूबर, 1964 को पाकिस्तानियों द्वारा गोली चलाये जाने तथा एक भारतीय पुलिस सिपाही के अपहरण के सम्बन्ध भारतीय आरोप की जांच करने के लिए पाकिस्तान में हाल में हुई संयुक्त भारत पाकिस्तान जांच ब क

से अचानक ही उठ कर चला गया था क्योंकि जिन गवाहों से पूछताछ की गई उनके बयान पूरी तरह से पाकिस्तान के खिलाफ थे ;

(ख) क्या त्रिपुरा सरकार ने उक्त अधिकारी के इस प्रकार बैठक से उठ कर चले जाने के विरुद्ध पूर्वी पाकिस्तान सरकार को अपना विरोध व्यक्त किया है ; और

(ग) यदि हां, तो कोई उत्तर प्राप्त हुआ हो तो वह क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) पाकिस्तान विंग कमांडर द्वारा पेश किए गए पहले गवाह के बयान के दौरान, उन्होंने संयक्त जांच बैठक को उस वक्त यकायक खत्म कर दिया जब उन्हें यह मालूम हुआ कि उक्त गवाह के साथ जिरह में सच्चाई का पता चल जायगा और पूर्व पाकिस्तान के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए मामले का झूठापन सामने आ जाएगा।

(ख) जी हां ।

(ग) पूर्व पाकिस्तान सरकार ने तथ्यों से इन्कार किया और संयुक्त जांच बैठक में भारतीय प्रतिनिधि के विरुद्ध बेबुनियाद आरोप लगाए ।

स्वचालित हथियार

2180. **श्री मं० रं० कृष्ण :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्णय किया है कि प्रतिरक्षा सेनाओं द्वारा स्टेनगनों का प्रयोग बन्द करके उनकी बजाय स्वचालित तथा अर्द्ध-स्वचालित हथियारों का प्रयोग किया जाये; और

(ख) सेनाओं को स्वचालित तथा अर्द्ध-स्वचालित हथियारों से पूरी तरह लैस करने में कितना समय लगेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): (क) कार्बाईन मशीनगन एक स्वयंचालित हथियार है । तदपि देश में निर्मित एस०ए० ऐफ० कार्बाईन को इसका स्थान दिया जा रहा है जो कार्बाईन मशीनगन से उत्कृष्ठ है ।

(ख) अबी तक, सैनिकों को अर्द्ध-स्वयंचालित राइफलें वितरित की जा चुकी हैं, और एक प्रावस्थित पुनः सज्जीकरण कार्यक्रम हस्तगत किया गया है । इस कार्यक्रम को सम्पूर्ण करने के लिए आवश्यक समय बताना लोकहित में नहीं है ।

Nichitpur Coal Company

2181. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Labour and Employment** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that about 150 employees attacked the Nichitpur Coal Company in the Dhanbad Coal Mines area on the 19th January, 1965 ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the action taken by Government in this connection ?

The Minister of Labour and Employment(Shri D. Sanjivayya) : (a) to (c). As a result of our eqnuiries a report has been received that there was a

clash between the members of two rival unions on January 18, 1965. The police arrested some persons and registered cases against them. The matter is *svbjudice*.

जम्मू और काश्मीर के लिये डाक सर्किल

2182. श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और काश्मीर के लिए एक पृथक डाक सर्किल बनाने की योजना स्वीकार कर ली है ;

(ख) क्या नये प्रस्ताव के अनुसार नया जम्मू और काश्मीर सर्किल आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद होगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो घाटे को कैसे पूरा किया जायेगा ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती): (क) यह मामला अभी विचाराधीन है।

(ख) कोई भी डाक-तार परिमण्डल बनाने का औचित्य मुख्यत: प्रशासनिक आधारों पर निर्भर है। समूचे विभाग को दृष्टि में रखते हुए आर्थिक क्षमता के प्रश्न की जांच की जाती है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कोयला खानों में दुर्घटनायें

2183. श्री प्रभात कार :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1962, 1963 और 1964 में भारत में विभिन्न कोयला खानों में कितनी गंभीर दुर्घटनायें हुईं जिनमें लोग अंगहीन हुए और मरे ;

(ख) उन खानों के नाम क्या हैं ;

(ग) दुर्घटनाओं के क्या कारण थे ; और

(घ) क्या यह निश्चित कर लिया गया है कि इन दुर्घटनाओं के लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार थे ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या): (क) 1962, 1963 और 1964 में कोयला खानों में हुई घातक और गंभीर दुर्घटनाओं की संख्या इस प्रकार थी :—

वर्ष	घातक दुर्घटनाओं की संख्या	गंभीर दुर्घटनाओं की संख्या
1962	229	3,125
1963	223	2,443
1964	163 (कच्चे)	1,889 (कच्चे)

(ख) ये दुर्घनायें देश की अधिकांश कोयला खानों में हुईं, जिनकी संख्या 850 से अधिक है ।

(ग) दुर्घटनाओं के कारणवार वर्गीकरण का एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०.टी० 4182/65]**

(घ) खान अधिनियम की धारा 23 (2) के अन्तर्गत ऐसी सभी दुर्घनटाओं की जांच होनी अपेक्षित है जिनमें जानी नुकसान हो । जानी नुकसान न करने वाली बड़ी गंभीर दुघनाओं की भी जांच की जाती है। जहां जांच की जाती है वहां सभी कारणों की जिम्मेदारी निश्चित की जाती है ।

घायल सैनिकों का पुनर्वास

2164. **श्री राम चन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल में घायल हुए ऐसे कुल कितने सैनिक हैं जिन्ह प्रशिक्षण तथा पुनर्वास के लिए विभिन्न व्यावसायिक चिकित्सा केन्द्रों में भर्ती किया गया है और जिनके लिए केन्द्रीय सरकार ने अनुदान दिये हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): काम पाने के अवसरों को बेहतर बनाने के विचार से 30 निर्योग्य सैनिकों को सरकार द्वारा स्वीकृत एक योजना के अन्तर्गत क्वीन मेरी तकनीकी स्कूल कर्की तथा विभिन्न औधोगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में व्यावसायिक तथा तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन सभी सैनिकों को राष्ट्रीय रक्षा निधि में प्राप्त अनुदानों से वजीफे दिए जा रहे हैं ।

2. निर्योग्य सैनिक आकुपेशनल थेरापी शल्टर्ड वर्कशाप 4 रूज एवेन्यु लेन, नई दिल्ली के प्रबन्ध में प्रशिक्षण पा रहे हैं ।

विशेष डाक टिकट

2185. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री कपूर सिंह :
श्री राम हरख यादव :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरदार वल्लभाई पटेल की स्मृति में विशेष डाक-टिकट जारी करने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती): (क) जी हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

C.O.D. Agra

2186. Shri Achal Singh: Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the amount of expenditure incurred per annum in 1963-64 and 1964-65 on the Civilian establishment of C.O.D., Agra in respect of their medical treatment, children's education, city allowance and house rent allowance ;

(b) whether Government have received any information that many of the employees in the C.O.D., Agra are getting large sums of money per month in the form of reimbursement of medical expenses, children's education and house rent allowance by indulging in malpractices ; and

(c) if so, the measures being taken to prevent such wastage of public money ?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan): (a) The information required is given below :

(i) *Medical reimbursement*—

		Rs.
Expenditure incurred during	1963-64	69,619·70
	1964-65	3,37,026·10

(ii) *Children Education Allowance*—

Expenditure incurred during	1963-64	71,041·05
	1964-65	1,65,475·20

(iii) *Compensatory (City) Allowance* :—

Expenditure incurred during	1963-64	3,08,171·23
	1964-65	3,20,536·97

(iv) *House Rent Allowance* :—

Expenditure incurred during	1963-64	6,06,608·38
	1964-65	6,31,455·64

(b) and (c). Certain cases of malpractices for the purpose of getting reimbursement of medical expenses had come to notice in 1961-62, and the cases were reported to the Police. The individuals concerned were tried in a Court who dismissed the cases of all individuals except one, whose case is still *sub-judice*. The question of taking departmental action against the remaining individuals is under consideration. A fresh case of malpractice in regard to reimbursement of medical expenses has come to notice recently and the matter is under investigation by the Police. No cases of malpractices in regard to drawal of children's education allowance and house rent allowance have come to notice. Further steps will be taken after the result of investigation.

पाकिस्तान के लिये पारपत्र

2187. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान जाने के हेतु पारपत्रों के लिए 1964-65 में भारतीय नागरिकों से कितने आवेदन -पत्र प्राप्त हुए ;

(ख) कितने आवेदन-पत्र मंजूर किए गए ; और

(ग) कितने आवेदन-पत्र अब भी सरकार के विचाराधीन हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होते ही सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

ब्रिटेन के लिये पारपत्र

2188. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले चार महीनों में ब्रिटेन के लिए कितने पार-पत्र जारी किए गए ;

(ख) उस अवधि में कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए और कितनों पर विचार किया गया; और

(ग) उस अवधि में कितने आवेदन-पत्र अस्वीकार किये गये ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) 1 नवम्बर, 1964 से 28 फरवरी 1965 तक की अवधि में यूनाइटेड किंगडम की यात्रा के लिए 5,534 पासपोर्ट जारी किए गए थ ।

(ख) 8,393

(ग) 309

सैनिकों के लिये कल्याण निधि

2189. श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
डा० महादेव प्रसाद :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सैनिकों के लिए कल्याण निधि बनाने का है ;

(ख) यदि हां, तो कब ।

(ग) निधि किस प्रकार बनाई जायेगी ; और

(घ) निधि को किस प्रकार इस्तेमाल करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (घ). पुनर्निमाण तथा पुनरावास के लिए, विशिष्ट निधि के नाम से भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लाभ के लिए सरकार ने एक नई निधि स्थापित करने का फैसला किया है ।

निधि राष्ट्रीय रक्षा निधि में से 5 करोड़ रुपये और केन्द्रीय सरकार से 1 करोड़ रुपये के आरंभिक अंशदान से घटित किया जा रहा है । राष्ट्रीय रक्षा निधि से अंशदान का 80 प्रतिशत, 1 जनवरी, तक हर राज्य से सशस्त्र सेनाओं के लिए, भरती किए गए, रंगरूटों की संख्या के आधार पर, राज्यों में बांट दिया जायेगा । केन्द्रीय सरकार से प्राप्त, अंशदान का 80 प्रतिशत भी, इसी आधार पर राज्यों में बांट दिया जायेगा, परन्तु इस शर्त के साथ, कि कोई राज्य इसे पाने का तब तक अधिकारी न होगा, जब तक वह इस निधि में इसके बराबर अंशदान न दे । राष्ट्रीय रक्षा निधि तथा केन्द्रीय सरकार के प्राप्त अंशदान का शेष 20 प्रतिशत, केन्द्रीय रिज़र्व के तौर पर रखा जायेगा । आशा है निधि शीघ्र ही काम करने लगेगी । फिलहाल ऐसा विचार है कि केन्द्रीय सरकार 1965–66 से लेकर लगातार तीन वर्ष निधि को अंशदान देती रहेगी, जिसके दौरान निधि को आरंभिक अंशदान प्राप्त होगा । अधिक विस्तार सरकार के विचाराधीन है ।

A.I.R. Programmes for Schools

2190. Dr. Mahadeva Prasad : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that programmes for schools are broadcast by All India Radio during academic period ;

(b) if so, the number of schools registered so far as audio schools; and

(c) whether an appraisal of the success of this programme has been made by Government ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shrimati Indra Gandhi) : (a) Yes, Sir.

(b) 28,228 as on the 31st December, 1964.

(c) Yes, Sir. These surveys have been particularly useful in giving All India Radio an idea of the needs of Schools and their problems regarding listening facilities. Relevant questions are taken up with the local authorities responsible for organising these facilities.

हज तीर्थ यात्री

2191. श्री विश्वनाथ पांडेय : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965 में अब तक कुल कितने यात्रियों को हज यात्रा के लिए पारपत्र दिये गये हैं; और

(ख) उनको क्या सुविधायें प्रदान की गई ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : एक ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० —4183/65]

राष्ट्रीय रक्षा कोष

2192. **श्री पाराशर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय रक्षा कोष में गोलमाल करने पर कितने सरकारी कर्मचारियों तथा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ;

(ख) किस प्रकार की कार्यवाही की गई है ;

(ग) कितने रुपयों का गोलमाल किया गया ; और

(घ) कितने मामलों की अभी भी जांच होनी है ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) से (घ). जानकारी प्राप्त की जा रही है और सदन पटल पर प्रस्तुत कर दी जायगी।

पोस्ट मास्टर जनरल के कार्यालय का स्थानान्तरण

2193. **श्री पाराशर :**
श्रीमती जोहराबेन चावड़ा :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पोस्ट मास्टर जनरल, सेन्ट्रल सर्किल, के कार्यालय को भोपाल ले जाने में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) यह कार्यालय वहां कब तक काम आरम्भ कर देगा ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती): (क) डाक-तार महाध्यक्ष के कार्यालय को नागपुर से भोपाल ले जाना जिस कठिनाई के कारण रुका हुआ है वह यही कि कार्यालय के लिए साथ ही डाक-तार महाध्यक्ष के कार्यालय के कर्मचारियों के रहने के लिए उपयुक्त स्थान की कमी है। इस मामले में मध्यप्रदेश के मुख्य मंत्री से व्यक्तिगत रूप से पहले ही बातचीत की जा चुकी है। जिन्होंने भोपाल में आवश्यक स्थान की व्यवस्था करने के लिए सभी संभव सहायता देने का वायदा किया है। गैर-सरकारी व्यक्तियों या संस्थाओं आदि से किराये पर आवश्यक स्थान प्राप्त करने के प्रयत्न भी किये जा रहे हैं।

(ख) जैसे ही उपयुक्त स्थान की व्यवस्था हो जायेगी डाक-तार महाध्यक्ष, सेन्ट्रल परिमण्डल का कार्यालय भोपाल में कार्य करना शुरू कर देगा।

टेली प्रिन्टर सेवा

2194. **श्री मि० सू० मूर्ति** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र सर्किल में डाक-तार विभाग के सभी संयुक्त कार्यालयों में टेलीप्रिंटर सेवा चालू कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर यह सेवा चालू कर दी गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो यह सेवा संभवतः कब तक चालू कर दी जाएगी ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती): (क) अभी तक केवल एक संयुक्त कार्यालय में चालू की गई है ।

(ख) तिरुपती ।

(ग) दूसरे संयुक्त कार्यालयों में टेलिप्रिंटर सेवा तब चालू की जाएगी जबकि उनके द्वारा निपटाए जाने वाले तारों की संख्या निर्धारित स्तर तक पहुंच जाएगी और टेलीप्रिंटर मशीनें पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होंगी ।

राष्ट्रमंडल प्रधान मंत्री सम्मेलन

2195. **श्री कोल्ला वेंकैया :**
श्री म० ना० स्वामी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रमंडल के प्रधान मंत्रियों का एक सम्मेलन जून में होगा ; और

(ख) यदि हां, तो क्या हमारी सरकार ने काय-सूची में सम्मिलित करने के लिए, किन्हीं विषयों का सुझाव दिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) जी हां ।

(ख) सम्मेलन की कार्यसूची का निर्णय करना अभी बाकी है । और जिन विषयों पर बात-चीत होनी है, उनका प्रचार-प्रसार नहीं किया गया है क्योंकि वे गोपनीय हैं ।

गोआ में लोह अयस्क कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता

2196. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोआ के कई प्रमुख लौह अयस्क खान मालिकों ने केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की अन्तरिम सहायता सम्बन्धी सिफारिशों को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया है ;

(ख) क्या खान मजदूरों ने इसके विरोध में हड़ताल करने की धमकी दी है ; और

(ग) उपेक्षा करने वाले मालिकों को सीधा करने के लिए क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) गोआ सरकार और केन्द्रीय औद्योगिक संबंध मशीनरी के अधिकारी दोषी नियोजकों से मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को लागू करवाने की कोशिश कर रहे हैं ।

मरमागोआ हड़ताल

2197. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मरमागोआ बन्दरगाह में हाल की हड़ताल के बाद नोभरक समवायों ने बड़ी संख्या में गोदी श्रमिकों को नियमित सेवा से बरखास्त कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) गोआ के लिए गोदी श्रमिक बोर्ड कब तक बनाने का विचार है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) हड़ताल शुरू होने के बाद नियोजकों ने कामगरों से व्यक्तिक रूप से सम्पर्क स्थापित किया और उन्हें काम पुनरारम्भ करने की सलाह दी, क्योंकि हड़ताल अकारण और अवैध थी और उससे कामगरों तथा नियोजकों के बीच हुए समझौते का उल्लंघन हुआ था। इसके बावजूद भी कामगर ड्यूटी पर नहीं आए; अतः नियोजकों द्वारा उनके नाम उपस्थित नामावली से निकाल दिए गए ।

इस हड़ताल द्वारा गेंग मैन (टोली मज़दूर) वार्जमन और विचमैन प्रभावित हुए । हड़ताल समाप्त होने के बाद टोली मज़दूरों को नैमित्तिक कामगरों के रूप में काम करने की इज़ाजत दी गई और उन्हें स्थायी करने के प्रश्न पर बातचीत हो रही है ।

मैसर्स चौगुले एण्ड कम्पनी के मैकेनीकल और हैंडलिंग प्लांट के 8 कामगरों को छोड़ कर बाकी सभी ने काम पुनरारंभ कर दिया है और इस कम्पनी के 15 वार्जमैनों को छोड़ कर बाकी सभी ने काम पुनरारंभ कर दिया है । मार्मागोवा पोर्ट, डाक एण्ड ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स यूनियन ने उन कामगरों के बारे में, जिन्हें काम पर जाने की इज़ाजत नहीं दी गई थी, कम्पनी के साथ सीधी वार्ता करने का संकल्प किया ।

जहां तक विचमनों का प्रश्न है, हड़ताल के दौरान बिना किसी बाधा के काम जारी रखने के लिए मार्मागोवा स्टेवेडोर्स एसोसियेशन ने विचमैनों का एक पूल स्थापित किया । अतः हड़ताल के बाद स्टेवेडोर्स (नौभरक) अपने कामगरों को उपस्थित नामावली पर वापस न ले सके। लेकिन संबंधित कामगरों से पूल में प्रवेश होने की प्रार्थना की गई । लगभग 650 विचमैनों ने पूल में प्रवेश किया । वे नैमित्तिक कामगरों के रूप में काम कर रहे हैं और उन्हें उनकी पिछली सेवाओं का मुआवजा देने का प्रश्न उचित आधिकारी के विचाराधीन है ।

(ख) सरकार कामगरों की वैध शिकायतों की जांच कर रही है ।

(ग) गोदी श्रमिक बोर्ड योजना को 21-4-1965 से शुरू करने का विचार है ।

सेना में पदोन्नति परीक्षायें

2198. **श्री अ० ब० राघवन :**
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना में अन्य श्रेणियों की पदोन्नति की मूल परीक्षायें तथा शिक्षा के तृतीय, द्वितीय और प्रथम श्रेणी के प्रमाणपत्रों की परीक्षायें केवल हिन्दी में होती हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की इन परीक्षाओं को पास करने में अहिन्दी भाषी जवानों को होने वाली कठिनाइयों का पता है; और

(ग) क्या स्वर्गीय श्री नेहरू के आश्वासन को पूरा करने तथा अन्य श्रेणियों को अपनी परीक्षायें अंग्रेज़ी में देने की अनुमति प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) जी हां। यह परीक्षायें 1947 से हिन्दी में हो रही हैं।

(ख) अहिन्दी-भाषी जवानों के इन परीक्षाओं में पास हो जाने में किसी प्रकार की कठिनाई की कोई रिपोर्ट नहीं मिली।

(ग) भर्ती के समय अधिकतर रंगरूटों की शिक्षा सम्बन्धी कुशलता निम्नस्तर की होती है, और उनमें से अधिकतर अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त कोई दूसरी भाषा नहीं जानते। ऐसे रंगरूटों के लिए, निर्धारित परीक्षाएं पास करने के लिए, अंग्रेज़ी की तुलना में हिन्दी की जानकारी प्राप्त करना सुगमतर होगा। इसलिए, वर्तमान प्रणाली में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का कोई विचार नहीं है।

नये सैनिक स्कूल

2199. **श्री अ० ब० राघवन :**
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री युद्धवीर सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1965-66 में नये सैनिक स्कूल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो वे कहां और कब स्थापित किये जायेंगे ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (डा० द० स० राजू): (क) (क) तथा (ख). 1965-66 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में नैनीताल के निकट घोडाखाल में एक सैनिक स्कूल खोलने की संभावना है।

भारतीय सीमान्त प्रशासन सेवा

2200. **डा० चन्द्रभान सिंह :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सीमान्त प्रशासन सेवा अधिकारियों की भर्ती तथा प्रशिक्षण की क्या पद्धति है ;

(ख) क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा (I.A.S.) क्या भारतीय विदेश सेवा (I.F.S) की तरह खुली प्रतियोगिता द्वारा उनकी भर्ती करने की कोई याजना है; और

(ग) 1962-63 तथा 1964 के अन्त में भारतीय सीमान्त प्रशासन सेवा (I.F.A.S.) में कुल कितने अधिकारी थे ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) इस सेवा में अभी तक विशेष चुनाव बोर्ड की सिफारिश पर भर्ती की गई है; यह बोर्ड इसी उद्देश्य की पूर्त्ति के लिए बनाया गया है। भर्ती ज्यादातर सेवा में लगे हुए अधिकारियों में से ही की गई। उन्हें नेशनल अकादेमी आफ़ एडमिनिस्ट्रेशन में सामान्य प्रशिक्षण दिया गया और उसके बाद राजस्व, विधि और प्रशासन के क्षेत्रों में जिला स्तर पर प्रशिक्षण दिया गया।

(ख) यह निर्णय किया गया है कि भविष्य में उक्त सेवा के लिए संघ लोक सेवा आयोग (यू० पी० एस० सी०) के जरिये भर्ती की जायगी ।

(ग) क्रमश: 72, 74, और 76 ।

Postal Stamps

*2201. **Shri P.L. Barupal :**
Shri Samnani :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state whether Government propose to print in Hindi all the stamps issued by the Post Offices throughout the country, with a view to promote Hindi, the official language ?

Deputy Minister in the Department of Communications (Shri Bhagavati) : Being the official language, Hindu in Devnagri script, will also find a place on all Indian postage stamps as soon as practicable.

Nepal's Foreign Postal Service

*2202. **Shri Raghunath Singh :**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state whether it is a fact that with effect from 13th April of this year Nepal will itself run its Foreign Postal Service which India has been handling since 1816 ?

Deputy Minister in the Department of Communications (Shri Bhaagwati) : With effect from 13th April, 1965, under the provisions of the bilateral agreements signed between India and Nepal for the exchange of insured letters and parcels, Nepal will have her own insured and parcel post service to foreign countries. So far these services were provided through the Indian Embassy P.O. in Kathmandu. Nepal became a member of the Universal Postal Union in 1956. She established a letter mail service with foreign countries on the 14th April, 1969 for which she had previously to depend on the Indian Embassy P.O.

सैनिक वेषभूषा का प्रदर्शन

2203. **श्री मलाइ छामी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर प्राचीन ऐतिहासिक-काल से देश के सभी वर्गों के योद्धाओं की सैनिक वेशभूषा का प्रदर्शन करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो क्या देश में योद्धाओं के वर्गों की कोई सूची तैयार की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) सन् 1966 में गण राज्य दिवस पर राजधानी में जो परेड होगी उसमें 1965 की भांति भारत के विभिन्न समयों के सैनिक वेश-भूषा का प्रदर्शन करने का प्रस्ताव किया गया है । इस काम के लिए प्राचीन भारत सहित कुछ समय निर्धारित किया जायगा । इसमें विभिन्न समयों पर जोर दिया

जायगा, न कि विभिन्न लड़ाकू जातियों पर। इस सिलसिले में जो चुनाव किया जायगा, उसमें सब नहीं सम्मिलित किया जा सकता।

(ख) रक्षा मंत्रालय ऐतिहासिक अनुभाग की सहायता से विभिन्न समयों में इस्तेमाल की जाने वाली वेशभूषाओं की एक सूची तैयार करने का प्रयत्न करेगा।

जवानों के लिये भूमि

2204. **श्री युद्धवीर सिंह :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चीनी आक्रमण के दौरान सीमा पर लड़ने वाले जवानों अथवा उनके परिवारों को भूमि देने के लिए कितने राज्यों ने योजनायें तैयार की हैं, और योजनाओं का राज्यवार ब्योरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): एक विवरण संलग्न है, इसमें वे प्रदेश दिखलाये गये हैं जिन्होंने रक्षा सेवाओं के कार्मिकों तथा उनके परिवारों को जमीन दी है या रिजर्व की है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी.—4184/65]**। इसमें वे जवान भी शामिल हैं जो चीन के आक्रमण के समय सीमा पर लड़े थे। हमने प्रदेश सरकारों तथा संघीय क्षेत्रों से उन योजनाओं का विवरण भेजने के लिए लिखा है जिन्हें उन सरकारों ने रिजर्व की गई या प्रदान की गई जमीनों पर भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके परिवारों को बसाने के लिए बनाया है या बनाने का प्रस्ताव है। उनके उत्तरों की प्रतीक्षा है।

दर्जियों द्वारा प्रदर्शन

2205. **श्री युद्धवीर सिंह :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री कपूर सिंह :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 24 मार्च, 1965 को दिल्ली के दर्जियो ने संसद् भवन के सामने प्रदर्शन किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने प्रधान मंत्री को कोई मांग-पत्र दिया था ;

(ग) यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगें क्या हैं; और

(घ) सरकार ने उनकी मांगें पूरी करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या): (क) जी हां।

(ख) जी नहीं

(ग) दर्जियों की मांगें इस प्रकार बताई गई हैं:—

(1) कृष्णामूर्ति जांच समिति की सिफारिशों को लागू करना ;

(2) श्रम कानूनों के अन्तर्गत छुट्टी, पर्व की छुट्टियों आदि के लाभ की मंजूरी ; और

(3) मजदूरी में वृद्धि ।

(घ) अप्रैल, 1964 में दिल्ली प्रशासन ने दर्जियों की मांगों की जांच-पड़ताल करने के लिए एक जांच समिति स्थापित की जिसके सदस्य दिल्ली औद्योगिक न्यायाधिकरण के भूतपूर्व प्रधान अधिष्ठाता, श्री ई. कृष्णमूर्ति थे। नियोजकों ने इस समिति को सहयोग नहीं दिया । इसलिये समिति ने एक पक्षीय निर्णय दे दिया । नियोजकों की एसोसियेशन ने जांच समिति की नियुक्ति के खिलाफ पंजाब उच्च-न्यायालय में समादेश पत्र (रिट-पैटीशन) भी दायर कर दिया, जिस पर अभी तक निर्णय नहीं हुआ । पूरी कोशिशों के बावजूद भी सौहार्दपूर्ण समझौता कराना सम्भव नहीं हो सका । दिल्ली प्रशासन इस मामले में आगामी कार्यवाही पर विचार कर रहा है ।

भारत में अमरीकी युद्ध कालेज दल

2206. **श्री म० ना० स्वामी :**
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री राम सहाय पांडेय :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका के नेशनल वार कालेज के 36 अधिकारियों का एक दल भारत आया है ;

(ख) क्या यह दल हमारे निमंत्रण पर आया है ;

(ग) उनके आने का विशिष्ट प्रयोजन क्या है ;

(घ) इस दल के साथ किन-किन विषयों पर बातचीत की गई; और

(ङ) क्या अमेरिका तथा कनाडा के सैनिक अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से कोई बातचीत की गई थी ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (डा० द० स० राजू): (क) तथा (ग). राष्ट्रीय रक्षा कालिज यू० एस० ए० के निदेशक कर्मचारिगण तथा छात्र-अफसरों के 36 के एक दल ने 25 से 29 मार्च, 1965 तक भारत का भ्रमण किया ।

रक्षा कालिजों के ऐसे दल हर वर्ष विभिन्न देशों का भ्रमण करते हैं, कि छात्र-अफ़सर अपनी जानकारी बढ़ा सकें । भारत जब कि, नेशनल वार कालिज यू० एस० ए०, राष्ट्रीय रक्षा कालिज कनाडा, इम्पीरियल डिफेन्स कालिज यू० के० और राष्ट्रीय रक्षा कालिज थाईलैण्ड के कार्यक्रम में शामिल रहता है, हमारे राष्ट्रीय रक्षा कालिज के दल भी पड़ौसी देशों का भ्रमण करते रहे हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) कोई सरकारी बातचीत नहीं हुई, तदपि अनौपचारिक तौर पर उनके प्रश्नों के उत्तर दिये गये थे ।

(ङ) जी नहीं ।

मलयेशिया के उपप्रधान मंत्री

2207 { **श्री म० ना० स्वामी :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री कोल्ला वेंकैया :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलयेशिया के उपप्रधान मंत्री हाल में भारत आये थे ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी यात्रा का क्या उद्देश्य था और उनके साथ बातचीत का क्या परिणाम निकला ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) जी हां ।

(ख) उप प्रधान मंत्री वास्तव में कुछ अफ्रो-एशियाई देशों की यात्रा पर जा रहे थे । परन्तु वे दो दिन के लिए दिल्ली में भी रुके और उन्होंने प्रधान मंत्री तथा अन्य लोगों से बातचीत की । बातचीत बहुत ही मित्रतापूर्ण थी । उप प्रधान मंत्री ने इंडोनेशिया के साथ मलयेशिया के झगड़े पर अपने विचार व्यक्त किये । यह सभी जानते हैं कि मलयेशिया के साथ हमारे सम्बन्ध बहुत सौहार्दपूर्ण हैं ।

केरल में विस्फोट

2206. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 26 मार्च, 1965 को केरल राज्य में कावासेरी में आतिशबाजी के एक कारखाने में हुए विस्फोट के परिणामस्वरूप पांच व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी; और

(ख) यदि हां, तो विस्फोट के क्या कारण थे ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) जी हां । विस्फोट के परिणामस्वरूप छः व्यक्तियों की मृत्यु हुई ।

(ख) यह सूचित किया गया है कि काबासेरी के एक कृषि-मकान में आतिशबाजी का निर्माण कार्य विस्फोट नियम, 1940 के विरुद्ध किया जा रहा था । ठेकेदार के पास उस स्थान पर आतिशबाजी बनाने का कोई 'लाइसेन्स' न था । वह मकान इस कार्य के लिए उचित न था । जांच-पड़ताल के समय घटना-स्थल से एकत्र किये गये नमूनों से यह पता चलता है कि इन में से कुछ वस्तुओं के बनाने में 'क्लोरेट' का प्रयोग किया जा रहा था । यह सम्भव है कि जब

कृषि-मकान में सुग्राही निषिद्ध 'पोटासियम 'क्लोरेट' और 'सलफर' तथा ऐल्युमिनियम पाउडर का मिश्रण इस्तेमाल किया जा रहा था तब यह दुर्घटना हुई।

अल्लप्पे बन्दरगाह में मजदूरों की मजूरी

2209. **श्री बासुदेवन नायर :**
श्री वारियर :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल राज्य के अल्लेप्पे बन्दरगाह में अनाज उतारने के ठेकेदारों ने मजदूरों को श्रम न्यायाधिकरण की सिफारिशों के अनुसार, बढ़ी हुई दरों से मजूरी देने से इन्कार कर दिया है; और

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है कि न्यायाधिकरण की सिफारिशें तुरन्त लागू कर दी जायें ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) और (ख). अल्लेप्पे बन्दरगाह एक छोटी बन्दरगाह है और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन केरल सरकार इस बन्दरगाह के लिए 'उचित सरकार' है। इस सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है। इसे राज्य सरकार से प्राप्त किया जा रहा है।

चिली में भूकम्प पीड़ितों के लिये सहायता

2210. **श्री प्र० च० बरुआ :** क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चिली में हाल में आये भूकम्प से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए जिसमें 600 से अधिक व्यक्तियों के मरने की आशंका है, यदि कोई सहायता दी जायेगी तो वह क्या होगी ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : भारत सरकार द्वारा चिकित्सा-सामग्री भेजी जा रही है।

दिल्ली-कलकत्ता टेलेक्स तथा टेलीप्रिंटर सेवायें

2212. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली-कलकत्ता टेलेक्स तथा टेलीप्रिंटर सेवायें इस वर्ष के आरम्भ में अब तक अनेक बार भंग हो गई ;

(ख) यदि हां, तो 20 मार्च, 1965 तक कितनी बार और कुल कितने समय के लिये ये सेवायें बन्द रहीं; और

(ग) इस बारम्बार खराबी होने के क्या कारण हैं और भविष्य में इसे रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती): (क) तथा (ख). 1 जनवरी, 1965 से 20 मार्च, 1965 की अवधि के दौरान सोलह बार ऐसी घटनाएं हुई जब कि दिल्ली-कलकत्ता

टेलेक्स व टेलीप्रिंटर सेवाएं हर बार 5 मिनट से भी अधिक समय के लिए भंग हो गई। ये सेवाएं कुल मिला कर 10 घं 21 मिनट के लिए बन्द रहीं।

(ग) ये खराबियां केबल पर बिजली में अड़चन पैदा हो जाना, उपस्कर का खराब हो जाना तथा लोक-निर्माण विभाग व विद्युत् विभाग जैसे अन्य प्रशासनों के मजदूरों के द्वारा केबल को क्षति पहुंचाना जैसे अनेक कारणों से हुई थी।

बिजली में अड़चन का रोकने के लिए उपस्कर में विशेष तकनीकी सुधार किये जा रहे हैं। खराबियों को शीघ्रता से ठीक करने के लिए खराबियों और खराबी के स्थलों का पता लगाने के लिए विशेष उपाय भी किये गये हैं।

ताम्बरम (मद्रास) में वायु सैनिकों के बैरक

2213. **श्री हरि विष्णुकामत** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कुछ समय पहले आपातकालीन आधार पर ताम्बरम (मद्रास) में वायुसैनिकों के लिए बैरकें बनाने का निश्चय किया था ;

(ख) क्या निर्माण कार्य किसी ठेकेदार को सौंपा गया था ;

(ग) क्या ठेकेदार को छः महीने में काम पूरा करने के लिए कहा गया था ;

(घ) क्या कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बहुत पिछड़ा हुआ है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) भारतीय वायु सेना के ट्रेनिंग कमान के अफसर-इन-चार्ज ने अपने उत्तरदायित्व के अन्तर्गत इस निर्माण कार्य का आदेश दिया था।

(ख) तथा (ग). जी हां।

(घ) तथा (ङ). निर्माण-कार्य की पूर्ति निर्धारित प्रोग्राम से बहुत पीछे है। ठेकेदार के श्रमिकों द्वारा हड़ताल करने और स्वयं ठेकेदार द्वारा भीमी प्रगति के कारण काम में देरी हो रही है। ठेके की शर्तों तथा नियमों के अनुसार ठेकेदार के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

असम के कछार जिल में ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स द्वारा गोलाबारी तथा भारतीय राज्य क्षेत्र का अतिक्रमण

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas): I draw the attention of the Ministeof Home Affairs to the following matter of urgent public importance and request him to make a statement thereon :—

"Firing and intrusion into Indian territory by East Pakistan Rifles in Cachar district of Assam."

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सभा को ज्ञात है, पाकिस्तान ने गोविन्दपुर गांव में, और उसके आस पास कछार ज़िले में, हाल ही में शरारत शुरू कर दी है। यह गांव करीमगंज से 6 मील पश्चिम को है। अन्तर्राष्ट्रीय सीमा इस गांव में से होकर गुजरती है। सीमा अच्छी तरह आंकित है, और सीमा पर अपनी तरफ कई मकान पहले से मौजूद है।

20 मार्च को पूर्वी पाकिस्तान राईफल्ज की सहायता के अन्तर्गत, उन्होंने सीमा के अपनी ओर एक भूमिक्षेत्र में हल चलाने का यत्न किया था। सीमा पर हमारी चौकी के कमांडर द्वारा भेजे गए विरोधपत्र का कोई लाभ नहीं हुआ। बल्कि अगले कुछ दिनों में, पूर्वी पाकिस्तान राई-फल्ज की एक यूनिट ने पर्याप्त संख्या में, उस क्षेत्र में जमा होना शुरू कर दिया।

इन रिपोर्टों के प्राप्त होने पर, एक असिस्टेन्ट सब इन्स्पेक्टर और 20 सिपाहियों पर सम्मिलित, एक गश्ती दस्ते ने गोविन्दपुर के भारतीय भाग में गश्त की। पांच अप्रैल को लगभग 3–30 शाम को पूर्वी-पाकिस्तान राइफल्ज ने, बिना किसी कारण के, राइफलों और हल्की मशीनगनों से न केवल गोविन्दपुर के भारतीय हिस्से पर, बल्कि कूरीखाल और लुटूर गांवों पर भी, गोलाबारी शुरू कर दी। भारी गोलाबारी होती रही। सच तो यह है कि 9 अप्रैल तक, लगातार सविराम, भारी गोलाबारी होती रही।

देखा गया, कि पूर्वी पाकिस्तान राइफल्ज़ की यूनिटों ने समस्त सीमा के साथ साथ, खाइयां खोद रखी हैं, और अपनी चौकियें काफी मजबूत करली हैं। सच तो यह है कि 7 अप्रैल को देखा गया कि गांवों के भारतीय हिस्सों के बिल्कुल अन्दर की ओर, उन्होंने खाइयां खोद रखी हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि यह सब सक्रिया स्थल नियमों के बिल्कुल विरुद्ध है।

पहले पहले क्षेत्रीय कमांडर द्वारा कड़े विरोध-पत्र भेजे गये थे, और उसके पश्चात, राज्य सरकार द्वारा। अपने क्षेत्रीय कमांडर ने, पाकिस्तान में अपने, समतुल्य अधिकारी को गोविन्दपुर से पूर्वी पाकिस्तान राईफल्ज की यूनिटें निकाल लेने को कहा था, क्योंकि उनकी उपस्थिति असैनिक झगड़ों पर हो रही बातचीत पर प्रतिकूल असर डाल रही थी। यद्यपि, 9 अप्रैल को 4 बजे युद्धबन्दी समझौते का प्रबन्ध हो चुका था, वास्तव में, गोलियां 10 अप्रैल तीन बजे प्रातः तक चलती रहीं थी। पूर्वी पाकिस्तान राइफल्ज की यूनिटें 10/11 अप्रैल की रात को गोविन्दपुर से हट गई हैं। भारतीय राष्ट्रीक अब, गोविन्दपुर गांव (के भारतीय हिस्से) में अपने घरों में लौट आए हैं। अपने क्षेत्रीय कमांडर को अपने समतुल्य अफसर से आज प्रातः मिलना था, और उसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know whether American weapons were used by Pakistanis, and which weapons were used by us ? Is it not a fact that whenever protest notes are sent to them, they use weapons in reply thereto ; if so, whether our Government are ready to use weapons against weapons instead of lodging protest nots ?

Shri Hathi : The weapons used by us were not American weapons, We are not aware as to which weapons were used by them.

श्री हेम बरुआ : (गौहाटी) : एक विशेष क्षेत्र के सम्बन्ध में समझौते पर हस्ताक्षरों की स्याही तक सूखने नहीं पाती कि पाकिस्तान अन्य स्थानों में गोलाबारी करना आरम्भ कर देता

है । ऐसा आसाम में नियमित रूप से हुआ है । इस संदर्भ में क्या सरकार ने हमारे सीमान्त क्षेत्रों में आग्नेय अस्त्रों द्वारा गड़बड़ी पैदा करने वाले पाकिस्तानियों की छातियों में यथासम्भव गोलियां दागने का निर्णय ले लिया है ?

श्री हाथी : चाल तो ऐसी ही प्रतीत होती है और हमें तैयार रहना पड़ेगा तथा यदि आवश्यक हो तो हमें उन के आक्रमण को पछाड़ने के लिये सभी आवश्यक बल का उपयोग करना पड़ेगा ।

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : क्या पाकिस्तानी सैनिकों को गोविन्दपुर गांव से, जिस पर उन्होंने कब्जा कर लिया था, निकाल दिया गया है ?

श्री हाथी : वे वहां से हट गये हैं ।

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : आज के "इण्डियन एक्सप्रेस" में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान सीमा के साथ साथ अपनी सेना इकट्ठी कर रहा है ; खाइयां खोद रहा है ; सेना के संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिये बनों को साफ कर रहा है और सीमान्त क्षेत्रों में गांव से उन लोगों को, जो मुसलमान नहीं हैं, निकाल कर वहां पर भारत से निकाले गये लोगों को बसा रहा है। क्या ऐसी आक्रामक गतिविधियों में मार्शल चेन-यी और श्री चाऊ एन-लाई की यात्रा के पश्चात वृद्धि हुई है ? क्या मैं यह भी पूछ सकता हूं कि क्या पाकिस्तान ने अग्रेतर बातचीत करने का प्रस्ताव अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के उद्देश्य से समय लेने के लिये नहीं किया है ?

श्री हाथी : यह एक भिन्न मामला है कि क्या इन गतिविधियों में वृद्धि इस विशेष घटना के पश्चात हुई है अथवा नहीं, परन्तु हम इन कृत्यों को देखते रहे हैं जो पाकिस्तान ने हाल ही में किये हैं ।

श्री प्र० के० देव : मेरे अग्रेतर प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है कि क्या पाकिस्तान ने अग्रेतर बातचीत करने का प्रस्ताव अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिये समय पाने के लिये नहीं किया है ।

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : यह बिल्कुल स्पष्ट प्रतीत होता है कि उनके आक्रमक ताव में वृद्धि हुई है। यह भी हो सकता है कि वे अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिये ऐसा कर रहे हों। हम इस बारे में पूर्ण रूप से सजग हैं और इस मामले में हम पूरा प्रयत्न करेंगे।

श्री दाजी (इन्दौर) : पाकिस्तानी भारतीय राज्य-क्षेत्र के अन्दर कितनी दूर तक घुस आये हैं। हाल ही की घटनाओं की दृष्टि से, जिसमें वे हमारे राज्य क्षेत्र में अधिकाधिक आगे बढ़ते आ रहे हैं, उनकी यह कार्यवाही उग्र उत्तेजनात्मक है और मामूली सीमान्त घटनाओं से बढ़ कर है ?

श्री नन्दा : जो कुछ माननीय सदस्य ने कहा है उसकी ओर सरकार तथा देश के प्रत्येक व्यक्ति ने ध्यान देना है। यह हमारी तैयारी का प्रश्न है और हम तैयार हैं। अलबत्ता वे 1500 गज कछ क्षेत्र के अन्दर घुस आये हैं, यह क्षेत्र विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : क्या सरकार का ध्यान इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि पाकिस्तान असम-पूर्व पाकिस्तान सीमा पर अपनी सेना को जमा कर रहा है और कच्छ क्षेत्र में जो कुछ हुआ उसको ध्यान में रखते हुए क्या भारत सरकार उन सभी स्थानों पर, जहां युद्ध विराम के पश्चात भी निरंतर गोलाबारी हो रही है, सेना को उन क्षेत्रों की रक्षा करने के लिये भेजेगी ?

श्री नन्दा : हमारी सेनाओं का विन्यास प्रत्येक स्थान के महत्व तथा उनकी पूरी सुरक्षा तथा पूरी प्रतिरक्षा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा। मैं ब्योरेवार जानकारी नहीं दे सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : वे इस सुझाव पर भी विचार करेंगे।

Shri Buta Singh (Moga) : In view of the serious situation created by Pakistan on Indo-Pak Borders, may I know whether the Government of India have suggested to the Government of Pakistan to settle all disputes through a meeting at ministerial level ?

श्री नन्दा : हमने उन्हें दोनों शासकीय तथा मंत्रि-स्तर पर बैठकें बुलाने का सुझाव दिया है।

श्री वारियर (त्रिचूर) : क्या सरकार ने सीमान्त क्षेत्र में असैनिक जनता को प्रशिक्षण देने तथा उनको हथियार देने की सम्भावना पर विचार किया है ?

श्री नन्दा : यह सभी कदम उठाये जा रहे हैं।

श्री वासुदेवन नायर (अम्बलपुजा) : क्या सरकार के पास पाकिस्तानी सेना द्वारा हमारे विरुद्ध अमरीकी हथियारों के उपयोग के सम्बन्ध में कोई प्रमाण हैं ; और यदि हां, तो क्या सरकार ने यह मामला अमरीका सरकार से उठाया है।

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : हमारे पास कूच बिहार में प्रयोग किये गये अमरीकी हथियारों के बारे में कोई प्रमाण नही है। परन्तु काश्मीर और कच्छ सीमा-क्षेत्र में पाकस्तानियों द्वारा प्रयोग में लाये गये अमरीकी उपकरणों के बारे में हमारे पास निश्चित प्रमाण हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : क्या पश्चिमी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर प्रयोग में लायी गयी गोलियों के बारे में कोई प्रमाण है ?

श्री यशवन्तराव चाव्हाण : हमारे पास इस के बारे में कोई प्रमाण नहीं है।

श्री वासुदेवन नायर : क्या सरकार ने इस मामले पर अमरीकी सरकार से बातचीत शुरु की है ?

श्री नि० चं० चटर्जी : क्या अमरीका सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है ?

Shri Yashpal Singh (Kairana) : Have the Government considered over this matter that so long as the Government are going on taking defensive attitude, firing on borders would continue and whether the Government would now start taking offensive attitude ?

Shri Nanda : Both defensive and offensive attitudes are there.

Shri Vishwa Nath Pandey (Salempur) : May I know the total loss of property and life in Cachar area due to firing which had been going on there for the last several days ? In Govindpur village Muslim population is larger than the Hindu population ; may I, therefore, know the number of Hindus who left that village due to harassment by this firing, and the extent of damage caused to their property ?

Shri Hathi : All the families who have left that village have returned and nobody has been injured.

Shri Raghunath Singh (Varanasi) : The border villages in Pakistan side have been cleared of Hindu population and people of one community have been settled there ; Shri Nanda had stated a few days back that the border areas would be strengthened, may I know as to why it has not been done so far ?

Shri Nanda : Certain steps are being taken in this regard. There was a bottleneck in the way ; in Assam there was a very big problem of refugees and there was a question of their settlement, that area has now been surveyed and we are going to do something in this respect.

श्रीमती रेणुका बड़कटकी (बारपेटा) : विरोध-पत्रों के भेजने तथा बैठकों के लिये सुझाव देने के अतिरिक्त सरकार सीमान्त ग्रामों में पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा लूट-खसोट के भय को दूर करने, वहां पर जान माल की सुरक्षा, राज्य-क्षेत्र का अतिक्रमण करने तथा अंसारों जैसे पैरा-मिलिटरी द्वारा उत्पन्न किये जाने वाले आतंक को दूर करने के लिये क्या कदम उठाना चाहती है ?

श्री नन्दा : विरोध-पत्रों द्वारा, रक्षात्मक कार्यवाही द्वारा तथा जब कभी आवश्यकता होगी तो परिस्थितियों के अनुसार कड़ी कार्यवाही द्वारा उनकी रक्षा की जायेगी ।

श्री नि० रं० लास्कर (करीमगंज) : मैं जानता हूं कि यह लोग इस अवैध गोलाबारी से कितने दुखी और आतंकित हैं । इस सीमान्त क्षेत्र के लोगों में विश्वास उत्पन्न करने के लिये सरकार द्वारा क्या निश्चयात्मक कदम उठाये जा रहे हैं ।

श्री नन्दा : जैसा कि विवरण से स्पष्ट है, हमने कार्यवाही की है.... (**अन्तर्बाधाएं**) और इस तथ्य से, कि हमने उस स्थान को पुनः अपने कब्जे में ले लिया है, स्पष्ट है कि हम इस बारे में असावधान नहीं हैं ।

श्री प्र. चं. बरुआ (शिवसागर) : यह सच नहीं है कि एक ओर तो पाकिस्तान भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन न होने का लाभ उठा कर अतिक्रमण कर रहा है और दूसरी ओर किसी न किसी बहाने से सीमांकन करने में रुकावट डाल रहा है ? क्या पाकिस्तान और भारत के बीच सीमांकन करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय से कहा गया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : जहां पर सीमा अभी अनिश्चित है वहां सीमांकन करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं, यद्यपि गोविन्दपुर क्षेत्र में सीमा निर्धारित हो चुकी है, फिर भी वहां गड़बड़ होती है ।

Shri Bade (Khargone) : Pakistan is making intrusions into our territories both in Eastern and western sectors with the help of police forces but as pointed out by the Government, they are, however, using machineguns. Are the Government strengthening our border police force in all respects ?

Shri Nanda : Wherever it is necessary, police would be used and whereever it is necessary, troops are being deployed.

Shri Bagri (Hissar) : Mr. Speaker, whenever reports appear in the press regarding use of weapons of our friendly countries like Russia and America and that a certain weapon used by them was American, it causes resentment among our people here and abroad against that country.

There is something fishy about these reports. Shri Iqbal,the Deputy High Commissioner of Pakistan invited Shri S.N. Chopra, who is going to be our High Commissioner in Newzealand, for a feast at a time when firing was being made against India. Will the Government classify its policy in this regard ?

श्री नन्दा : अमरीकी हथियारों सम्बन्धी एक अन्य प्रश्न के निर्देश में प्रतिरक्षा मंत्री ने इसका उत्तर पहले ही दे दिया है । माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त की गई भावनायें ठीक हैं ।

Shri Bagri : The second part of my question has not been answered.

Mr. Speaker : All these things do not arise out of the main question.

Shri Kishen Pattnayak (Sambalpur) : The Minister of External Affairs had stated on 3rd March in respect of Kanjarkot in Kuteh that the border there is well-defined and yesterday a spokesman of the Ministry of External Affairs told the press that this was an undemarcated border; and now the same words have been repeated by the hon. Minister in regard to the eastern border. May I know the correct position in this regard ?

Shri Nanda : As far as Kutch border is concerned, it has been clearly stated a number of times that the aforesaid area is undemarcated,and as regards the other border, it has just been stated that it is a demarcated aera.

Shri Naval Prabhakar (Delhi-Karol Bagh) : As stated by the hon. Minister in the statement that some persons from Pakistan ploughed our land on 5th April and when our territory is intruded by foreigners like this, may I know, whether quick action is not taken in such cases instead of sending protest notes later ?

Shri Hathi : Actually there are two parts of this village ; one part is on the side of the border and the other is on the other side of the border. It appeared to be a case of civil dispute in the beginning but when we came to now about the real position of the case, then the police force was sent.

श्री सोलंकी (कैरा) : माननीय गृह-कार्य मंत्री ने अभी बताया कि पाकिस्तान तथा भारत के गृह-मंत्रियों के बीच बातचीत जारी रखने के कुछ आधार हैं । क्या यह बातचीत पहले की गई बातचीत से आगे होगी अथवा इसमें कोई नई बात उठायी जायेगी ?

श्री हाथी : इसका फैसला अधिकारी करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को विदित हो कि गृह-कार्य मंत्री कच्छ सीमा के सम्बन्ध में अपना भाषण सायं 5.30 बजे देंगे ।

सभा की बैठकों से अनुपस्थितति की अनुमति

LEAVE OF ABSENCE FROM SITTINGS OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय : सभा की बठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ने अपने बारहवें प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि निम्नलिखित सदस्यों को प्रतिवेदन में उल्लिखित अवधि के लिये अनुपस्थिति की अनुमति दी जाये :—

1. श्री अरुणाचलम
2. श्री काशीराम गुप्त
3. डा० साराधीश राय
4. श्री यज्ञनारायण सिंह
5. श्री उमानाथ
6. श्री बीरेन दत्त
7. श्री राजेन्द्रनाथ बरुआ
8. श्री लक्ष्मीदास
9. श्री मुहम्मद इस्माइल
10. श्री आनन्द नम्बियार
11. श्री बृजराज सिंह—कोटा
12. श्री परेश नाथ कयल
13. श्री अ० क० गोपालन
14. श्री कृष्ण चन्द्र पन्त
15. श्री भोला राम पराधी
16. श्री मल्ला नारायण स्वामी

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : पहली बात तो यह है कि रिपोर्ट में यह बताया जाना चाहिये कि क्या वे माननीय सदस्य, जो अस्वस्थता के कारण लम्बी छुट्टी पर हैं, संतोषजनक रूप से स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं । दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे माननीय मित्र श्री गोपालन और डा० साराधीश राय सभा से इसलिये अनुपस्थित हैं क्योंकि वे 17 फरवरी से नज़रबन्द हैं । यह तो अच्छा है कि उन्हें अनुपस्थिति की अनुमति दे दी गई है परन्तु मुझे उनकी इस निरन्तर नज़रबन्दी से बड़ा दुख है । श्री मधु लिमये का नाम प्रश्न सूची से इसलिये हटा दिया गया है क्योंकि वह सभा की सेवा में नहीं है परन्तु श्री गोपालन आदि के नाम तो प्रश्न-सूचियों में बराबर दिखाये जा रहे हैं, इसलिये उनको सभा की सेवा में समझना चाहिये और उन्हें अन्य सदस्यों की तरह सभा की सेवा करने के लिये सभी सुविधायें दी जानी चाहिये ।

श्री खाडिल कर (खेड) : जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है, चूंकि उनमें से अधिकांश वापिस आ गये हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में रिपोर्ट में कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है । अन्यथा यदि अस्वस्थता की निरन्तर गम्भीर स्थिति बनी रहेगी तो हम उसको नोट करेंगे और सिफारिशें भी करेंगे ।

श्री ही. ना. मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : श्रीमन्, उन सदस्यों को, जो नज़रबन्द होने के कारण सभा से अनिवार्य रूप से अनुपस्थित हैं, प्रश्न पूछने की सुविधा तो है परन्तु जैसा कि आपको पता है कि संसद की स्थायी समितियों के निर्वाचन होने जा रहे हैं, वे उनमें भाग नहीं ले सकेंगे। मुझे पता लगा है कि पश्चिमी बंगाल विधान सभा में वहां के अध्यक्ष ने इस बारे में यह निर्देश दिये हैं कि उन सदस्यों को, जो नज़रबन्द हैं, डाक द्वारा शलाका-पत्र भेजे जायेंगे और वे शलाका-पत्र डाक द्वारा सभा को वापिस मिल जायेंगे। मैं आप से निवेदन करता हूं कि आप भी इस मामले के बारे में अपना निर्णय जल्दी दें ताकि नज़रबन्द सदस्य भी इन समितियों के निर्वाचन में भाग ले सकें।

श्री बड़े : श्रीमन इस, बारे में हाउस आफ कामन्स का एक पूर्वोदाहरण भी है। जब भी वहां का अध्यक्ष चाहता है कि उनकी सेवायें संसद के लिये आवश्यक हैं तो वह उनको सभा में बुला सकता है। अब चूंकि श्री गोपालन का नाम यहां पर रिकार्ड में है और ऐसा प्रतीत होता है आपको उसकी सेवाओं की आवश्यकता है तो उन्हें बुलाया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : कठिनाई तो यह है कि जो कुछ माननीय सदस्य अनुभव करते हैं, वह मैं अनुभव नहीं करता हूं। मझे श्री मधु लिमये के मामले और अन्य सदस्यों के मामलों में भेद करना है। श्री मधु लिमये सभा के आदेशानुसार सभा से अनुपस्थित हैं परन्तु अन्य सदस्य इस सभा की किसी कार्यवाही अथवा आदेश के कारण अनुपस्थित नहीं हैं परन्तु वे किसी कार्यपालिका अभिकरण के आदेश के कारण यहां उपस्थित नहीं हो सकते। माननीय सदस्यों को यह बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिये। श्री मधु लिमये का नाम उस दिन की प्रश्न सूची से इस लिये हटा दिया गया था कि जो यहां उपस्थित नहीं हैं और जो सभा की सेवा में नहीं हैं, उन्ह बुलाने की आवश्यकता नहीं थी। अन्य सदस्यों के बारे में हम इस कार्य-प्रणाली का अनुसरण कर रहे हैं कि उनके नाम प्रश्न-सूचियों में दिखाये जांय, परन्तु वे तब तक प्रश्न नहीं पूछ सकते जब तक वे स्वयं उपस्थित न हों।

जहां तक प्राक्कलन तथा अन्य समितियों के निर्वाचन का प्रश्न है, मुझे पश्चिमी-बंगाल विधान सभा के नियमों की जानकारी नहीं है अतः मैं उन नियमों की तुलना अपने नियमों से नहीं कर सकता। हमारे नियमों के अनुसार सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य है और वे केवल स्वयं ही मत दे सकते हैं

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : चूंकि उनको अपवादिक परिस्थितियों में नज़रबन्द किया गया है इसलिये नियमों के बारे में भी कुछ अपवाद होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : यह मैं कैसे कर सकता हूं ? श्री कामत।

श्री हरि विष्णु कामत : मैंश्री मधु लिमये के मामले के बारे में केवल यह पूछना चाहता हूं कि चूंकि उन्हें सभा की सेवा से निलम्बित कर दिया गया है इसलिये प्रश्न-सूची से उनका नाम हटा रन्तु श्री गोपालन और उसके दल के अन्य सदस्यों के नाम प्रश्न-सूचियों में बराबर दिखाये जा रहे हैं और चूंकि उनके नाम प्रश्न सूचियों में दिखाये जा रहे हैं, इसलिये उनकी सभा की सेवा में समझना चाहिये। जब इस प्रकार वे सभा की सेवा में हैं तो इस सभा के अधिकारों तथा विशेषाधिकारों के सर्वोपरि अभिरक्षक होने के नाते क्या यह देखना आपका कर्त्तव्य नहीं है कि उन्हें इस सदन में यह सेवा करने दी जाये ?

श्री नि० चं० चटर्जी : जब एक सदस्य का नाम एक सदस्य के नाते प्रश्न सूचियों में दिखाया जा रहा है और उसे एक सदस्य के रूप में कार्य करने की कोई मनाही नहीं है तो उसे या तो शलाका-पत्र डाक द्वारा भिजवाया जाना चाहिये, या उसे इस कार्य के लिये यहां बुलाया जाना चाहिये। जो

श्री हो, उन्हें अपने मताधिकार के प्रयोग से तथा निर्वाचनों में भाग लेने से वंचित नहीं किया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय: आज प्रातःकाल मुझे यह सुझाव दिया गया था और मैंने इसका पहले ही उल्लेख कर दिया है ।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : You have just stated that Shri Madhu Limaye is absent from this House in accordance with the orders passed by this House, whereas Shri Gopalan and others are absent from this House because of the action taken by the Minister of Home Affairs. I want to submit to you, sir, that this House has also some hand as far as the action taken by the Home Minister is concerned as it is this House which has given its sanction to the Demands for Grants of Kerala. So, I think, it would be wrong to draw a line of distinction between these two cases.

Mr. Speaker : I have nothing to add to what I have already stated. I have to repeat, one thing again. ऐसे मामले के अतिरिक्त जिसमें सभा ने आदेश दिये हों, अन्य मामलों में हम उन्हें यहां आने और सभा की कार्यवाही में भाग लेने से मनाही नहीं कर रहे हैं । यह तो एक अन्य प्राधिकार है जो उन्हें यहां नहीं आने दे रहा है और मेरे विचार में, मैं इस मामले में कार्यपालिका द्वारा दिये गये आदेशों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता ।

श्री ही. ना. मुकर्जी : श्रीमन्, क्या आप डाक द्वारा शलाका-पत्र भेजने के बारे में कुछ अधिक ब्योरेवार विचार करने की कृपा करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यदि ऐसा सम्भव हो तो मैं इस मामले पर विचार करूंगा ।

सभा पटल पर रखा गया पत्र

PAPER LAID ON THE TABLE

गैर-पत्रकार कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के बारे में सरकारी संकल्प

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : मैं सविनय समाचार पत्र संस्थानों के गैर-पत्रकार कर्मचारियों के लिये अन्तरिम सहायता के सम्बन्ध में केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के बारे में सरकारी संकल्प संख्या डब्ल्यू बी० 17(13)/64, दिनांक अप्रैल, 1965 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल. टी.—4176/65]

श्री दाजी (इन्दौर) : श्रीमन्, मैं इस बारे में मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि मेरी जानकारी के अनुसार मजूरी बोर्ड का एक सदस्य नज़रबन्द है, क्या उसका स्थान भरा गया है अथवा क्या उसकी रिहाई के लिये कोई प्रबन्ध किया गया है ।

श्री संजीवय्या : हम उस संघ को, जिसका वह प्रतिनिधित्व करते हैं, एक वैकल्पिक प्रतिनिधि भेजने के लिये कह रहे हैं ।

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति—जारी

LEAVE OF ABSENCE FROM SITTINGS OF THE HOUSE—*Contd*

Shri Rameshwaranand (Karnal): I want to submit that Shri Madhu Limaye.....

Mr. Speaker: This question cannot be raised again and again. It should now be closed. मैं समझता हूं कि सभा सदस्यों को अनुपस्थिति की अनुमति की मंजूरी देने के बारे में सभा की बैठक से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन से सहमत है ।

कई माननीय सदस्य : जी, हां, जी, हां ।

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों को तदनुसार अवगत किया जाये ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बंधी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

तिरेसठवां प्रतिवेदन

श्री कृष्णमूर्ति राव (शिमोगा) : में सविनय गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का तिरसठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

लोक-सेवा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

चौतीसवां प्रतिवेदन

श्री मुरारका (झुंझनू) : मैं सविनय केन्द्रीय सरकार के विभागों/मंत्रालयों द्वारा भारत सेवक समाज को दिये गये अनुदानों, ऋणों, ठेकों तथा सुविधाओं के बारे में लोक लेखा समिति (1964—1965) का चौंतीसवां प्रतिवेदन लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन-असैनिक), 1964 की कण्डिका, 65,86, 86(ए), 86(बी), 86(सी), 86(डी), 88(डी) और 117—प्रस्तुत करता हूं ।

श्री स. मो. बनर्जी (कानपुर) : कई सूत्रों से पता चला है कि भारत सेवक समाज के लेखे संदिग्ध हैं । इसलिये क्या इन लेखाओं की परीक्षा नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा की जाएगी और लेखाओं को सभा पटल पर रखा जायगा ? क्या मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे कि इन लेखा-परीक्षित लेखाओं तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखा जाना चाहिये ?

अध्यक्ष महोदय : वह इस पर विचार करेंगे । जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है ।

अनुदानों की मांगें

DEMANDS FOR GRANTS—*Contd.*

पुनर्वास मंत्रालय—जारी

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पुनर्वास मंत्रालय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा और मतदान करेगी। 4 घंटों में से अब 1 घंटा 30 मिनट शेष हैं। श्री दी० चं० शर्मा।

श्री दी० च० शर्मा (गुरदासपुर) : पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापितों की समस्या पूरे भारत की समस्या है। इस के समाधान के लिये सभी राज्य योगदान दे रहे हैं। असम ने सहायता दी है। बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा तथा अन्य राज्यों ने इस में रुचि दिखायी है। पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों के पुनर्वास में सभी राज्यों का रुचि लेना हमारे देश की एकता का प्रतीक है। मैं चाहता हूं कि पंजाब को भी इस में हाथ बढ़ाना चाहिये। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 1-1-64 से 31-1-65 तक विस्थापितों के प्रतिदिन आने की औसत 2,252 है। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का रवैया बहुत खराब होता जा रहा है। सीमा पर घुस पैठ की घटनायें बढ़ती जा रही हैं। वहां से अल्प संख्यकों को निकाला जा रहा है। परन्तु आज प्रश्न यह उठता है कि कब तक हम पाकिस्तान की ऐसी कार्यवाहियों को सहन करते चले जायेंगे। पाकिस्तान ने हमें सदैव धोखा दिया है। हमारी सरकार बहुत नरम नीति अपनाये हुए है। पूर्वी पाकिस्तान से 50 लाख के लगभग लोग आ चुके हैं। यह बहुत बड़ी संख्या है। हमें इन लोगों को पूरी सहायता देनी है और उन के पुनर्वास के लिये सुविधायें उपलब्ध करानी हैं। परन्तु पाकिस्तान सरकार के प्रति हमें अपनी नीति में परिवर्तन करना होगा। हमें पाकिस्तान से इन विस्थापितों के बसाने के लिये भूमि की मांग करनी चाहिये। जब तक यह मांग नहीं की जाती ये लोग आते ही रहेंगे। हमें विदेशों में इस बात का प्रचार करना होगा कि अल्प संख्यकों की पाकिस्तान में बहुत दुर्दशा है। इस से विश्व वास्तविक स्थिति का पता चलेगा।

मैं श्री त्यागी से अनुरोध करता हूं कि वह कलकत्ता जाकर रहा करें और वहां पुनर्वास समस्या का स्वयं अध्ययन किया करें। पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापितों के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि उन की बस्तियों के विकास का काम नगर निगमों को नहीं दिया जाना चाहिये बल्कि आवास मंत्रालय को स्वयं यह कार्य करना चाहिये। पश्चिमी पाकिस्तान से आये अनेक समवायों के सम्बन्ध में भी अभी निर्णय नहीं हुए हैं। इन सभी मामलों को निपटाया जाना चाहिये।

मैं माननीय मंत्री से कहना चाहता हूं कि वह पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापितों की समस्याओं की ओर भी ध्यान दें। दण्डकारण्य योजना को सफल बनाने के लिये कृषि तथा उद्योग को प्रोत्साहन देना चाहिये। वहां पर कर्मचारियों की संख्या अधिक है और कार्य कम हो रहा है। इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सेरामपुर) श्रीमान् में इन भागों का विरोध करता हूं। पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापितों की समस्या एक विकट समस्या है। उनके प्रति सरकार की नीति असफल रही है। सरकार ने पुनर्वास मंत्रालय फिर से बना दिया है परन्तु इस से कोई लाभ नहीं हुआ है। सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापितों के आने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। यह निर्णय संसद् की अनुमति से किया जाना चाहिये था। पश्चिमी बंगाल की विधान सभा के सत्ताधारी तथा प्रतिपक्षी दलों ने संकल्प पास किये हैं कि इस आदेश को वापिस लिया जाये। आज पाकिस्तान में अल्प संख्यकों की दशा बहुत सोचनीय है। सरकार को उनके प्रति सहानुभूति दिखानी चाहिये। सरकार ने पहले यह प्रतिबन्ध

[श्री दीनेन भट्टाचार्य]

लगाया था कि केवल उन्हीं को आने दिया जायेगा जिनके पास यात्रा सम्बन्धी दस्तावेज़ होंगे। इस के बावजूद हज़ारों की संख्या में वे लोग आ रहे हैं। पाकिस्तान में इन लोगों की स्थिति बहुत शोचनीय है। उन के लिये वहां शांतिपूर्ण जीवन असम्भव है। ऐसी स्थिति में हमारी सरकार को उन पर दया करनी चाहिये। कांग्रेसी सदस्य श्री अ० चं० गुह ने भी यही बात कही थी। सरकार ने जो दस्तावेज़ों सम्बन्धी प्रतिबन्ध लगाये हैं वे व्यवहारिक रूप में बहुत कठिन हैं। सरकार को इन प्रतिबन्धों को समाप्त कर देना चाहिये। यह केवल मेरी ही मांग नहीं अपितु पूरे पश्चिमी बंगाल की मांग है। पुनर्वास मंत्रालय इस का बहुत पक्षपाती रहा है। देश के विभाजन के समय भारत ने पाकिस्तान के अल्प-संख्यकों को वचन दिया था कि उन के हितों की रक्षा की जायेगी। अतः यह हमारा कर्तव्य है कि उन अभागों की सहायता करें। यदि हम ऐसा नहीं करते तो उसका अर्थ यह होगा कि हम अपना वचन पूरा नहीं कर रहे हैं।

दण्डकारण्य योजना के बारे में यहां बहुत सी बातें कही गई हैं। सरकार हमें इस के बारे में प्रभावित नहीं कर सकी है। वहां पर विभिन्न प्राधिकारों के कार्यक्षेत्रों को निर्धारित नहीं किया गया। इस के फलस्वरूप वहां पर गड़बड़ हो रही है। वहां पर विस्थापितों को सरकारी रोज़गार में भर्ती नहीं किया जाता। इस ओर प्राक्कलन समिति ने भी ध्यान आकर्षित किया है। विस्थापितों की बहुत सी समस्यायें हैं जिन की ओर तुरन्त ध्यान दिया जाना चाहिये। सरकार ने 1250 रुपये की राशि निर्धारित की है। यह धन बहुत कम है। इसे बढ़ाया जाना चाहिये। सरकार ने जिन लोगों को मकान आदि के लिये अस्थायी रूप से भूमि दी है वह स्थायी रूप से देनी चाहिये। उन को स्वामित्व अधिकार दिये जाने चाहिये।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKR *in the Chair*]

विस्थापितों की बस्तियों में ये सुविधायें उपलब्ध करायी जानी चाहिये, जैसे नालियों का प्रबन्ध, पीने के पानी की व्यवस्था, स्कूल तथा सड़कों का प्रबन्ध। सरकार ने लाखों रुपया इन लोगों पर व्यय किया है परन्तु वास्तव में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। जो सड़कें आदि बनायी जाती हैं वे ठीक तरह से नहीं बनायी जाती।

कुछ विस्थापितों को पाकिस्तान सरकार से रुपया लेना है। सरकार को इस बारे में उनकी सहायता करनी चाहिये।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती (धनवाद): प्राक्कलन समिति ने दण्डकारण्य के बारे में बहुत सी बातों पर प्रकाश डाला है। उस ने वहां की मुख्य मुख्य समस्याओं और उन के समाधान की ओर संकेत किया है। हमें विस्थापितों के पुनर्वास के समय यह देखना है कि उस स्थान पर सभी सुविधायें उपलब्ध हों और वहां पर रोज़गार भी मिल सके। वहां की स्थानीय जनता के साथ इन लोगों का किसी प्रकार का झगड़ा न हो। सरकार को इन लोगों के पुनर्वास के लिये एकीकृत योजनायें बना कर सुचारु रूप से उन्हें कार्यान्वित करना चाहिये। 1947 में कांग्रेस के प्रधान ने कहा था कि पकिस्तान में अल्प संख्यकों के प्रति हमें सहानुभूति पूर्ण रवैया रखना है और वे लोग हमारे भाई हैं। आज वे लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गये हैं। कहा जाता है कि भारत में उन को बहुत सुविधायें उपलब्ध करायी जाती हैं और इस लिए वे यहां आ जाते हैं परन्तु वास्तव में इन लोगों को वहां अनेक कठिनाइयां का

सामना करना पड़ता है। उन्हें निम्न श्रेणी का समझा जाता है। उन पर अत्याचार होते हैं ऐसी स्थिति में वे भारत आने पर मजबूर हो जाते हैं। हमें उन के आने पर प्रतिबन्ध नहीं लगाने चाहिये। हमने उन को आश्वासन दिया था कि उन की सहायता की जायगी। ऐसी स्थिति में सरकार को अपना कर्तव्य निभाना है।

Shri Rameshwaranand (Karnal): I find that the Minister is playing a pawn in the hands of bureaucracy. No body wants to leave his hearth and home. Nowadays thousands of people are being uprooted from East Pakistan. Hindus are being sent to India from Ceylon and Burma. Their number is very large. It is a serious problem to rehabilitate them. Government should think over this exodus or serious situation would develop. We should not restrict the entry of Hindus from Pakistan into India. They are compelled to leave their places. They are forced to come here.

We should not ask for land for rehabilitation of displaced persons from Pakistan, but we should have transfer of population. Only then Pakistan will realise its responsibility towards its minorities.

In regard to Dandakarnya I am told that conditions are worse there. They should be improved. These people come from Pakistan, because their religion is not safe. They are compelled to change their religion. Government should pay proper attention towards their problems. The hon. Minister should stay in camps of refugees. He should himself see and improve things.

Shri Mohan Swarup (Pilibhit): The problem of reufgees from East Pakistan is a national problem. Some of them have been rehabilitated in my district. The facilities which have been provided to them are inadequate. They are not given good land. They are habitual of sowing paddy, but the land given to them is not suitable for that. In this way they are handicapped.

Government should appoint a committee to look into the demands of these people. This committee should visit all the camps and other places where these people have been settled. It should suggest ways and means of improving the lot of these unfortunate people.

There is great corruption in Dandakarnya. The Estimates Committee has presented a very good report on this project. It has indicated that much remains to be done there.

Those Indians who want to return to India should be allowed without any restrictions. They should be provided with all the facilities. It is surprising that those persons who have migrated from Pakistan to Jammu and Kashmir are not eligible for any rehabilitation assistance. People living in certain areas for as long as 15-20 years and where railways line are now being laid have been uprooted without providing alternate accommodation or financial assistance. If such treatment is meted out to these poor people, what meaning is left of rehabilitation and what is the function of its Ministry ?

About 10 lakhs persons have migrated to India so far and many more want to come. But this is so because their existance in East Pakistan is difficult. They should be properly cared for and given land and employment of their choice Certain facilities sanctioned to them are not being provided in the transit camps. The system of distributing doles is also faulty. The Minister should ensure that such things should not recur and the facilities which are sanctioned are actually provided to them, that funds are properly utilised, that only those doctors who know the language of the patients are appointed etc. etc. Only then

[Shri Mohan Swarup]

we shall be satisfied that Government is taking proper care of those afflicted brethren and only then they would feel that they are dicharging their function properly and fully.

Shri Kishan Pattnayak (Sambalpur): Regarding Dandakaranya Project which was started in 1957, I have to say that the expenditure has been constantly mounting with practically no results. A judicial enquiry should be conducted to go into the wastage of money on it. The Ministry's Report makes no mention of those Indians who have come from Burma, Ceylon and Zanzibar.

Minister of Rehabilitation (Shri Tyagi): This matter comes under the Ministry of External Affairs.

Shri Kishan Pattanayak: It is surprising that it is so. Of those people who come from Burma, the Tamilians have been looked after by the Government of Madras but the rest are being neglected. All those Indians who come here should be treated at a national level and not at States level.

I may mention that rehabilitation problem is perpetual and it will continue as long as the Government do not adopt a clear and firm policy regarding Indians living abroad. Take the case of Indians in East Africa. At present trouble is brewing there, and it is imminent that in the near future they will also be uprooted like others. I would request the Minister to look into the matter right now and devise ways and means to settle the problem lest we are caught napping. Those Indians who try to come to India now, apprehending eviction, are treated with harshness and are comfronted with all restrictions and then they are unable to come. The Ministry is not only responsible for rehabilitating refugees from East Pakistan but for the settlement of refugee problem as a whole.

I would very much wish that this Ministry is wound up after it has successfully solved the refugee problem. But I find that it is not a question of settling refugees coming from abroad but we have problems of slum clearance, of rehabilitating Shanty dwellers and the like. Therefore, this Ministry should handle these problems also and those other problems arising out of industrialisation, urbanisation etc.

श्री नि० चं० चटर्जी (वर्दवान) : मुझे बहुत ही खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि सभी बड़े बड़े नेताओं के आश्वासनों के बावजूद भी सीमा बन्द करने का निर्णय किया गया है जो विस्थापितों के साथ खुला धोखा है। गृह मंत्री, वित्त मंत्री और तत्कालीन पुनर्वास मंत्री श्री खन्ना ने भी इसी प्रकार का आश्वासन गत वर्ष कलकत्ता में किया था।

विधिवेताओं के अन्तर्राष्ट्रीय आयोग की भारतीय शाखा ने बारम्बार होने वाले निष्कासन के बारे में एक प्रतिवेदन प्रकाशित किया है, जिसकी 500 प्रतियां सरकार को दी गईं हैं मुझे आशा थी कि सरकार इन्हें सदस्यों में वितरित करती। इसमें उन भारतीयों की दुखपूर्ण दशा का वर्णन है जिन्हें पूर्वी पाकिस्तान से समय समय पर निकाला जाता है। वहां से अब तक 8.56 लाख व्यक्ति निकाले जा चुके हैं जिनमें से 51.6 प्रतिशत ऐसे हैं जो बिना किसी पारपत्र के आए हैं।

क्या हम यह समझें कि शान्ति स्थापित हो गई है और विस्थापितों का यहां आना बन्द हो गया है ? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके विपरीत इस आयोग ने, जो एक जिम्मेदार निकाय है, कहा है कि गैर-मुसलमानों का सामाजिक तथा आर्थिक बहिष्कार चल रहा है जिससे उनका पाकिस्तान में रहना असम्भव है। पाकिस्तानी नेता रेडियो तथा समाचार-पत्र निरंतर वहां होने वाली घटनाओं को अस्वीकार करते रहे हैं। जहां भारतीयों का वहां रहना असम्भव है वहां उन्हें भारत आने से हमारी अपनी पुलिस बाधक है। हमने राजशाही में अपना कार्यालय बन्द करना मंजूर कर लिया है और विस्थापितों को अपार कठिनाई का सामना है। हम नहीं चाहते कि भारत आते समय उनकी जांच न हो और पाकिस्तानी तत्व भारत आएं परन्तु हम यह अवश्य चाहते हैं कि समस्त सीमा बंद न की जाए जिससे भारतीय विस्थापित तो यहां आ सकें।

दंडकारण्य पर 6 वर्षों में 30 करोड़ रुपये व्यय हो चुके हैं जबकि केवल 10,000 परिवारों का ही पुनर्वास हो सका है। इस प्रकार 30,000 रु० प्रति परिवार व्यय हुए।

डा० मनमोहन दास : निश्चय ही व्यय 30 करोड़ रु० नहीं हुआ। पता नहीं सदस्य महोदय की जानकारी का स्रोत क्या है ?

Shri Kishan Pattnayak : Rs. 30 crores, if this year's demands are also included.

श्री नि० चं० चटर्जी : यह परियोजना पूर्णतया असफल रही है। न तो कृषि योग्य भूमि से आशा के अनुसार उत्पादन हुआ है और न ही उद्योग विकसित हो सका है। उपमन्त्री का इस परियोजना के चेयरमेन के रूप में कार्य करना तुरन्त बन्द होना चाहिये।

जिन अधिकारियों ने घोटाला किया है, बुरा व्यवहार किया है और श्री सबल गुप्त जैसे कुशल अधिकारियों के लिये कार्य कर सकता असम्भव बना दिया है उन्हें पदोनत्ति दी जा रही है।

मेरा निवेदन है कि इस सारी योजना पर पुनर्विचार किया जाए। मुझे इस मंत्रालाय के काम से निराशा हुई है। मुझे माननीय मंत्री से भी निराशा हुई है क्योंकि आशा थी मंत्रिमंडल के सदस्य बन जाने से इस मंत्रालय के कार्यों में बहुत सुधार होगा। उन्हें पहले से पीड़ित अल्पसंख्यक भारतीयों के समक्ष उत्पन्न नए खतरे को ध्यान में रखते हुए पुनर्वास योजना को कार्यान्वित करना चाहिये था।

Shri Balmiki (Khurja) : I want to congratulate Shri Tyagi on whose appointment, a new awakening and a new outlook has been given to this Ministry.

Partition brought in its wake a huge chunk of population on our side and it is gratifying to note that much has been achieved in this field as regards refugees from West Pakistan is concerned. This was really a very big burden on our economy. I am not satisfied with the way poor Harijans and other backward displaced persons have been treated. I would draw the attention of the hon. Minister to the sad plight of these poor, destitute people who are roaming in cities in search of employment, resources, financial and other help. I am prepared to say that no real attempt has been made to rehabilitate displaced Harijans but on the other hand who had been put on this job got themselves rehabilitated instead.

[Shri Balmiki]

Many Harijans are still living in West Pakistan whereas their families are in India and vice versa. But they are facing visa difficulties. This question has not been raised in many round-table conferences held in the past on the subject. The hon. Minister should give serious thought to this.

Thousands of our brethren are coming over to India from East Pakistan because their existance there is impossible and they are put to great hardships. We, on the other hand, are putting obstacles in their way and don't allow them to come over. Pakistan is perpetrating genoside on them, they are being humiliated. Their lives are not safe and they are in danger. We should condemn Pakistan for this from every platform and enlist world opinion against this barbarity. We cannot run away from our responsibility to save them we should ask Pakistan to pay compensation and give land for them. Their problem is the concern of every Indian. To provide adequate employment and other means of livelihood is a very big problem and this responsibility devolves on Government. Therefore it is but essential that this Ministry continues to exist and discharge its functions. I want the hon. Minister to give a new thought and outlook to this work.

The State of Dandkaranya continues to be the same as was read in the Ramayana. We wish that conditions there should improve and people their should get employment and other means of earning their livelihood and there should be peace there, so that the huge amount spent there might be properly utilised. So far its situation had been disappointing It should be changed by adopting a creative policy.

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : यदि मुझे स्वयं अपने कार्यों पर टिप्पणी करने को कहा जाए तो मुझे भी स्वीकार करना होगा कि यह संतोषजनक नहीं है और मैं उतना कुछ नहीं कर पाया हूं जितनी मेरी आकांक्षा थी। कठिनाईयां बहुत अधिक थी। परन्तु कुछ ऐसी भी थीं जिन को दूर किया जाना चाहिय था परन्तु वे हो नहीं सकीं। परन्तु ज्यादा बड़ी कठिनाई तो विस्थापितों का असहयोग है और चूंकि उन्हें इतनी अधिक पीड़ाओं और यातनाओं से गुजरना पड़ा है, इस लिये मुझे उनकी इस मनस्थिति इस व्यवहार से निराशा कम सहानुभूति अधिक है। परन्तु सरकार की नीति सदा ही बदले वाला दृष्टिकोण न अपनाने की रही है। सरकार के सामने कठिनाई यह है कि 1946 से 1963 तक लगभग 41 लाख शरणार्थी आ चुके हैं और इस वर्ष अब तक 9 लाख व्यक्ति आ चुके हैं और अभी तक आते जा रहे हैं। मैं पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा तथा विशेष रूप से असम की सरकारों को बधाई देता हूं जिन्होंने आश्चर्यजनक कार्य किया है जबकि हजारों लोग प्रतिदिन वहां आते थे। मिज़ो हिल्ज क्षेत्र में सड़कों आदि का अभाव था। वहां की सरकार ने सेना तथा अन्य लोगों की सहायता से 25 दिन में सड़कें बना कर शरणार्थियों को शिवरों तक पहुंचाया।

इस समय 96 शिविर हैं जिनमें से 9 केन्द्र सरकार चलाती है और शेष राज्य सरकारें चलाती हैं। केवल सहायता कार्य पर ही 9 करोड़ रुपये खर्च हुए, जैसे आश्रय भोजन, अस्पताल, की सुविधाएं आदि। नकद वित्तीय सहायता भी दी जानी है। 'माना' शिविर में पहले केवल 500 परिवारों का प्रबन्ध था परन्तु जब हजारों लोग आने लगे तो कुछ ही दिनों के अन्दर अन्दर 10,000 झोंपड़े बनाए गए और 115 नलकूप खोदे गए। वहां एक लोक निर्माण विभाग भी बना दिया गया है।

कई सदस्यों को यह सुन कर आश्चर्य होगा कि कुल 1,97,000 व्यक्ति पार-पत्रों तथा वीसों द्वारा यहां आए थे उनमें से काफी लोग वापिस लौट गए हैं और अब 888 व्यक्तियों ने भारत में रहने का निश्चय किया है।

इस समय शिवरों में 24 अस्पताल हैं जिन पर 80,49,000 रुपये खच हुए हैं, 47 स्कल हैं जिन पर 14.3 लाख रुपये खर्च हुए हैं। लगभग सभी स्कूलों में बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाती है।

सबसे पहले वक्ता श्री यू० ना सिंह ने अपने भाषण में सफाई, भोजन आदि की सुविधाओं के अभाव की शिकायत की है परन्तु विश्व गिरजाघर परिषद् ने दण्डकारण्य तथा अन्य स्थानों में जाने के पश्चात् लिखा है कि वहां के निवासियों की दशा देख कर वे बहुत प्रभावित हुए हैं और भारतीय शिवरों के भवन, सफाई तथा आवास व्यवस्था यूरोप की समृद्ध स्थिति के समान है अपितु कहीं कहीं वहां से भी अधिक अच्छी है।

एक माननीय सदस्य : क्या आपने प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन भी पढ़े हैं ?

श्री त्यागी : पुनर्वास के बारे में, यहां शिविरों में कुल 67,700 परिवार हैं जिन्होंने पुनर्वास राहत मांगी है। इस संबंध में हमने एक सर्वेक्षण किया है। 67,700 में से 50,000 परिवार कृषक हैं। विभिन्न राज्य सरकारों पुनर्वास के प्रस्ताव पेश किये हैं और हमें आशा है कि 80,100 परिवारों के लिये स्थान मिल सकता है। अन्दमान, आंध्र प्रदेश, बिहार, मनीपुर, त्रिपुरा तथा दण्डकारण्य सहित कई राज्यों से कुल 2,02,000 एकड़ भूमि के लिये प्रस्ताव आए हैं। इसमें से 1,50,000 एकड़ खेती योग्य है। शेष भूमि में से 18,540 एकड़ को खेती योग्य बनाया जा चुका है। पुनर्वास के लिये 806 लाख रुपये की लागत से 62 परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई है। कुल परियोजनाएं 83 हैं जो 24,193 परिवारों के लिये बनाई गई हैं। अन्दमान में अब 4,000 एकड़ भूमि उपलब्ध है और वहां शीघ्र ही 'जट्टियों' का निर्माण किया जाएगा। इतनी ही भूमि वेटापुर में भी उपलब्ध है। भूमि को खेती योग्य बनाने का कार्य आरम्भ हो चुका है। अन्दमान में विस्थापित परिवार पहुंचने आरम्भ हो गए हैं और वह शीघ्र ही एक सजीव द्वीप बन जाएगा।

जांच के बारे में कई आलोचनाएं की गई हैं। जांच करने का मुख्य उद्देश्य आने वालों के व्यवसाय का पता लगाना है ताकि उन्हें वही काम देने का यत्न किया जाए।

हम जांच द्वारा इस बात का पता भी लगाना चाहते थे कि वे किस गांव के हैं ताकि पुनर्वास के दौरान उन्हें अपने सम्बन्धियों तथा परिचितों के साथ रखा जा सके। जांच के दौरान यह भी पता चला है कि बहुत से व्यक्ति वर्षों से ही पुनर्वास सुविधायें प्राप्त कर रहे हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : उनकी संख्या कितनी है ?

श्री त्यागी : हजारों ऐसे व्यक्ति हैं। अभी कैम्प के एक भाग में ही जांच की गई है और 1200 ऐसे व्यक्तियों का पता चला है। ऐसे लोगों के साथ कोई सहानुभूति नहीं की जायेगी। जांच की प्रक्रिया अभी चल रही है। ऐसे धोका देने वालों को कैम्पों में रहने नहीं दिया जा सकता। कई व्यक्ति ऐसे भी हैं जिन्होंने उन्हें मिली पांच एकड़ भूमि बेच दी

[श्री त्यागी]

है और फिर शरणार्थी बन बैठे हैं । कुछ लोगों ने गायें बेच दी हैं । लौटने के बाद उनका बर्ताव भी अच्छा नहीं है । अब तक हमने केवल 7,700 परिवारों की जांच की है । 60 प्रतिशत विस्थापित व्यक्ति अपना आधा परिवार वहीं छोड़ आये हैं । इसलिए वे किसी न किसी समय अपने परिवारों को देखने पाकिस्तान जायेंगे । हमने यह जानने का प्रयत्न किया है कि उनमें से कृषक कितने हैं । इस सभा की यह लगातार मांग रही है कि उन विस्थापित व्यक्तियों द्वारा पीछे छोड़ी गई सम्पत्ति का सर्वेक्षण कराया जाये । जांच का यह भी एक कारण है । यह पूर्णरूपेण सर्वेक्षण नहीं है ।

इन लोगों के परिवारों के कुछ लोग सम्पत्ति की देखभाल कर रहे हैं या उसे बेचने का प्रयत्न कर रहे हैं । 19104 परिवार कैम्प छोड़ कर चले गये थे । अब यह विचार किया गया है कि यदि वे लोग वापिस लौटना चाहें तो उन्हें दंड न दिया जाये । लगभग 7600 व्यक्ति लौट आये हैं और उन्हें कैम्पों में रहने की अनुमति दे दी गई है ।

लोग काम न करने की इच्छा के कारण कैम्प छोड़ कर चले गये थे । कुछ लोगों ने दूसरों को भी काम करने से रोका है ।

पुनर्वास की मूल नीति उन लोगों को दान देने की नहीं है बल्कि उन्हें स्वयं कुछ काम करने के लिए मनाने तथा उत्साहित करने की भी है । हम पर सदा के लिए भार बने रहने वाले परिवारों को पश्चिम बंगाल से हटाना पड़ेगा क्योंकि अब वहां ऐसे परिवारों को और बसाने की कोई सम्भावना नहीं है । उन्हें माना के संक्रमण केन्द्रों के समूह में ले जाया जा रहा है जहां कि उन पर उचित ध्यान दिया जा रहा है । उन्हें नकदी के रूप में सहायता दी जा रही है । उनके लिए कपड़ा बुनने और सीने आदि के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है । सरकार इन परिवारों के बड़े बड़े गुटों को वर्तमान केन्द्रों में ले जाना चाहती है क्योंकि वर्तमान केन्द्रों में काफी स्थान नहीं है इसलिए सरकार त्रिपुरा, दंडकारण्य तथा उत्तर प्रदेश में नये केन्द्र खोलने का विचार कर रही है ।

पश्चिमी बंगाल में स्थायी भार वाले केन्द्रों का प्रबन्ध सामाजिक सुरक्षा विभाग करता है न कि यह मंत्रालय ।

कई माननीय सदस्यों ने पुराने विस्थापित व्यक्तियों की समस्याओं का उल्लेख किया है जानता हूं कि इस समस्या का पूर्ण हल नहीं हुआ है । विभाजन के बाद से मार्च, 1965 तक पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले विस्थापित व्यक्तियों की सहायता तथा पुनर्वास पर कुल व्यय 212 करोड़ रुपये हुआ है । पश्चिमी बंगाल के अतिरिक्त अन्य राज्यों में 1960–61 तक यह समस्या प्रायः हल हो गई थी । मार्च, 1962 तक पश्चिमी बंगाल में भी यह समस्या बहुत हद तक हल हो गई थी । पश्चिमी बंगाल में 32 लाख विस्थापित व्यक्तियों में से 23 लाख व्यक्तियों को पुनर्वास सहायता दी गई है ।

विभाजन के समय से 1964–65 के अन्त तक पश्चिमी बंगाल में पुनर्वास तथा सहायता सम्बन्धी खर्च 127 करोड़ रुपये हुआ है । केन्द्रीय सरकार, अपने वचनों से पीछे नहीं हटी है ।

जहां तक शेष समस्याओं का सम्बन्ध है, हम शेष योजनाओं की स्वीकृति देने को तैयार हैं । इन सभी योजनाओं को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया गया है ।

राज्य सरकारों को शिक्षा तथा चिकित्सा योजनाओं के लिए अनुदान दिये गये हैं । अन्य योजनाओं के लिए राज्य सरकारों के लिए ऋण के रूप में राशि स्वीकृत की गई है । इस प्रश्न पर केन्द्रीय सरकार तथा पश्चिमी सरकार के बीच विचार-विमर्श हो रहा है ।

डा० बिधान बाबू ने केन्द्रीय सरकार से प्रस्ताव किया था और यह मान लिया गया था कि 1 अप्रैल, 1957 से सभी किस्तों पर समूची हानि केन्द्रीय सरकार सहन करेगी । इन ऋणों की वसूली के सम्बन्ध में राज्य सरकार का काम कुछ असन्तोषजनक रहा है । यह प्रश्न राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया है कि ऋण किसको दिया जाये । और किस प्रयोजन के लिए दिया जाये । यह भी राज्य सरकार के स्वविवेक पर छोड़ दिया गया है कि कितनी वसूली की जाये और किस प्रकार की जाये । हानि भारत सरकार सहन करेगी । मैं इस सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय से बातचीत कर रहा हूं । यदि माननीय मित्र राज्य सरकार को भी कुछ हानि सहन करने के लिए मनवा सकें तो ऋण वापिस लेने की जिम्मेवारी का अनुभव उसे भी हो सकेगा ।

राज्य सरकार ने यह भी प्रार्थना की है कि विस्थापित व्यक्तियों को पुनः दिये गये ऋण वसूल नहीं किये जा सकते और इसलिए उन्हें माफ कर देना चाहिये । इस प्रकार कुल 50 करोड़ रुपये बट्टे खाते में डालने होंगे । केवल पश्चिमी बंगाल में ही 38 करोड़ रुपये बट्टे खाते में डालने होंगे । वसूली की योजना बनाना तथा उसे लागू करना पूर्णतया राज्य सरकार की जिम्मेवारी है । राज्य सरकार को देखना चाहिये कि मामलों की पूरी छानबीन के बाद ही ऋण दिये जायें । उन्हें यह भी देखना चाहिये कि ऋण का उचित उपयोग होता है या नहीं । कई पहलुओं पर बातचीत अभी चल रही है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने कहा है कि दारंग जिले के शरणार्थियों की स्थिति में सुधार किया जाये । दारंग जिले के बोरगुरी कैम्प में 1631 नये निष्क्रमणार्थी हैं । असम सरकार से पुनर्वास सम्बन्धी विशिष्ट योजनाओं की प्रतीक्षा की जा रही है और उन योजनाओं के प्राप्त होते ही उन पर सहानुभूति से विचार किया जायेगा ।

सीमा बन्द करने का प्रश्न बहुत ही विवादास्पद प्रश्न है । स्वाभाविक ही बहुत से माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में चिन्तित हैं । 1964 के निष्क्रमण के बाद स्थिति यह थी कि लोग ढाका जा कर प्रमाण पत्र नहीं प्राप्त कर सकते थे और इस कठिनाई के कारण हमने सभी लोगों को प्रमाण-पत्रों के बिना ही जाने दिया । वास्तव में लाखों लोग आ गये परन्तु अब नीति नहीं चल सकती । पुरानी नीति को फिर से लागू करना कोई नई बात नहीं । अब भी निष्क्रमण प्रमाण-पत्र बड़ी उदारता से दिये जा रहे हैं । इस समय तक प्रमाण-पत्रों वाले 2.60 लाख व्यक्ति आ चुके हैं । इस का अर्थ यह है कि आधे लोग प्रमाणपत्रों के साथ आये हैं ।

कुछ समय से अवैध रूप से घुसने वालों में वृद्धि हुई है क्योंकि प्रमाणपत्रों के बिना सभी प्रकार के लोग कैम्पों में घुस आने का प्रयत्न करते रहे हैं । सीमा बन्द होने के कारण बिना उचित प्रमाणपत्रों के इतने अधिक लोगों के लिए आना सम्भव नहीं है । इधर से

[श्री त्यागी]

भी हजारों लोग वापिस चले गये हैं । यदि इस प्रकार लोग आते जाते रहे तो सीमा का कोई अर्थ नहीं रह जाता है । यदि ऐसी बात चलती रहे तो कोई सरकार काम नहीं कर सकती । कोई भी सरकार अपनी सीमाओं को इस प्रकार खुला नहीं छोड़ेगी, विशेषत: जब हमारा पड़ोसी देश हम से अच्छे सम्बन्ध न रखता हो ।

इस बात के बावजूद इस मंत्रालय ने यह हिदायतें जारी की हैं कि इन नियमों को कड़ाई से लागू न किया जाये । कुछ माननीय मित्र यह कह सकते हैं कि सीमा को बन्द नहीं किया जाना चाहिये परन्तु हम उन लोगों की छानबीन के बिना उन्हें सीमा पार करने की अनुमति नहीं दे सकते । राज्य सरकारों को भी आदेश जारी कर दिये गये हैं कि वे अपना स्वविवेक बरतें ।

पारपत्र तथा निष्क्रमण प्रमाण-पत्र पहली बार 1952 में जारी किये गये थे । **(अन्तर्बाधाएं)**

परन्तु फिर कठिनाई अनुभव की गई क्योंकि पाकिस्तान में स्थिति बिगड़ गई थी । इसलिए 1956 में आदेश दिये गये कि प्राथमिकता की एक प्रणाली लागू की जाये । 1958 में इसे फिर लागू किया गया । 1958 में यह निर्णय हुआ कि यदि कोई निष्क्रमण प्रमाणपत्रों के साथ भी आये तो भी उसे किसी सहायता या पुनर्वास के लाभों का अधिकार नहीं होगा । आकस्मिक ही वहां स्थिति और बिगड़ी और हमने इस निर्णय में परिवर्तन करने का निश्चय किया और निष्क्रमण प्रमाण-पत्रों के बिना आने वाले लोगों को भी सहायता तथा सुविधायें देने की आज्ञा दी गई ।

पहली जनवरी, 1964 से लेकर निष्क्रमण प्रमाण-पत्रों के लिये रद्द किये जाने वाले आवेदन-पत्रों की संख्या केवल 3591 है । निष्क्रमण प्रमाणपत्र प्राप्त करना कठिन नहीं है । यह एक व्यवहारीय तथा सरल बात है । जिस दिन आवेदन पत्र दिया जाता है उसी दिन प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाता है । यह आरोप लगाया गया है कि प्रार्थी को दो बार ढाका जाना पड़ता है और वहां लम्बे समय तक रहना पड़ता है तथा आवेदन पत्र के लिए प्रार्थनायें संक्षेप कार्यवाही के द्वारा रद्द कर दी जाती हैं । यह बात ठीक नहीं है ।

मैं यह कह सकता हूं कि इस दल में विस्थापित व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति का अभाव नहीं है और हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि किसी भी वास्तविक विस्थापित व्यक्ति को दुख न हो । हर मामले पर सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लिया जायेगा परन्तु कड़ी जांच पड़ताल तो निश्चय ही करनी पड़गी । मैं इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों की भावनाओं को जानता हूं । मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि उनकी भावनाओं का सम्मान किया जायेगा परन्तु मुझे ऐसी नीति अपनाने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिये जिससे सीमा पर गड़बड़ हो ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : श्रीमन्, केन्द्रीय सरकार जिन अधिकतम दरों पर भूमि के अर्जन के लिए आग्रह कर रही है उन पर भूमि का अर्जन असम्भव है । इसलिए राशि की स्वीकृति के बाद भी यह योजनायें क्रियान्वित नहीं की जा सकतीं ।

उन लोगों के लिए, जो 31 मार्च, 1958 से पहले यहां आये हैं और जिन्हें पुनर्वास की कोई सुविधायें नहीं दी गई हैं, उनके सम्बन्ध में क्या सरकार अपनी ज़िम्मेवारी निभायेगी ?

पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास): हम यह नहीं कह सकते कि केन्द्रीय सरकार पश्चिमी बंगाल सरकार की अपील मानेगी या नहीं ? परन्तु मामला विचाराधीन है और निश्चय ही हमें इस पर कोई निर्णय करना है ।

31 मार्च से पहले आने वाले लोगों के सम्बन्ध में हम पश्चिमी बंगाल सरकार से विचार-विमर्श करेंगे और कुछ निर्णय किया जायेगा । यदि कोई वचन दिया गया है तो उसे पुरा किया जायेगा ।

श्रीमती रेणुका राय (माल्दा): क्या आपने पश्चिमी बंगाल सरकार के इस प्रस्ताव पर विचार किया है कि कुछ सीमा तक ऋणों को अनुदानों में बदल दिया जाये ?

डा० म० मो० दास : लगभग 50 करोड़ रुपया माफ किया गया है जिसमें से 30 करोड़ रुपया पश्चिमी बंगाल के लिए था ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या वीसा जारी करने के लिए खुलना, बारीसाल तथा दीनाजपुर में कार्यालय खोलने के लिए माननीय मंत्री ने वदेशिक-कार्य मंत्री के साथ विचार-विमर्श किया है ?

श्री त्यागी : मैं माननीय मंत्री को विश्वास दिलाता हूं कि इस बात का पूरा ध्यान रखा जायेगा कि निष्क्रमण प्रमाणपत्र आसानी से जारी किये जायें । जब भी कोई विपत्ति होगी हम उन लोगों को आश्रय देंगे ।

श्री प्रिय गुप्त (कटिहार) : गृह-कार्य मंत्री ने हमें यह आश्वासन दिया था कि पूर्वी पाकिस्तान से जो लोग भारत आयेंगे उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जायेगी । क्या सरकार श्री नन्दा के इस वचन से पीछे नहीं हट रही है ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस का उत्तर विस्तार से दे दिया गया है । अब मैं कटौती प्रस्ताव संख्या 1 से 6 मतदान के लिए रखता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 1 से 6 सभा में मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

The cut motions Nos. 1 to 6 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या १५ सभा के मतदान के लिए रखा गया ।

लोक-सभा में विभाजन हुआ :

The Lok Sabha divided :

पक्ष में 15; विपक्ष में 63

Ayes 15; Noes 63.

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 16 सभा में मतदान के लिए रखा गया।

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 14 ; विपक्ष में 66

Ayes 14: Noes 66.

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या मतदान के लिए रखा गया।

लोक-सभा में विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 15, विपक्ष में 65

Ayes 15; Noes 65.

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा अन्य सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

All other cut motions were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा पुनर्वास मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुई ।

The following demands in respect of Ministry of Rehabilitation were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
84	पुनर्वास मंत्रालय .	32,20,000
85	विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय	9,30,86,000
139	पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	9,19,20,000

श्रम और रोजगार मंत्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा में श्रम और रोजगार मंत्रालय की मांगों पर चर्चा होगी । जो सदस्य कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहें वह उसकी सूचना मुझे दे दें ।

वर्ष 1965-66 के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गयीं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
75	श्रम और रोज़गार मंत्रालय	24,97,000
76	खानों का मख्य निरीक्षक	34,09,000
77	श्रम और रोज़गार . . .	11,24,35,000
78	श्रम और रोज़गार मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	8,27,000
137	श्रम और रोज़गार मंत्रालय का पंजी परिव्यय . .	4,85,000

श्री मुहम्मद इलियास (हावड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय यह तीसरी पंचवर्षीय योजना का अन्तिम वर्ष है और चौथी योजना के आरम्भ होने के समय योजना आयोग ने सिफारिश की है कि श्रमिकों की हालत सुधारी जाये क्योंकि चौथी योजना में श्रमिकों को बहुत बड़ा काम करना है। परन्तु हमारा अनुभव ऐसा है कि सरकार ने श्रमिकों के लिए कोई भी काम नहीं किया है। इस सम्बन्ध में मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं कि सरकार ने मालिकों के साथ किस प्रकार पक्षपात .कया है।

आप जानते ही हैं कि हमारे देश में मज़दूरों में असंतोष का कारण बोनस है। इसी के कारण प्रत्येक वर्ष कितनी ही हड़तालें, तालाबन्दी की घटनायें तथा काम रोक देने की घटनायें होती हैं। इसीलिए सरकार ने बोनस आयोग नियुक्त किया था और श्रमिकों को आश्वासन दिया था कि बोनस आयोग के समझौते को क्रियान्वित किया जायेगा। बोनस आयोग ने तीन वर्षों तक काम नहीं किया और अन्ततः आपस में समझौता करा दिया। यह बड़े ही खेद की बात है कि एक सदस्य के आपत्ति कर देने पर सरकार अपने वायदे से वापस जा रही है और मालिकों को खुश कर रही है। इसलिए मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि उसने बोनस आयोग की सिफारिशों के विपरीत कोई काम किया तो मज़दूर इसे सहन नहीं करेंगे और हड़ताल, प्रदर्शन आदि अवश्य करेंगे।

पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि मज़दूरों की इतनी मज़ूरी कर दी जायेगी जितनी उनकी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए आवश्यक हो। परन्तु हमारे 15 वर्षों के आयोजन के बाद भी हम ऐसा नहीं कर पाये हैं। यदि हम गणना करें तो मालूम होता है कि आज के हमारे मज़दूर की मज़ूरी 1950 की मज़ूरी की तुलना में बहुत कम है तथा द्वितीय युद्ध के पहले की तुलना में 1950 की मज़ूरी भी बहुत कम है। दूसरे वेतन आयोग की स्थापना के समय सरकार से कहा गया था कि यह काम उसको सौंप दिया जाये कि वह इसके बारे में फार्मूला बनाये। परन्तु सरकार ने इस बात को नहीं माना। हम लोगों ने जब बार बार कहा तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में एक समिति नियुक्त की गयी थी।

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती पीठासीन हुईं
SHRIMATI RENU CHAKRAVARTY *in the chair*]

इस समिति का नाम पोषक तत्व सलाहकार समिति था । इस समिति ने सिफारिश की थी कि एक पुरुष मज़दूर को 2,800 कलोरी खाद्यान्न चाहिए अर्थात् इस हिसाब से 208 रुपये प्रति दिन मिलने चाहिए । परन्तु श्रम मंत्री ने राज्य सरकारों से सिफारिश की है कि औद्योगिक मज़दूरों की मज़ूरी 1 रुपया बढ़ा दी जाये । इससे स्पष्ट हो जाता है कि सरकार मज़दूरों को उतना नहीं देना चाहती जितना उनको मिलना चाहिए ।

अब जीवन निर्वाह व्यय देशनांक को लीजिये । बाइसवीं स्थायी मज़दूर समिति ने सिफारिश की थी कि मंहगाई भत्ते को मूल्य देशनांक से जोड़ दिया जाये । परन्तु सरकार ने इस दिशा में कोई क़दम नहीं उठाया । इसके अतिरिक्त जीवन निर्वाह व्यय देशनांक की गणना भी ग़लत तरीके से की गयी । इस ग़लती के लिए जब गुजरात तथा महाराष्ट्र के मज़दूरों ने आन्दोलन किया तो सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की । इस समिति ने भी यही सिफारिश की कि देशनांक की गणना ग़लत की गयी है । इससे साफ मालूम हो जाता है कि सरकार ने देशनांक के अनुसार मंहगाई भत्ता न दिलवा कर मालिकों को करोड़ों रुपयों का लाभ कराया है ।

सरकार का अब यह कहना है कि जीवन निर्वाह व्यय देशनांक बढ़े नहीं हैं । मैं इस बारे में दो उदाहरण देता हूं । दिन प्रति दिन बाज़ारों में मज़दूरों को चीज़ों के मूल्य बढ़ जाने के कारण कठिनाई उठानी पड़ रही है परन्तु श्रम विभाग का देशनांक निकालने का तरीका ही अजीब है । पश्चिम बंगाल में गंगा के एक ओर हावड़ा है तथा दूसरी ओर कलकत्ता है । परन्तु दोनों ओर के जीवन निर्वाह व्यय देशनांक अलग अलग हैं । कलकत्ता में देशनांक 132 से 127, दिसम्बर, 1964 में हो गये जबकि हावड़ा में वह 134 हो गये । इससे स्पष्ट हो जाता है कि कहीं न कहीं कोई न कोई गड़बड़ ज़रूर है । मैं तो समझता हूं कि सरकार केवल इसलिए यह गड़बड़ करती है जिससे मंहगाई भत्ता न देना पड़े । इस प्रकार सरकार मालिकों के एजन्ट के रूप में काम कर रही है ।

हमारे देश में इंजीनियरिंग उद्योग एक महत्वपूर्ण उद्योग है । इस उद्योग में लगभग 15 लाख मज़दूर काम कर रहे हैं । परन्तु इनके लिए मज़ूरी बोर्ड नहीं बनाया गया था । बड़ी मुश्किल से आन्दोलनों के कारण मज़ूरी बोर्ड बना दिया गया । परन्तु अन्य उद्योगों के, जैसे सड़क परिवहन कर्मचारी, रेलवे कर्मचारी आदि के कर्मचारियों के लिए अभी तक कोई मज़ूरी बोर्ड नहीं बनाया गया है । इसका क्या कारण है; सरकार को हमें बताना चाहिए । मैं तो समझता हूं कि इन कर्मचारियों के लिए शीघ्रातिशीघ्र मज़ूरी बोर्ड बनाया जाना चाहिए ।

अब आप न्याय निर्णय को लीजिये । न्याय निर्णय में मज़दूरों को दो वर्ष लग जाते हैं । इन दो वर्षों के बाद मालिक उच्च न्यायालय में अपील कर देते हैं और उसके बाद उच्चतम न्यायालय में । इसमें इतना समय लग जाता है कि कभी कभी तो मज़दूर मर जाते हैं और उनका मामला सुलझ नहीं पाता है । माननीय मंत्री को इस ओर ध्यान देना चाहिए ।

इन्टक तथा दूसरी यूनियनों में भी भेदभाव बरता जाता है । विज़ाग बन्दरगाह में एक जांच की गयी थी और उसको बहुमत वाली यूनियन मान लिया गया था । परन्तु कुछ महीनों बाद इस निर्णय को बदल दिया गया और अल्पसंख्यक वाली यूनियन को बहुसंख्यक वाली क़रार दे दिया गया । ऐसी अजीब हालत है ।

सरकारी क्षेत्र में जो निर्णय लिये जाते हैं उनको क्रियान्वित नहीं किया जाता है । इसके अतिरिक्त न्याय निर्णय लेने में भी मज़दूरों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है । उदाहरण के लिए मैं गार्डन रीच वर्कशाप के बारे में बताता हूं । चार वर्ष पहले इस कारखाने के मज़दूरों ने अपना मामला पश्चिम बंगाल के श्रम विभाग को सौंपा । उन्होंने उसको केन्द्रीय सरकार श्रम मंत्रालय को भेज दिया । श्रम मंत्रालय ने प्रतिरक्षा विभाग को भेज दिया । मज़दूरों का झगड़ा प्रतिरक्षा विभाग से ही था और मामला उसी विभाग को भेज दिया गया कि उसको न्यायनिर्णय के लिए सौंपा जाये अथवा नहीं । इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि न्यायनिर्णय के लिए न्यायाधिकरण को मामला सौंपने में बड़ी कठिनाई होती है और कभी कभी मामला न्यायाधिकरण में नहीं जा पाता है । इसलिए मेरा यही कहना है कि एसी व्यवस्था होनी चाहिएं जिससे मज़दूरों के मामले शीघ्रातिशीघ्र न्यायाधिकरण को सौंपे जाने चाहिए और उनके द्वारा दिये गये निर्णयों को सरकारी क्षेत्र के कारखानों को तुरंत लागू करना चाहिए ।

सभा में ठेका मज़दूर प्रणाली के बारे में कई बार तथा कितनी ही बार संकल्प प्रस्तुत हुए हैं । गत सत्र में माननीय मंत्री ने आश्वासन दिया था कि उनका विचार इसको समाप्त कर देने का है । परन्तु स्थायी श्रम समिति में एक विधयक पर विचार हुआ है । मझे मालूम हुआ है कि इस विधेयक में सरकार का विचार ठेका प्रणाली का विनियमन करने का है । यह कितनी शर्म तथा दुःख की बात है कि मंत्री महोदय सभा में कहते हैं कि वह इस प्रणाली को समाप्त करना चाहते हैं परन्तु दूसरी ओर इसको नियमित करने के लिए विधेयक बना रहे हैं ।

हाल में ही हम ने आई० सी० एफ० टी० यू० के बारे में सुना यह अमरीकी यूनियन है तथा इसका काम भारत में कालिज आदि खोल कर तथा लाखों रुपया कमा करके भ्रष्टाचार फैलाना है । यह संस्था अपने ए० आर० ओ० को 5,000 रुपया प्रति मास देते हैं । इस प्रकार हमारे मज़दूरों को भ्रष्ट करते हैं । दूसरी ओर रूस को आपने कोई कालिज आदि खोलने की अनुमति नहीं दी है । मैं चाहता हूं कि अमरीकियों की इस प्रकार की कार्यवाहियों को रोका जाना चाहिए ।

Shri Buta Singh (Moga) : I want to express my views about the report presented by the Ministry of Labour and Employment before the House. The more have the handicrafts increased the greater is the speed with which the labour problems have increased. Seeing the slums, Jhuggies and Jhonpries before big factories and the condition of the labour class thus presented, one is constrained to remark that the Government has not acquitted itself well in this huge task which it took upon itself. For the past seventeen years this Government has taken the responsibility of creating a socialist pattern of society. I very well remember the last speech made by Shri Gulzari Lal Nanda in this House in the capacity of Labour Minister, in which he had stated that his socialism resembled Sarvodaya. That socialism was entirely different from Marxism. He had stated in his last speech that there were four or five basic things in his socialism. These are the basic elements of life and I lay great stress on them. He had said that the labourer should be provided with house, food, clothing and education for his children. These were the tenets of his socialism which he had stated. Keeping all these things in view, I am sorry to say that our Minister Shri Sanjivayya, whose loyalty and patriotism cannot be doubted, has been utterly unsuccessful in dishcarging his responsibilities.

The social situation of our county is such that most of the labourers come from backward and oppressed classes and who are economically very weak When these people come to work in Government on private facotires the responsibility falls on the Government to pay attention to their welfare.

[Shri Buta Singh]

When I see this report, I am pained to see that all the promises have been broken one by one, they have not fulfilled even a single promise. The hon. Minister stated in his report that two items of his Ministry, Employees State Insurance Scheme and Employees Provident Fund Scheme have now been transferred to the Ministry of Social Security. Both of them have a vital link with the life of labourers. I don't say that their importance has been minimised by transferring them to the Ministry of Social Security. I would rather request the Labour Minister that although these two departments, which are vitally linked with the welfare of the labourers, have been transferred to the Socia Security Ministry which is a subordinate Ministry, no doubt they have been attached to the Law Ministry yet he must pay his full attention to see that both the schemes are functioning very well.

Just now my friend referred to the mutual relations of labourers and mill owners, I want to bring certain thing to your notice in this connection. It is mentioned in the report that while 33 lakh man-days were lost in 1963, 73 lakh man-days have been lost in 1964. I very well remember that when China attacked India in 1962 the labourers and mill-owners had assured their full co-operation to the Government which came to be known as Industrial Truce Resolution. According to this , the labourers and mill-owners pledged that they would preserve the independence of the country, would defend the borders and increase the production and they would extend complete co-operation to the Government in all these matters. But what happened? The Government made them promise such a big thing but forgot its own responsibility. The Government failed in supplying to the labourers the necessities of life. The labourers worked overtime, gave money to the National Defence Fund from their petty salaries and did whatever else they could do, but the Government after declaring emergency, made it a dream and forgot that there is emergency. As a result thereof, the labourers had to adopt such methods for their demands that there was not only loss in production but it created a danger to the peace of India. To-day the same situation is there which was there in 1963. I hold the Government responsible for all these things.

Not only this, the question of Bonus Commission was raised recently. The Government has to implement the decision of the Bonus Commission perhaps it is known to the members that States and Central Government are the biggest employees. Although it is a single unit, yet maximum number of employees are employed by it. When the Government is not able to enforce its own schemes and laws in its own factories and sector, then what right have they to enforce wuch laws in the private sector? What right have they to ask the private sector to enforce such laws. I want that as separate Wage Boards have been set up for each trade, in the same way for Railway and P.&T. workers separate wage boards should be set up. I support this thing also that these wage reports which are unanimuous or majority reports should be accepted by the Government and then it should ask other to accept them. Only then can to ask others to accept and not otherwise. The Government is a big industrial unit and it should set such an example and model, so that industrialists and mill-owners in the private sector may be able to follow it.

In the last session of this House we toured Rourkela, Bhilai and Vishakhapatnam , where we saw many factories and Industries run by the Government where the labourers were working. After comparing their working conditions, with that of the private sector, I have to say with great regret that what we saw

in Jamshedpur, we saw in Rourkela and Vishakhapatnam. These are the conditions in your factories.

Then there is the question of minimum wages. I am in its favour. But while fixing minimum wages, the whole situation should be kept in mind. The Government should not be influenced by political pressures, while fixing minimum wages. Many political parties exploit the labourers for their own political purposes. I am against it. I want the labourers should have their own union which should be independent and for the welfare of the labourers and not for the benefit of any political party.

It has been observed that these political parties when they are not able to get things done by legitimate means, resort to strike involving lakhs of workers, which harms the interest of not only the country but the labourers also. This is a bad thing. I want that the labour unions should be completely independent and should not serve the ends of a political party. It may be congress or any other political party, if it is exploiting the labourers to its own ends, then I must condemn it. I say it for the communist party also. They should not exploit the labourers for their own purposes but should serve the interest of the labourers.

The question of minimum wages is very much current in Punjab I read it in the newspapers to day that some dispute is going on in the Textile Industries. In the Textile Industries, the mill-owners think that they can increase the production through piece rate charges. I want that the labourers should be given good wages so that they can maintain themselves nicely but it should be to the limit, that production should not be affected or reduced. While fixing minimum wages, the necessaries of life should be kept in view. After these have been fixed, if then some industrialist thinks that he can increase the production through piece rate wages then he should be allowed to do it. But the piece rate wages should not be less than the minimum wages and he should have complete freedom to increase the production of his factory and to categories his trade.

Then there is the question of machinery for settling the disputes of labourers and providing them with justice. With great regret I want your permission to present before the House a case which is going on in punjab for the last four years. This is about a spinning mill which in Chhehratta near Amritsar. 225 labourers were removed with the orders of the Punjab Government. This happened in those days when a single person was ruling in punjab. He had created such a set up that he would make and unmake laws at his own free-will. In those days this dispute of Chhehratta mill cropped up. The Government appointed a board and its terms of reference were. "Whether the action of the management in discharging/not allowing the workmen mentioned in the enclosed list to resume work is justified and in order ? If not to what relief they are entitled ?" The board had to give its decision on this order of Government given with all earnestness. But when political pressure was put, the same Government changed the order favourable to the workers and appointed another board which was not in favour of the workers. Its terms of reference were: "Whether the workmen (List given below) have not abandoned their jobs by refusing to give the undertaking as required by the management."

I want to place this before the House, with your permission. Some mill owners changed the decisions of the courts with the connivance of the Governments this is a very bad thing. Justice is done when it is dispensed quickly

[Shri Buta Singh]

and it must seen that justice has been done. Keeping this situation in-view, I am compelled to say that the Government always works half heartedly in settling such disputes. No policy of the Government is so clear as to suggest that some machinery is being evolved for giving justice to the labourers, to safeguard the interest of the labourers or to give them uick justice. It is a matter of great regret I know so many cases that it will take much time, even to mention one of them.

This Government set up a commission under the Chairmanship of a retired judge, Shri Jagan Nath Das in 1959. The Commission in its report said that whenever disciplinary enquiry is to be conducted against any Government employee, then his immediate officer should not be entrusted with the task of enquiry. We have come across hundreds of such cases and many such cases have been filed in the law courts where the officer conducting the enquiry against a Government employee is the same officer against whom the complaint has been made. Many such cases were brought before the law courts where judgements against the Government were given. This is such an uncivilised Government that despite instructions from law courts, it has not changed its decisions.

Another thing has come before us that the permission of Public Service Commission should be taken before dismissing a Government employee. Under the Service Rules it is necessary to take the permission of the Public Service Commission before passing such dismissal orders. But the Government has never instructed its employees to do it. This thing came to our notice very late, that also when the Advocate General of India made it known that only 2 per cent of such cases were referred to the Public Service Commission about which we can make this allegation against the Government that they dismissed these employees without consulting the Public Service Commission.

Keeping all these things in view, I want to present this thing before the House that no housing arrangement has been made for the labourers. What can we say about others when the Government itself is meteing out such treatment to the labourers working in its factories and undertakings. They have not adopted any long-term policy in this connection I would suggest multi-storeyed buildings should be constructed and then sold to labourers at subsidised rates.

The worst thing which we have observed is that all the factories manufacturing handicrafts and other things have been set up in cities where fine roads are already existing . No factories have been set up in villages and towns where the biggest part of India's population the labourers live. I would recommend to the hon. Minister that in future factories should be set up in places where the labourers may not have to leave their houses. If they are set up in village then the Government should look after their children and those people who have been displaced should be provided with work in those factories.

This is not all. I want to say something about the labour contract system. Although the contract system is existing in many places, yet its defects can be minimised. Minimum standards can be fixed *i.e.* minimum wage should be fixed. The Government should open fair price shops for supplying the necessary things to the labourers engaged by it. If there is shortage of something outside a factory, the Government, keeping in view the welfare of the labourers and the production of India, should given subsidy to the fair price shops in that particular area so that the labourer should be sure of getting his ration for

Rs. 30/- if he is getting a wage of Rs. 100/- whatever the cost outside. If the Government cannot check the prices, then it should at least, give some subsidy to the labourers, if their wages cannot be increased permanently. I hope the hon. Minister will pay attention to my requests.

Another important thing I want to say is about the participation of labour in the management of industries. This is a thing which not only encourages the labourers and increases production but it will create a new social structure which will do away with the gap between the labourers and the millowner. I am in this favour that when the Government wants full participation of the labour in the management, then the Government should give all facilities to the labourers for their participation in the management.

Then there is the question of improving the relationship. The mill-owner is always on the look out to increase production. I want to suggest that the labourers should be provided with such facilities so that the gap between the labourers and the millowner can be narrowed down.

The hon. Minister has forgotten to mention one thing. You have provided lot of facilities in those factories where more than 30 workers are working but you have not taken any decision about factories where 1 or 20 workers are working. I want to suggest that, as the England here also Wage Board or Water Boards should be set up .

We do not have a large number of big factories. The Government is not paying any attention to small units in villages and towns. The Government should pay full attention to needs of labourers in those factories. The Government must make some arrangement for getting facilities for the labourers from these mill-owners. This will benefit the small-scale industries to a large extent. Small scale industries also should be kept outside the purview of law. In such industries the mill-owners do not pay attention to the labourers Government should try to get suitable facilities for the labourers in small factories.

Unemployment is also a major problem. These are two parts of this problem, employment and labour. The Government has admitted in the report that there will be 14 million unemployed people after the Third Five Year Plan. It is a matter of great regret that for the last 17 years so many big achievements are being boasted of, yet the problem of unemployment is increasing. Increasing population is one of the reasons of unemployment. The Government has not tried to provide full employment to the fresh engineers and engineers. What is the reason that graduates are pulling rickshaws ? What is the reason that graduates are not getting employment? Is it the fault of the Government or the education system is such that these graduates are not able to get the post of a clerk.

People get themselves registered in employment exchange, but there is no shop or factory where the recommendation of a big person is not necessary. I need not go far. Lakhs of persons are working in Governments' Corporations, undertakings, Railways, P & T, but there also you cannot get a job without the recommendation. I want that some such institution should be set up where fresh graduates should be given guidance for finding a job. Every boy studying in a college should know where to go after completing their education.

When emergency was declared, alongwith that Emergency Commissions in the Armed Forced were also announced. Fresh graduates who had received N.C.C. training got the emergency commision.

Emergency is still there but the sense of emergency is absent in Government offices and in the hearts of Ministers. Even now fighting is going on on the borders of India.

[Shri Buta Singh Moga]

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*)

I want to draw the attention of the Government to another thing; all those officers who were recruited under emergency are now sitting in their houses. I do not understand what is this way of combating emergency. The Government departments are not prepared to accept back those employees who got the Emergency Commissions and now they cannot do any other work because they have received military training for about 2 years. They can neither cultivate the land nor work in a factory. Now they are without any work. I want to know whether emergency has ended; whether there is no danger on the borders of the country that they have discharged the Emergency Commissioned Officer ?

I hope the hon Minister will pay attention to the submissions made by me. He had said in one of his speeches that he is an "incorrigible optimist". I appeal to this incorrigible optimist that seeing the pitiable condition of the labourers he should change his optimistic attitude and reply to my pleaeding.

श्रम और रोजगार मंत्रालय की मांगों के सम्बन्धों में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
75	28	श्री किशन पटनायक	भारत सरकार के मुद्रणालयों के लाइनों-ओपरेटरों और प्रबन्धकों के बीच झगड़े को न्याय-निर्णयन को न सौंपना	100 रुपये
75	29	श्री किशन पटनायक	कोयला खान कर्मचारियों को जूते देने से संबंधित पंचाट को कार्यान्वित करने में अनियमितायें	100 रुपये
75	33	श्री वारियर	आचरण संहिता और औद्योगिक सन्धि संकल्प का उल्लंघन करने वाले सभी मालिकों को दण्ड देने की आवश्यकता	100 रुपये
75	34	श्री वारियर	बोनस के संबंध में तुरन्त विधान प्रस्तुत करने की आवश्यकता	100 रुपये
75	35	श्री वारियर	प्रबन्ध में कर्मचारियों के भाग लेने के क्षेत्र का विस्तार करने की आवश्यकता	100 रुपये
75	36	श्री वारियर	कर्मचारी शिक्षा केन्द्रों में कर्मचारियों की शिक्षा का स्तर ऊंचा करने की आवश्यकता	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
75	37	श्री वारियर	औद्योगिक श्रमिकों को उच्चतर शिल्पिक प्रशिक्षण देने की आवश्यकता	100 रुपये
75	38	श्री वारियर	कारखानों, बागानों और अन्य औद्योगिक उपक्रमों की समय समय पर अधिक जांच करने की आवश्यकता	100 रुपये
75	39	श्री वारियर	इमारतें बनाने वाले कर्मचारियों के संरक्षक के लिए विधान बनाने की आवश्यकता	100 रुपये
75	40	श्री वारियर	समाचारपत्र संस्थानों सहित सभी उद्योगों में औद्योगिक सम्बन्ध समितियां बनाने की आवश्यकता	100 रुपये
75	41	श्री वारियर	उन सभी क्षेत्रों में जहां 500 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं सस्ते मूल्य वाली दूकान खोलने की आवश्यकता	100 रुपये
75	42	श्री वारियर	कर्मचारियों के लिए सस्ते अनाज की दूकानें खोलने की आवश्यकता	100 रुपये
75	43	श्री वारियर	सभी उद्योगों के लिए मजूरी बोर्ड बनाने की आवश्यकता	100 रुपये
75	44	श्री वारियर	शिक्षितों में बेरोजगारी दूर करने के लिए अधिक प्रभावशाली कार्यवाही करने की आवश्यकता	100 रुपये
75	45	श्री वारियर	शिक्षित महिलाओं में बरोजगारी दूर करने के लिए अधिक प्रभावशाली कार्यवाही करने की आवश्यकता	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
75	46	श्री वारियर	श्रम कानूनों को अधिक कड़ाई से लागू करने और दोषी प्रबन्धकों को दण्ड देने की आवश्यकता	100 रुपये
75	47	श्री वारियर	सुरक्षा कानूनों को अधिक कड़ाई से लागू करने की आवश्यकता	100 रुपये
75	48	श्री वारियर	कारखानों, खानों और बागानों में काम की परिस्थितियों संबंधी कानून लागू करने की आवश्यकता	100 रुपये
75	49	श्री वारियर	औद्योगिक कर्मचारियों के आवास सम्बन्धी कानून लागू करने की आवश्यकता	100 रुपये
75	50	श्री वारियर	कर्मचारियों के लिए जीवन निर्वाह लागत सूचकांक का हिसाब लगाने के वर्तमान तरीके की छानबीन करने और अधिक नवीनतम वैज्ञानिक तरीकों के अनुसार उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता	100 रुपये
75	51	श्री वारियर	जहा कहीं न्यूनतम मजूरी निश्चित की गयी हो, वहां उसे लागू करने की आवश्यकता	100 रुपये
75	52	श्री वारियर	प्रस्तावित राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् में श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि भेजने की आवश्यकता	100 रुपये
75	53	श्री वारियर	ठेके के मजदूर रखने की प्रणाली समाप्त करने की आवश्यकता	100 रुपये
75	54	श्री वारियर	औश्रोगिक विवादों के निर्णय में विलम्ब दूर करने के लिए न्याय-निर्णय और मध्यस्थ-निर्णय की पद्धतियों को सुदृढ करने की आवश्यकता	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
75	55	श्री वारियर	जहां कहीं इस समय वर्क्स कमेटियां नहीं हैं, वहां उनकी स्थापना करने की आवश्यकता	100 रुपये
75	56	श्री वारियर	कुछ श्रेणियों के नौभरण श्रमिकों के सम्बन्ध में कार्यान्वित किए जाने वाले क्लोज्ड शाप तरीकों के विरोध में कार्यवाही करने की आवश्यकता	100 रुपये
75	57	श्री वारियर	भविष्य निधि उपदान, प्रसूति सम्बन्धी तथा अन्य लाभों से कर्मचारियों को वंचित रखने के लिए मालिक विधान की जिन त्रुटियों से लाभ उठाते हैं, उन्हें दूर करने की आवश्यकता	100 रुपये
75	58	श्री वारियर	समझौता कार्यवाही के लिए श्रमिकों और प्रबन्धकों के प्रतिनिधियों को बुलाने के लिए श्रम अधिकारियों को अधिक शक्ति देने की आवश्यकता	100 रुपये
75	65	श्री इन्द्रजीत गुप्त	कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्डों को पुनर्गठित करने की आवश्यकता	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये ।
75	66	श्री इन्द्रजीत गुप्त	कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड में अनियमितताये और कुप्रशासन के गम्भीर आरोप	100 रुपये
75	67	श्री इन्द्रजीत गुप्त	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में उल्लिखित कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड की वित्तीय अनियमितताओं की तुरन्त जांच करने की आवश्यकता	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
75	68	श्री इन्द्रजीत गुप्त	कलकत्ता पत्तन आयुक्तों के अधीन 'ख' और 'ग' श्रेणियों के समुद्रतटीय श्रमिकों को स्थायी न करना	100 रुपये
75	69	श्री इन्द्रजीत गुप्त	गोदी कर्मचारियों को बोनस देने की आवश्यकता	100 रुपये
75	70	श्री इन्द्रजीत गुप्त	कलकत्ता में गोदी श्रमिकों के लिए मकानों की भारी कमी	100 रुपये
75	71	श्री इन्द्रजीत गुप्त	गोदी श्रमिक मंत्रणा समिति को पुनर्गठित करने और उसके कार्यों को नियमित बनाने की आवश्यकता	100 रुपये
75	72	श्री इन्द्रजीत गुप्त	रेल कर्मचारियों के लिए अलग मजूरी बोर्ड बनाने की आवश्यकता	100 रुपये
75	73	श्री इन्द्रजीत गुप्त	केन्द्रीय क्षेत्र में कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अधीन निर्धारित दरों को बढ़ाने की आवश्यकता	100 रुपये
75	74	श्री इन्द्रजीत गुप्त	उड़ीसा के खान मालिकों द्वारा मजूरी बोर्ड की अन्तरिम सहायता सम्बन्धी सिफारिश का कार्यान्वित न किया जाना	100 रुपये
75	75	श्री इन्द्रजीत गुप्त	बारबिल, उड़ीसा, के 20,000 लोहा और मैंगनीज खनिकों को जो हड़ताल कर रहे हैं, अन्तरिम सहायता देने की आवश्यकता	100 रुपये
75	76	श्री इन्द्रजीत गुप्त	अन्तरिम सहायता के सम्बन्ध में मजूरी बोर्ड की सिफारिश का गोआ के लौह अयस्क खान मालिकों द्वारा कार्यान्वित न किया जाना	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
75	77	श्री इन्द्रजीत गुप्त	न्यूनतम मजूरी के सम्बन्ध में मजूरी बोर्ड की सिफारिश का पटसन मिल मालिकों द्वारा निरंतर कार्यान्वित न किया जाना	100 रुपये
75	78	श्री इन्द्रजीत गुप्त	मारमागोआ बन्दरगाह के 800 विन्चमन और 1500 गैंग कर्मचारियों को स्थायी के आकस्मिक बनाना	100 रुपये
75	79	श्री इन्द्रजीत गुप्त	गोआ के लिए गोदी श्रमिक बोर्ड कायम करने में शीघ्रता करने की आवश्यकता	100 रुपये
75	80	श्री इन्द्रजीत गुप्त	मारमागोआ नौभरक (स्टेवेडोर्स) संघ द्वारा स्थापित पूल में कर्मचारियों के पंजीयन के लिए सेवा प्राथमिकता सुनिश्चित करने की आवश्यकता	100 रुपये
75	81	श्री इन्द्रजीत गुप्त	आकस्मिक श्रमिकों को हटाने और पुनः नियुक्त करने के सम्बन्ध में ताकि उन्हें केन्द्रीय वेतन आयोग के लाभों से वंचित रखा जा सके, रेलवे प्रशासन की अनुचित प्रथा	100 रुपये
75	82	श्री इन्द्रजीत गुप्त	बोनस विधेयक पुनः स्थापित करने में विलम्ब	100 रुपये

उपाध्यक्ष महोदय : ये सभी कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं ?

श्री अ० प्र० शर्मा (बक्सर) : इस देश में सरकारी क्षेत्र के सब से बड़े उपक्रम रेलवे और प्रतिरक्षा संस्थान है। माननीय श्रम मंत्री ने रेलवे में श्रम संबंध अथवा शांति बनाये रखने के बारे में संतोष प्रकट किया है। परन्तु वास्तव में तो स्थिति उलट ही मालूम देती है। मैं जानना चाहता हूं कि शांति स्थापित करने के लिये जिम्मेवार कौन है।

[अ० प्र० शर्मा]

मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि इस देश के मजदूरों को देश के नेताओं पर अब भी भरोसा है। उनको श्रम मंत्री पर भी भरोसा है। यदि ऐसा न होता तो इन दोनों उपक्रमों में स्थिति पूरणतः भिन्न होती।

रेलवे में 12 लाख मजदूर काम करते हैं और प्रतिरक्षा संस्थानों में 4 लाख मजदूर काम करते हैं। यह आश्चर्य की बात है कि श्रम संबंध के बारे में मंत्रालय के प्रतिवेदन में केवल एक पंक्ति दी हुई है। मैं चेतावनी देता हूं कि यदि यही स्थिति चलती रही तो गम्भीर श्रमिक झगड़ पैदा हो जायेंगे। मुझे ऐसा इसलिये कहना पड़ता है कि यह मंत्रालय मजदूरों की समस्याओं के प्रति उदासीन है।

श्रम और रेलवे प्रशासन में समझौते के परिणामस्वरूप रेलवे में स्थायी वार्ता पद्धति स्थापित की गई है। इस व्यवस्था के उपबन्धों के अनुसार यदि किसी समस्या का समाधान आपसी बातचीत द्वारा नहीं हो सकता है तो उसे एक न्यायाधिकरण के पास भेजा जायेगा जो इस प्रयोजन के लिये स्थापित किया गया है। हाल ही में रेलवे में इस संबंध में एक आश्चर्यजनक घटना हुई है। रेलवे में लगभग 4 लाख ऐसे मजदूर हैं जिन्हें नैमित्तिक श्रमिक कहा जाता है। इन मजदूरों को 1.25 रु०—2.00 रु० प्रतिदिन की दर से मजूरी दी जाती है। यही काम करने वाले स्थायी मजदूरों को 3.50 रु० की दर से मजदूरी दी जाती है। इस पर रेलवे मंत्रालय और रेलवे श्रमिक संघ में झगड़ा है। हमने कहा कि इस मामले को मध्यस्थ निर्णय के लिये दिया जाये। रेलवे मंत्रालय कहता है कि क्योंकि वह सरकारी विभाग है इसलिये उसे इस मामले को मध्यस्थ निर्णय के लिये देने से इनकार करने का पूरा अधिकार है जब यह अधिकार केवल श्रम मंत्रालय को ही होना चाहिये। श्रम मंत्रालय इस मामले में तमाशा देख रहा है। क्या ये मंत्रालय श्रम मंत्रालय से अधिक शक्तिशाली हैं। यदि एसा है तो श्रम मंत्री को विश्वास दिलाता हूं कि इस देश के सारे मजदूर उनके साथ हैं और उन मंत्रालयों के विरुद्ध कार्यवाही करें। यदि मध्यस्थ निर्णय नहीं होगा तो मैं बता देना चाहता हूं कि मजदूर हड़ताल करने के लिये बाध्य हो जायेंगे। अब समय आ गया है कि श्रम मंत्रालय को मजदूर कानून के कार्य और उनके उल्लंघन के संबंध में जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त करनी चाहिये। इस संबंध में जब तक रेलवे और प्रतिरक्षा मंत्रालयों के साथ गैरसरकारी नियोजकों जैसा सलूक नहीं किया जायेगा वे श्रम मंत्रालय की बात नहीं मानेंगे।

यदि कोई गैर-सरकारी नियोजक मजदूर कानून को तोड़ता है तो उसको दण्ड दिया जाता है और उसपर जुर्माना किया जाता है। परन्तु इन मंत्रालयों के संबंध में ऐसा नहीं है और श्रम मंत्रालय इसकी निगरानी नहीं करता है। मंत्रालय के प्रतिवेदन में श्रमहित का भी जिक्र किया गया है। 1964 में 73 लाख श्रमदिन नष्ट हो गये जब कि 1963 में 33 लाख और 1962 में 61 लाख श्रमदिन नष्ट हुए थे। इसका कारण मजदूरों द्वारा ऊंची मजूरी और महंगाई भत्ता की मांग करना है। इस संबंध में फिर कहूंगा कि यदि सरकार उनकी मांगों को आपसी बात चीत द्वारा नहीं निपटायेगी तो उसके लिये और कौनसा रास्ता रह जाता है।

माननीय श्रम मंत्री को इसके कारणों की जांच करनी चाहिये और देखना चाहिये कि क्या नियोजकों द्वारा मांग को आपसी बातचीत द्वारा निपटाने के लिये इनकार करने के कारण ऐसा होता है। यदि ऐसा है तो नियोजकों को इसके लिये दोषी ठहराना चाहिये।

15 वर्ष पहले यह वायदा किया गया था कि मजदूरों को प्रबन्ध में भाग लेने दिया जायेगा। इस संबंध में अध्ययन करने के लिये एक विशेषज्ञ दल विदेशों में भेजा गया था। रेलवे मंत्रालय में कुछ योजनाएं तैयार की गई थीं और एक अधिकारी को भी इस कार्य पर लगाया गया था। मैं जानना चाहता हूं कि उस योजना का क्या बना।

इस प्रतिवेदन के अनुसार देश में इस समय ऐसे 36 उपक्रम हैं--सरकारी क्षेत्र के--जिनमें मजदूरों को प्रबन्ध में भाग दिया जाता है। वे कौन कौन से उपक्रम हैं और उनमें कितने मजदूर काम करते हैं। रेलवे, डाक तार, प्रतिरक्षा जैसे बड़े संस्थानों को छोड़ दिया गया है। और छोटे छोटे कारखानों को ले लिया गया है जिनमे 200 या 500 मजदूर काम करते हैं।

श्री इलियास ने कहा कि अखिल भारतीय कार्मिक संघ कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय कार्मिक संघ कांग्रेस दोनों के साथ सलूक में सरकार भेद-भाव करती है। मेरा आरोप यह है कि इंटक को सबसे अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त है और इसलिये इसको ही इन समितियों में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये। सरकार को दूसरी संघ जो है--ए० आई० टी० यू० सी०--उसको प्रतनिधित्व देने पर विचार नहीं करना चाहिये। वह संघ साम्यवादियों की है जो देश में तोड़-फोड़ की कार्यवाहियों में लगे हुए हैं।

एक उद्योग में एक संघ का नारा लगाया जाता है। इस प्रकार कई संघ हो जाती हैं और वे विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रति निष्ठा रखती हैं। यह सही नारा नहीं है। एक संघ होनी चाहिये और उसमें राष्ट्रीयता की भावना होनी चाहिये। ऐसी संघ को ही मान्यता दी जानी चाहिये।

इस में तब तक औद्योगिक शांति नहीं बनाई जा सकती है जब तक कि मजदूर तृप्त नहीं होंगे। इसके लिये मजदूर को अच्छी मजूरी, काम करने की अच्छी हालतों, उचित आवास सुविधाएं मिलनी चाहियें। इसके साथ साथ अच्छे औद्योगिक संबंधों का होना भी बहुत जरूरी है। झगड़ों को निपटाने के लिये प्रभावशाली व्यवस्था होनी चाहिये। मैं विश्वास दिलाता हूं कि देश के बड़े हित का प्रश्न आयेगा हम उसके पक्ष में अपने हित को त्याग देंगे। परन्तु जहां तक सरकारी क्षेत्र में श्रम विधान का संबंध है, हम बिलकुल असंतुष्ट हैं और मैं चाहता हूं कि श्रम मंत्रालय शीघ्र ही इस संबंध में कुछ कार्यवाही करे।

श्रीमती रेणुका बड़कटी (बारपेरा) : मैं श्रम और नियोजन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करती हूँ ।

हमारी पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य यह रहा कि इस देश के करोड़ों लोगों को लाभप्रद काम दिलाया जाये। फिर हम अपने देश में बेकारी की समस्या में कोई सुधार नहीं कर पाये हैं। मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि अभी वर्षों तक हम बेरोजगारी की समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसका तो यह अर्थ हुआ कि हमारे लोगों के रहन सहन के स्तर और देश के उत्पादन में सुधार होने की कम ही आशा है।

[श्रीमती रेणुका बड़कटकी]

यह सच है कि हमारी योजनाओं में अधिक लोगों को रोजगार दिलाने का उपबन्ध किया गया है । परन्तु हमारी जनसंख्या इस तीव्रगति से बढ़ रही है कि इससे भी कोई विशेष लाभ न होगा । अब जब कि हम चतुर्थ योजना को तैयार कर रहे हैं इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि उसमें रोजगार की समस्या पर अधिक जोर दिया जाये । इसके लिये हमें सभी संबंधित बातों पर विचार करना चाहिये । जसे कि हमारी जनसंख्या का वृद्धि दर, भूगौलिक वितरण, शहरी और ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात आदि ।

हमें उत्पादन के लिये आधुनिक तरीकों को अपनाना है । उद्योगों में रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने हैं । और तब ही हो सकता है जब कि आधुनिक और नवीनतम मशीनों को प्रयोग में लाया जाये । मजदूरों और तकनीशियनों को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है । इस प्रकार भी रोजगार के लिये अवसर पैदा किये जा सकते हैं । और हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ मज़दूरों की मजूरी में भी वृद्धि हो ।

रोजगार की इन हालतों को पैदा करने के लिये मजदूरों को बड़े पैमाने पर शिक्षा देने की योजनाएं और कार्यक्रम होने चाहियें ।

हमारी औद्योगिक और रोज़गार संबंधी नीति यह होनी चाहिये कि रोज़गार के अधिक अवसर हों और मज़दूरों में इन अवसरों पर काम करने की पर्याप्त योग्यता और कार्य कुशलता हो । मैं आशा करता हूं कि चतुर्थ योजना में इन पिछली कमियों को पूरा किया जायेगा ।

मैं यह नहीं कहती कि मंत्रालय मजदूर शिक्षा के महत्व को नहीं समझता है । प्रतिवेदन में प्रशिक्षण संस्थाओं, योजनाओं और कार्यक्रमों का उल्लेख किया गया है । लेकिन यह मानना पड़गा कि एसी संस्थाएं अपर्याप्त हैं । प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में काफी सुधार की गुंजाइश है ।

अब मैं शिक्षित वर्ग में बेरोज़गारी की समस्या को लेती हूं । स्वयं प्रतिवेदन में दिया गया है कि शिक्षित बेरोज़गारों की संख्या में वृद्धि हुई है । रोज़गार दफतरों में दर्ज किये गये 8 लाख व्यक्तियों में से केवल 1,85,000 को ही रोज़गार दिलाया जा सका है । ऐसे व्यक्तियों की दशा और भी खराब है जो मैट्रिक से नीचे के स्तर के हैं और जिन्हों ने व्यवसायिक प्रशिक्षण ले रखा है । और यह और भी असन्तोष का विषय बन जाता है जब हम देखते हैं कि बेरोज़गारी के साथ इंजीनियरों, डाक्टरों आदि जैसे तकनी व्यक्तियों की कमी महसूस की जा रही है । एक ओर तो प्रशिक्षित व्यक्ति बेकारहैं और दूसरी ओर हमें प्रशिक्षित व्यक्ति मिल नहीं रहे हैं । निःसन्देह हमारी योजना में यह बड़ी त्रुटि है ।

अब मैं हमारे संगठित औद्योगिक मज़दूरों की समस्याओं के बारे में कुछ कहूंगी । प्रतिवेदन में कहा गया है कि हड़तालों के कारण श्रमघंटों की हानि में काफी वृद्धि हुई है । यह एक गम्भीर मामला है । हड़तालों का कारण कीमतों में अकस्मात् भारी वृद्धि और मज़दूरों की वास्तविक मजूरी में कमी होना है । निम्नतम मजूरी निर्धारित करने का निर्णय कई महीने पहले लिया गया था, परन्तु उसको अभी क्रियान्वित नहीं किया गया है ।

यह हर्ष की बात है कि बागानों में काम करने वाले मज़दूरों की काम की और रहन सहन की हालतों की जांच करने के लिये एक आयोग नियुक्त किया गया है । इस में कोई शक नहीं कि

इन मज़दूरों की नियोजन, आवास, चिकित्सीय सुविधाओं की हालतें बिल्कुल संतोषजनक नहीं हैं । इन मज़दूरों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये । मंत्रालय को बागानों में सहकारी स्वामित्व के सिद्धान्त को लागू करने की संभावना पर विचार करना चाहिये । मैं बताना चाहती हूं कि मलेशिया में भारतीय मज़दूरों ने मिलकर रबड़ के बागान खरीद रखे हैं और आज वे उनके मालिक हैं और उन में काम करते हैं । हमारी सरकार को भी यहां के मज़दूरों को बागान खरीदने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिये और उन की सहायता करनी चाहिये ।

श्रीमन्, मेरे राज्य में बहुत कम कारखाने हैं । वहां औद्योगिक विकास कुछ भी नहीं हुआ है । तेलशोधक कारखाने समेत वहां सरकारी क्षेत्र के कुछ ही उपक्रम हैं । इन उद्योगों में भी आसाम के बहुत कम लोग काम करते हैं । हमें कहा जाता है कि हमारे पास प्रशिक्षित व्यक्ति नहीं हैं । परन्तु, प्रशिक्षण देने के लिये कुछ भी नहीं किया जाता है । बाहर के लोगों को आसाम के लोगों की अपेक्षा अधिक अच्छा समझा जाता है । आसाम में यदि 10 व्यक्ति रोज़गार के लिये नाम लिखाते हैं तो उन में से 1 को रोज़गार मिलता है जबकि समस्त भारत का यह अनुपात 7 : 1 का है ।

सरकार द्वारा किये गये सर्वेक्षण से पता चलता है कि कृषक मज़दूर की औसत वार्षिक आय गिर गई है । मैं आशा करती हूं कि सरकार इस ओर ध्यान देगी ।

श्री मलाइछामी (पेरियाकुलम) : इलायची बागानों के मज़दूरों के लिये एक मजूरी बोर्ड स्थापित करने की बड़ी सख्त ज़रूरत है । इलायची बागानों में 2 लाख से भी अधिक मज़दूर काम करते हैं । काफी बागानों की तरह, इलायची भी पश्चिमी घाटों पर अधिक ऊंचाई पर उगाई जाती है । जांच से पता चलेगा कि मज़दूरों से बहुत सख्त काम लिया जाता है और उन्हें बहुत कम मजूरी दी जाती है । इसके अतिरिक्त उन्हें अनाज बहुत ऊंचे दामों पर दिया जाता है । उन के लिये उचित चिकित्सीय, आवास और शिक्षा सुविधाओं की भी कमी है । मकान बनाने के लिये उन को 25 प्रतिशत सहायता दी जानी चाहिये ।

मज़दूरों के रहन सहन के स्तर का पता उन की मजूरी से लगता है । इस सम्बन्ध में भूमिहीन कृषक मज़दूरों की दशा बहुत दयनीय है । वे गरीब, अनपढ़ और असंगछित हैं । राज्य सरकारों से उनके लिये 1 रु० प्रति दिन की मजूरी निर्धारित करने के लिये कहा गया है । आजकल इतनी महंगाई का जमाना है और वे लोग आधे भूखे रहते हैं । वे लोग गांवों में रहते हैं और सरकार केवल शहरों में ही शिक्षा, पानी, सफाई आदि पर पैसा खर्च करना जानती है । इस असंतुलन का प्रभाव न केवल सामाजिक अपितु आर्थिक ढांचे पर भी पड़ता है ।

हमारी अर्थ-व्यवस्था कृषि पर आधारित है और 50 प्रतिशत राष्ट्रीय आय कृषि से प्राप्त की जाती है । 80 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं और 70 प्रतिशत कृषि पर निर्वाह करते हैं । यदि कृषक मज़दूर, जोकि असंगठित हैं, दरिद्रता की हालत में और भूखे रहेंगे और सरकार उनकी ओर ध्यान नहीं देगी तो हम यह नहीं कह सकते कि हम समाजवादी हैं । निर्वाह देशनांक के आधार पर उन की मजूरी निर्धारित की जानी चाहिये ।

उनकी रहन-सहन की हालतों और काम करने की हालतों में शीघ्र सुधार किया जाना चाहिये । गांवों में उचित मूल्यों के और उपभोक्ता सहकारी स्टोर खोले जाने चाहियें । उनको मकानों के लिये मुफ्त प्लाट दिये जाने चाहियें । खेती के लिये उन को सरकारी बंजर भूमि दी जाये । उनको भूमि का मालिक बनाने के लिये भी सरकार को, जहां भी संभव हो, उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिये । इससे उत्पादन बढ़ेगा ।

श्री कशीनाथ पांडे (हाता) : श्री इलियास के इस कथन से मैं बिलकुल सहमत नहीं हूं कि श्रम मंत्रालय श्रम वरोधी नीति अपना रहा है । इस मंत्रालय के प्रयत्नों के कारण ही 25 लाख से अधिक मज़दूरों को विभिन्न उद्योगों में मजूरी बोर्डों की नियुक्ति द्वारा मजूरी में वृद्धि से लाभ पहुंचा है ।

अब श्रीमती बड़कटकी की कुछ टिप्पणियों को लेता हूं । यह ठीक है कि देश की आर्थिक दशा में बिना औद्योगीकरण के सुधार नहीं किया जा सकता है । परन्तु, हमारे देश की जनसंख्या बहुत बड़ी है और बेरोज़गारी की गंभीर समस्या हमारे सामने है । अतः ऐसी स्थिति में अपने आप काम करने वाली मशीनें लगाना देश के हित में नहीं है । उनकी जानकारी के लिये मैं बता दूं कि अमरीका में मोटर गाड़ियों के उद्योग में स्वचालित मशीनों के लगाने से 50 लाख मज़दूर बेकार हो गये थे । यद्यपि उस देश में श्रमशक्ति की कमी है ।

(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*)

यद्यपि, कीमतों में तेज़ी आने से मज़दूरों के लिये जो कठिनाइयां पैदा हो गई हैं, सरकार उसके लिये प्रयत्नशील है, फिर भी स्थिति ऐसी है कि यदि शीघ्र कोई उचित कार्यवाही न की गई तो मामला गंभीर हो जायेगा । 1963 में 33 लाख श्रम-दिन नष्ट हो गये थे ; लेकिन 1964 में इस की संख्या बढ़ कर 76 लाख पहुंच गई । क्यों ? इस का कारण था कीमतों का ऊंचा हो जाना ।

मैं जानता हूं कि मंत्रालय ने काफी प्रयत्न किये हैं और जिन कारखानों में 300 से अधिक मज़दूर काम करते हैं उन में सहकारी स्टोर खोलने पर जोर दिया है । लगभग 2,000 सहकारी स्टोर खोले गये हैं । परन्तु समस्या की गंभीरता को देखते हुए यह संख्या बहुत अपर्याप्त है । ये स्टोर ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं । फिर इन स्टोरों को अनाज सप्लाई करने का प्रश्न पैदा होता है । यदि सरकार इन को अनाज नहीं देती तो इन को खोलने का कोई फायदा नहीं है ।

कारखाना अधिनियम में सरकार का संशोधन लाने का विचार है । चाहे आप कानून द्वारा 1 लाख स्टोर खोल दीजिये, परन्तु जब तक उन को सरकार आवश्यक सामान नहीं देगी मज़दूरों को उन से कोई लाभ न होगा । यदि आप अधिक औद्योगिक उत्पादन चाहते हैं तो आप को यह देखना होगा कि मज़दूरों को सभी आवश्यक सामान मिलता है । यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो औद्योगिक उत्पादन गिर जायेगा ।

हमें किसान मज़दूरों की हालत को भी देखना है । चाहे हम कृषि के क्षेत्र में 200 करोड़ रुपया खर्च कर दें, हमें अपेक्षित लाभ नहीं होगा क्योंकि हमारे देश में ट्रेक्टरों, नलकूपों और यंत्रीकरण द्वारा कृषि उत्पादन बढ़ाने की बहुत कम गुंजाइश है । उत्पादन केवल किसान ही बढ़ा सकते हैं । जब तक किसान मज़दूरों को उचित सुविधाएं नहीं दी जातीं, जब उनकी मजूरी नहीं बढ़ाई जाती हम उनसे अधिक उत्पादन की आशा कैसे कर सकते हैं ? इसका महत्व कांग्रेस कार्यकारिणी समिति द्वारा दुर्गापुर के अधिवेशन में अनुभव किया गया था । परन्तु हुआ क्या ? यहां जब सरकार से निम्नतम मजूरी के लिये कहा गया तो उत्तर मिला कि उस को क्रियान्वित करना तो सम्बन्धित राज्य की जिम्मेवारी है ।

जैसाकि प्रत्येक सदस्य जानता है कुछ राज्यों में किसान मजदूरों को 62 पैसे प्रति दिन मिलते हैं । मान लो, यदि उस के 3–4 बच्चे हों तो वह कैसे गुजारा कर सकता है । अतः मेरी राय में केन्द्रीय श्रम मंत्रालय को इस पर कार्यवाही करनी चाहिये । उसको यह सुनिश्चित करना चाहिये

कि किसी भी किसान मज़दूर को 2 रु० प्रति दिन से कम न मिले । लोगों को इन ग़रीब मज़दूरों का शोषण क्यों करने दिया जाता है ।

इस मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि सारे देश में निम्नतम मजरी अधिनियम का समान रूप से पालन किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त कीजिये ।

श्री क० ना० पांडे : मैं थोड़ा समय और लूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : तो आप बैठ जायें । हमें कुछ और कार्यवाही करनी है । अब, गृह-मंत्री ।

कच्छ-सिन्ध सीमा की स्थिति के बारे में वक्तव्य

STATEMENT *RE:* SITUATION ON KUTCH-SIND BORDER

Shri Kishan Patnaik (Sambalpur) : Most:often the hon. Minister do not take this House into confidence and we have to get news from newspapers and other sources. The Ministers should not side anything and place the facts before the House.

Mr. Speaker : Well, sit down.

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : 9 अप्रैल को इस सभा में दिये गये वक्तव्य के उपरान्त प्राप्त सूचना के अनुसार 9 अप्रैल को सरदार स्थित हमारी सीमा चौकी पर भारी तोपों तथा मध्यम मशीन गनों द्वारा एक आक्रमण प्रातः 3-40 बजे हुआ । इसके साथ ही 25 पाउण्ड की तोपों का प्रयोग भी किया गया जो 51 इन्फैन्ट्री ब्रिगेड की स्थायी पाकिस्तानी सेना 2 बटालियन की आड़ में थी, हमारी चौकी की ओर बढ़े । सरदार में नियुक्त हमारे 'सी० आर० पी० यूनिट' ने उनका कड़ा मुकाबला किया जिसके परिणामस्वरूप पाकिस्तानी बटालियनों को अपने 34 मृत सैनिकों को छोड़ कर पीछे हटना पड़ा जिनमें 2 पदाधिकारी भी थे और 4 व्यक्ति हमारे हाथों बन्दी बना लिये गये । हमारे 4 सिपाही मारे गये, 5 हताहत हुए और डिप्टी कमाण्डेंट सहित इस समय 19 व्यक्ति लापता हैं ।

बाद में संध्या समय और आक्रमण होने की आशंका से, और जैसा कि सरदार चौकी पर रुक-रुक कर बार-बार हो रही थी, जिसने कि मध्याह्न-पश्चात् उग्र रूप धारण कर लिया, हमारी पुलिस विगोकोट चौकी तक पीछे हट आई जो सरदार के 4 मील दक्षिण-पूर्व की दूरी पर स्थित है । मध्याह्न-उपरान्त पाकिस्तानी तोपों ने विगोकोट चौकी पर भी गोलाबारी की ।

स्थल सेनाध्यक्ष को 9 अप्रैल को सीमा का क्षेत्रीय अधिकार संभालने का निर्देश दिया गया और उसी सायं को सेना यूनिट्स विगोकोट चले गये, सेना के गस्ती दस्तों ने 10 अप्रैल को सरदार की चौकी पर पुनः अधिकार कर लिया और चौकी के आसपास कुछ पाकिस्तानी दस्तावेज तथा उपकरण पाये गये ।

बन्दी बनाये गये व्यक्तियों तथा दस्तावेजों से पता चलता है कि पाकिस्तानी सेना ने हमारी सीमा पर आक्रमण करने की योजना मार्च के दूसरे सप्ताह में तैयार कर ली थी और उसके पश्चात् सेना का जमाव आरम्भ हुआ । स्पष्टतः ऐसा विदित होता है कि आक्रमण के आदेश 7 अप्रैल को दिये गये थे और 9 अप्रैल के प्रातः धावा बोला गया ।

[श्री नन्दा]

इस योजना का दूसरा दौर, अर्थात् सरदार चौकी को सुदृढ़ बनाना, हमारी सीमा पुलिस द्वारा बहादुरी से मुकाबला किये जाने के परिणामस्वरूप विफल कर दिया गया ।

सीमा की रक्षा के लिये किये गये पूर्वोपायों के अतिरिक्त हमने 10 अप्रैल को पाकिस्तान की सरकार को उनके स्थायी सेना की टुकड़ियों द्वारा बिना किसी कारण हमारी सीमा-पुलिस चौकियों पर आक्रमण करने के परिणामस्वरूप जो हमें जन-हानि तथा सम्पत्ति हानि उठानी पड़ी उसके लिये एक कड़ा विरोध पत्र भेजा है जिसमें हमारी हानि के लिए पर्याप्त प्रतिकर और हमारे राज्य-क्षेत्र से तत्काल चले जाने की मांग की गई है । इसके साथ-साथ सुरक्षा परिषद के सदस्यों तथा मित्र राष्ट्रों की सरकारों को इस उद्देश्य से पत्र लिखे गये हैं कि उन्हें इन गम्भीर घटनाओं से अवगत कराया जाये जिनके परिणाम यदि पाकिस्तान कच्छ-सिन्ध क्षेत्र में अपने वर्तमान आक्रमणकारी रवैया पर अड़ा रहा तो खतरनाक हो सकते हैं ।

इस बारे में सरकार की नीति स्पष्ट है । अपनी सीमाओं की अखण्डता को बनाये रखने के लिये हम भरसक प्रयत्नशील हैं । 10 अप्रैल को पाकिस्तान स्थित हमारे उच्चायुक्त को पाकिस्तान सरकार ने बताया कि दोनों सरकारों की पहले पदाधिकारी-स्तर पर और फिर बाद में मंत्री स्तर पर एक बैठक होनी चाहिए, सभा को याद होगा कि 18 फरवरी और 11 मार्च को पाकिस्तान सरकार को भेजे गये हमारे टिप्पणियों में यही प्रस्ताव था । यह अच्छा होता कि पाकिस्तानी सेना द्वारा हमारी सीमा पर आक्रमण करने के पूर्व पाकिस्तान ने हमारे प्रस्ताव स्वीकार कर लिये होते । तथापि, हम इस वार्ता के लिये तैयार हैं और हम पाकिस्तान सरकार को इस सम्बन्ध में लिख रहे हैं ।

श्री हिम्मतसिंहजी (कच्छ) : छेद बेत में 1956 की घटना के पश्चात् सरकार ने वहां सीमान्त सड़कों का निर्माण क्यों नहीं किया जिनका उपयोग गश्ती उद्देश्यों के लिए पूरे वर्ष भर हो सकता था ?

श्री नन्दा : कुछ सड़कों का निर्माण, सुधार किया था किन्तु इस पूरे भू-भाग में यह काम नहीं किया जा सका । सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में कुछ जांच-पड़तालें की जा चुकी हैं और बाकी जांच-पड़ताल का कार्य उस क्षेत्र में जाना असम्भव होने से पूर्व ही, पूरा हो जायेगा ।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : पाकिस्तान ने इस क्षेत्र में कुछ महीने पहले दो चौकियां बना ली थीं और ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी सरकार को उनके बारे में हाल ही में जानकारी हुई है । चूंकि हमारा पुलिस बल देश के अन्दर विधि और व्यवस्था से सम्बन्धित मामलों के लिये है न कि वह अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों अथवा आक्रमणों के लिये है, तो सरकार ने सीमान्त क्षेत्रों की रक्षा का कार्य-भार हमारी सेनाओं को न सौंप कर उसे, युद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण इस सीमान्त क्षेत्र में पुलिस पर क्यों छोड़ दिया जिसके परिणामस्वरूप कई पुलिस वालों की मृत्यु भी हो गई ?

श्री नन्दा : यह कहना सच नहीं है कि उन स्थानों पर पहले ही कब्जा कर लिया गया था । मैंने यह सूचना दी कि यह हाल ही की एक घटना है और उस लिहाज से उन पर कब्जा किया गया है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता । वे स्थायी चौकियां थीं, लोग वहां से आते-जाते रहते थे । यह वास्तविकता है ।

श्री हेम बरुआ : मंत्री महोदय ने प्रश्न के दूसरे पहलू का उत्तर नहीं दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या इस सीमा-पुलिस को किसी अन्तर्राष्ट्रीय करार के अनुसरण में इन सीमान्त क्षेत्रों में तैनात किया गया है ? माननीय सदस्य का प्रश्न यह था : हमने वहां पहले ही सेना क्यों तैनात नहीं की ?

श्री नन्दा: जी, नहीं । ऐसी कोई बात नहीं है । हमारे पास सीमा-पुलिस की अलग व्यवस्था है । सीमा-पुलिस को सेना का भी समर्थन प्राप्त है । यह श्रम-विभाजन की दृष्टि से भी उचित है ।

Shri Bagri (Hissar) : Sir, on a point of order. The hon. Minister does not answer in such a manner which may enable the House to have a clear idea of the situation. His statement on April 9, made it crystal clear that the Pakistanis had mounted an attack on our border and we had, therefore, to be well prepared to defend ourselves. Now Government do not prerent the facts in their possession and give a vague reply with regard to the action taken by them thereafter with a view to hiding their weakness and mistakes. The fact is that the question of retention of the Police force in the border area after 9th April does not at all arise in the light of the fact that the Pakistani army mounted attack on the aforesaid date on our Kanjarkot and Sardar Posts which they occupied also in one sense.

Shri Nanda : The hon. Member is not correct. There was not even the least delay on the part of the Government in implementing all the steps required to be taken immediately after the date referred to by the hon. Member, and no weakness was shown on our part.

Shri Yashpal Singh (Kairana) : May I know the difference between the war time situation and the present situation ; how long the Government will go on avoiding this by way of defining it as border dispute, the time by which Indians will be victimised this way; and the minorities thus thrown out therefrom ?

श्री स्वर्ण सिंह : इसमें जवाब देने की कोई बात नहीं है ।

श्री नन्दा : इसके उत्तर में सभा से मेरा यह निवेदन है कि वहां पर इस समय कार्यवाही चल रही है ।

श्री रंगा (चित्तूर) : इसीलिए मंत्री महोदय को कोई उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री नन्दा : जो कुछ भी जानकारी मेरे पास है—और जो मैं दे सकता हूं, वह मैं दे रहा हूं । सभी आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । हमसे यह कहने का क्या लाभ है कि इसे 'युद्ध' की संज्ञा दी जाये । वहां पर सीमा का भी झगड़ा है ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : (कलकत्ता-मध्य) : मैं इस बात को समझता हूं कि विभिन्न ऐतिहासिक कारणों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि पाकिस्तान के साथ हमें बहुत संयम से काम लेना है । किन्तु घटनाओं से यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान जान बूझ कर ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहा है जिससे भारत के लिए एक गम्भीर समस्या पैदा हो गई है । सरकार का यह कर्तव्य है कि वह सदन को यथासम्भव तथ्यों की जानकारी दे और स्थिति से अवगत कराये—, यथा हमारी वहां पर वास्तविक स्थिति क्या है और हम उसका सामना करने के लिये क्या-क्या तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ संसार के अन्य देशों को भी मामले की वास्तविकता से अवगत

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

कराना चाहिए । अनुभव के आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि पाकिस्तान घटनाओं को झूठा रूप देने में सफल होता है जब कि हम केवल अपनी सहनशीलता और संयम के बारे में ही कहते रह जाते हैं ।

अतः यह आवश्यक है कि सरकार संसद पर विश्वास करे और उसे स्थिति की गम्भीरता तथा वास्तविकता से अवगत रखे ताकि वह सरकार को आगे कार्यवाही करने के लिए स्वीकृति दे सके जिससे सरकार के हाथ और अधिक मजबूत होंगे और वह सही नीति का अनुसरण करके हमारी सीमा की अखण्डता की रक्षा करने में सफल हो सकेगी ।

अध्यक्ष महोदय : यह केवल एक सुझाव है ।

Shri Bade (Khargon) : The hon. Minister stated that the first attack was mounted on March 3, near Jalkota. May I know as to why our army units were not despatched there when we came to know that machine-guns were being used by them ? May I also know whether Jalkota Fort is in our hands or we have vacated it ?

Shri Nanda : Three is no fort anywhere, and nothing has fallen. As I said that our police unit stationed there put up a fierce resistance, and our army units moved into that area as soon as it was considered imperative. They have taken the action required. Both Vigokot and Sardar posts are in our hands.

श्री खाडिलकर (खेड) : पाकिस्तान ने किसी भी विवादास्पद मामले को हल करने में आज तक कभी भी पहल नहीं की । आज पहली बार वह बातचीत करने का उत्सुक दिखाई देता है । इस बात को देखते हुए कि गृह-मंत्रियों की जो बैठक होने वाली थी वह स्थगित कर दी गई थी, क्या हमारे लिए सदा के लिए यह निर्णय करना उचित नहीं होगा कि जब तक पाकिस्तान हमारी सीमाओं पर आक्रमक कार्यवाहियां बन्द न करे और सभी मामलों पर बातचीत करने के लिए तैयार न हो, तब तक हम किसी बातचीत के लिए पहल न करें ?

अध्यक्ष महोदय : यह भी एक सुझाव मात्र है ।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : गृह-कार्य मंत्री महोदय के वक्तव्य के अनुसार पाकिस्तान ने आक्रमण करने की योजना मार्च में बनाई थी और वास्तविक आक्रमण 9 अप्रैल, 1965 को किया गया । क्या हमारी गुप्त सूचना व्यवस्था इतनी कमजोर और निकम्मी हो गई है कि वह इस बात की जानकारी नहीं दे सकी कि पाकिस्तान का क्या अभिप्राय तथा उद्देश्य है और वह क्या करने जा रहा है ?

श्री नन्दा: मैं माननीय सदस्य श्री शर्मा तथा श्री मुकर्जी से स्थिति के बारे में सहमत हूं । हमें इन घटनाओं के सम्बन्ध में थोड़ा सा आभास था । किन्तु हमारे लिए इस बात का तुरन्त पता लगाना असम्भव था कि पाकिस्तान द्वारा तत्काल क्या गोपनीय आदेश जारी किये गये हैं ।

श्री अ० ना० विद्यालंकार (होशियारपुर) : प्राप्त समाचारों के अनुसार पाकिस्तानियों ने इस सीमा पर एक सड़क बनाई है । क्या मंत्री महोदय इस सभा को यह यकीन दिला सकते हैं कि उस सड़क का निर्माण हमारे राज्य-क्षेत्र में नहीं किया गया है ?

श्री नन्दा : किसी भी सड़क का निर्माण नहीं किया गया । दो चौकियों के बीच एक रास्ता था ।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : पाकिस्तानियों ने इस सीमान्त क्षेत्र में किस प्रकार के अमरीकी शस्त्रों का प्रयोग किया ?

श्री नन्दा : उन्होंने कुछ अमरीकी उपकरण का प्रयोग किया जिसमें 25 पाउण्ड के तथा अन्य तोपें शामिल थीं ।

श्री जोकीम अल्वा (कनारा) : हमें छः स्थानों पर अपनी सीमा की रक्षा करने की आवश्यकता है । क्या मैं जान सकता हूं कि इन सभी स्थानों पर सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है कि ताकि हमें किसी देश से अपमान का सामना न करना पड़े ? क्या सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासियों को उनकी आत्मरक्षा के लिये हथियार भी दिये जा रहे हैं ? क्या वहां भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों को बसाया जा रहा है और क्या पाकिस्तान द्वारा कच्छ क्षेत्र में अमरीकी हथियारों का प्रयोग किये जाने के बारे में सरकार ने अमरीका को बताया है ?

श्री नन्दा : स्थिति का सामना करने के लिए यथासम्भव कार्यवाही की जा रही है जिसके बारे में इस समय कुछ बताना उचित नहीं है । पाकिस्तान द्वारा अमरीकी हथियारों का प्रयोग किये जाने के बारे में हमने पाकिस्तान के विरुद्ध अमरीका से शिकायत की है ।

श्री श० ना० चतुर्वेदी (फिरोज़ाबाद) : क्या पाकिस्तान हम पर इसीलिए बार-बार हमला करता है कि हम आक्रमण के सम्बन्ध में पहल न लेकर केवल अपना बचाव किया करते हैं ? क्या यह उचित नहीं है कि हम अपनी नीति में परिवर्तन करके इसके जवाब में पाकिस्तान की उन सीमा चौकियों पर आक्रमण कर दें जहां कि उसकी स्थिति कमज़ोर हो ?

अध्यक्ष महोदय : यह भी केवल एक सुझाव है ।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) **:** Sir, so far as the present dispute is concerned, may I know whether the Prime Minister is in a position to make this point clear that India will continue firing and it will not withdraw from it unless and until the lost remnant of Kanjarkot is regained ?

The Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shri Lal Bahadur Shastri) : So far as Kanjarkot is concerned, we are firmly determined not to allow them to have their standing posts there. We will be taking all the steps raquired for the purpose. I would like to make it clear that we are, *in no case*, prepared to enter into any negotiations unless and until Kanjarkot is vacated by Pakistanis.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : गृह-कार्य मन्त्री महोदय ने वक्तव्य से स्पष्ट है कि पाकिस्तानियों ने वहां अमरीकी हथियारों का प्रयोग किया है जो कि हमारे स्वर्गीय प्रधान मन्त्री को अमरीकी सरकार द्वारा दिये गये इस आश्वासन के, कि पाकिस्तान को दिये गये हथियारों का प्रयोग भारत के खिलाफ नहीं होगा, बिल्कुल प्रतिकूल है; क्या सरकार ने अमरीकी सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया है ? क्या श्री चेस्टर बाउल्स हाल ही में हमारे प्रधान मन्त्री से मिले और यदि हां, तो क्या यह बात उनसे स्पष्ट रूप से कह दी गई है कि भारत सरकार तथा भारतीय जनता को इससे बहुत दुख हुआ है और वह इसके बारे में अपनी सरकार को सूचित करें ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : पाकिस्तान द्वारा अमरीकी हथियारों का प्रयोग किया जाना--हम समझते हैं, बहुत अनुचित है। इस मामले में अमरीकी सरकार से शीघ्र बातचीत की जायेगी।

श्री हेम बरुआ : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आज प्रातः प्रतिरक्षा मन्त्री ने . . .

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बिना बुलाये इस प्रकार खड़े न हों। मैं उन्हें बाद में बोलने का अवसर दूंगा।

Shri A. P. Sharma : There are persistent attacks by Pakistani army on our borders and our police force stationed there has to face them. May I know whether arrangements will be made to station army units there in addition to the police force ?

श्री नन्दा : इसका उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूं।

श्री बड़े : प्रधान मन्त्री महोदय ने अभी बताया कि कंजरकोट हमारे कब्जे में नहीं है, और उसे वापस लेने के लिए सरकार सभी आवश्यक कार्यवाही करेगी। किन्तु गृह-कार्य मन्त्री ने मेरे प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था कि कंजरकोट हमारे कब्जे में है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने केवल यह कहा कि वहां कोई किला नहीं है।

श्री बड़े : कंजरकोट की इस समय वास्तविक स्थिति क्या है ?

श्री नन्दा : मैंने कहा कि वहां स्थानों पर गश्त लगाने वाली पाकिस्तानी सेना की टुकड़ियां हैं। उनकी स्थायी चौकियां हैं। स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, किन्तु सरदार चौकी और विगोकोट चौकी पर उनका बाद में किया गया आक्रमण विफल कर दिया गया और वे दोनों चौकियां हमने ले ली हैं।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : Sir.....

Mr. Speaker : I call hon. Members turn by turn. All the Members cannot be called together.

श्री हेम बरुआ: पाकिस्तान द्वारा अमरीकी हथियारों का प्रयोग किये जाने पर अमरीकी सरकार को शिकायत करने के बारे में पूछ गये प्रश्न के उत्तर में आज प्रातः प्रतिरक्षा मन्त्री ने कहा कि "मैं समझता हूं कि हमने विरोध पत्र भज दिया है।" प्रधान मन्त्री इस समय कहते हैं कि "हम विरोध पत्र भेजेंगे।" क्या मैं जान सकता हूं कि इन दोनों में से कौन सा वक्तव्य सच है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : दोनों वक्तव्य सच हैं। मेरे वक्तव्य का सम्बन्ध काश्मीर युद्ध-विराम रेखा पर तथा कच्छ-सिन्ध सीमा क्षेत्र में भी पाये गये उपकरणों से था। काश्मीर युद्ध-विराम रेखा पर पाये गये उपकरणों के बारे में विरोध-पत्र भेज दिया गया है।

श्री हेम बरुआ : काश्मीर युद्ध-विराम रेखा पर पाये गये उपकरणों के बारे हमें जानकारी है। मैंने केवल इस विशेष क्षेत्र में पाकिस्तान द्वारा प्रयोग किये जा रहे अमरीकी हथियारों के बारे में पूछा था। माननीय मन्त्री हमारी आंखों में धूल डालने का प्रयास क्यों कर रहे हैं ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : प्रमाण के बारे में हमें केवल कल जानकारी हुई। मैंने आज प्रातः सभा में काश्मीर युद्ध विराम रेखा पर पाये गये उपकरणों तथा उसके प्रमाण के बारे में चर्चा की। मेरा यह कहने का आशय कि "मैं समझता हूं कि हमने . . ." उसी से था।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The hon. Minister stated that they had their two standing posts. I want to know as to how much was the area that had been taken by Pakistanis ? It is also a fact hat there are oil deposits in this area, and that is why Pakistan wants to occupy them illegally ?

Shri Nanda : I cannot tell the exact area.

Mr. Speaker : Is there oil also ?

Shri Nanda : May be :

Shri Bishan Chander Seth (Etah) **:** May I know whether Government propose to take all the steps and measures required to meet the situation or they will go on telling the world that agression has been committed on them and they have been exercising great forbearance ; and thus keeping the public in dark by way of not giving a correct version of these events ?

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Sir, my question is very important and the hon. Minister may be asked to answer it.

Mr. Speaker : How can I help him when the Minister says that he cannot tell the exact aera. Besides, the hon. Member is frequently rising in his seat and repeating the same question. He may resume his seat and allow the proceedings to go on.

Shri Bishan Chander Seth : Sir, the question is of oil deposits.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know whether the reported 12,000 square miles of land has been occupied illegally by Pakistanis ?

Mr. Speaker: I have twice requested him to resume his seat. He is flouting the orders.

श्री जशवन्त मेहता (भावनगर) : 15 अगस्त, 1947 से पहले कच्छ राज्य और सिन्ध सीमा के बीच राम की बाज़ार से नागारपारकर तक एक सीमा-शुल्क सड़क थी। मैं प्रधान मन्त्री महोदय के इस वक्तव्य का स्वागत करता हूं कि पाकिस्तानी लोग अवैध रूप से प्रवेश नहीं कर रहे हैं। क्या सरकार मन्त्री स्तर पर होने वाले सम्मेलन में इसी बात पर अड़े रहेंगे कि सिन्ध और कच्छ राज्य की मूल सीमान्त क्षेत्र को ही सीमान्त क्षेत्र कायम रखा जाये ?

श्री नन्दा : जी हां, हमारा यही दृष्टिकोण है। वैदेशिक कार्य मन्त्री ने पहिले जो वक्तव्य दिया है उसमें भी वही स्थिति स्पष्ट कर दी गई है कि एक चौकी लगभग, 300 गज पर और दूसरी 2,000 गज़ पर है। मुझसे क्षेत्र के बारे में बताने को कहा गया है। किन्तु केवल 50 या 100 गज के क्षेत्र या कंजरकोट और विगोकोट चौकियों की भूमि क्षेत्र के अलावा क्षेत्र का कोई प्रश्न ही नहीं है। वहां चौकी के अलावा और कुछ भी नहीं है। मैं नहीं कह सकता कि पाकिस्तानियों के अधिकार में वक्तव्य में बताये गये दो चौकियों के अलावा और भी कोई क्षेत्र है।

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, 14 अप्रैल 1965 २४/चैत्र, 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थागत हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, April 14, 1965/Chaitra 24, 1887 (Saka).